खण्ड-140, अंक-2
मंगलवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(7 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 140 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर आइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण , श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद , श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री,
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफ़िया अब्बुस वाजिद, श्रीमती

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ की कचहरी में मुकदमे बाजों के बैठने के लिये स्थान

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ दीवानी एवं कलेक्टरी कचहरियों में मुकदमेबाजों के बैठने के लिये कोई स्थान नहीं बनाया गया है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—आजमगढ़ की दीवानी और कलेक्टरी कचहरियों में मुक़दमेदाजों के बैठने के लिये पहले ही से स्थान बना हुआ है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ कलेक्टरी और दीवानी कचेहरी में मुक़दमेंबाजों के बैठने के लिये कहां स्थान बना हुआ है और कितने आदमी उसमें बैठ सकते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मैं यहां बैठे-बैठे नहीं बता सकता हूं कि स्थान कहां बना हुआ है लेकिन जो इत्तला वहां से आयी है उसमें उन्होंने बताया है कि चार जगहें बनी हुई हैं। उसके अलावा बरामदों में भी मुक़दमेंबाज बैठते हैं और दीवानी के लिये तो अलग एक इमारत बनी हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीवानी कचेहरी में बैठने के लिये कहां जगह बनी हुई है?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने अभी बतलाया कि "कहां" का बतलाना इस हाल में बैठ कर तो मुमकिन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि दीवानी और कलेक्टरी कचेहरियों में बैठने वाले मुक़दमेबाज जो बरामदों में बैठते हैं वे धूप में हटा कर बाहर भी कर दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय न्याय मंत्री को मालूम है कि दीवानी कचेहरी के सामने पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा हाल और कितने कमरे बने हुये हैं जिसमें कि क्लाएंट बैठते हैं और खाना खाते हैं और धूप में आराम करते हैं और इसी प्रकार कलेक्टरी कचेहरी में भी वकीलों के लिये एक काफ़ी बड़ा वकालतखाना है, उसका बरामदा है, लान है जिसमें क्लाएंट रेस्ट करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, मुमकिन है ऐसा हो।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी ने जो अभी थोड़े दिन हुये आजमगढ़ गये थे इस मकान को देखा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, , बार एसोसिएशन को मैंने देखा है, उसके हाल में भी गया हूं, उसके बरामदे को भी देखा है, लेकिन चूंकि तातील का दिन था लिहाजा मुक़दमेबाज तो वहां नहीं थे।

पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन के रजबहों की झालों का सुधार

*३—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—तारांकित प्रश्न १ से ३ दिनांक ३० मार्च, १९५४ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन के रजबहों की झाल तोड़ने की पहिले उस झाल से ठीक ऊपर वाले पांच-पांच कुलाबों की सिंचाई तीन वर्ष की क्या थी ?

*४—क्या सिंचाई मंत्री बताने की क्या करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन के रजबहों के झालें तोड़ने के पश्चात् तोड़ी हुई झाल से ठीक ऊपर वाले प्रत्येक पांच-पांच कुलाबों की सिंचाई तीन वर्ष की कितनी-कितनी थी?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन के रजबहों में झालों की संख्या बहुत अधिक है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन झालों का सुधार किया जा रहा है। अतः जहां तक माननीय सदस्य उन झालों को, जिनके विषय में वह सूचना चाहते हैं, स्थिति न बतायें, वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ३–४ साल हुये इन नहरों की सब झालें तोड़ दी गयी थीं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है ?

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन झालों के लिये किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—इन झालों के ऊपर सिल्टिंग बहुत हो गयी थी। उस सिल्टिंग की सफ़ाई की गयी है और इस प्रकार से इन झालों का सुधार किया गया है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि झालों के तोड़ने से झालों के ऊपर के जितने कुलाबे थे उनमें पानी पहले की बनिस्बत बहुत कम निकल रहा है ?

श्री राममूर्ति---मैं यह तो नहीं कह सकता कि पानी कम निकलता है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जितना पानी निकलने की जरूरत है उतना जरूर निकल रहा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह "झाले" क्या चीज है ?

श्री राममूर्ति---जहां पर ईंटों का तीन-तीन, चार-चार रद्दों का एक क्रेस्ट उठा दिया जाता है, उसको झाल कहते हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले यह झालें किस लिये बनायी गयी थीं ?

श्री राममूर्ति---अब मुझे यह तो मालूम नहीं कि इंजीनियर ने किस ख़याल से बनाया था।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां झालें बनायी जाती हैं जहां जमीन का ज्यादा ढलकाव होता है, वहीं से पानी धीरे से चले और निचाई लेकर चले, वहीं झालें बनायी जाती हैं ?

श्री राममूर्ति---हां, माननीय सदस्य का खयाल सही हो सकता है।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि झालें तो इसलिये लगायी जाती हैं कि वहां पर पानी रुके और कुलाबों से ज्यादा से ज्यादा निकले ताकि सिंचाई हो सके?

श्री राममूर्ति---पानी तो निकल रहा है कुलाबों से।

श्री बलवन्तसिंह---क्या यह बात सही है कि जब से झालें टूटी हैं कुलाबों का पूरा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ?

श्री राममूर्ति---यह बात सही नहीं है।

नया नहर कानून बनाने का विचार

*५---श्री श्रीचन्द्र---क्या सरकार कोई नया नहर कानून बनाने पर या नहर कानून १८७३ में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---सरकार एक नया नहर कानून बनाने का विचार कर रही है। इसी उद्देश्य से "U. P. Irrigation and Drainage Bill" तैयार किया जा रहा है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह यू० पी० इर्रीगेशन ऐन्ड ड्रेनेज बिल हिन्दी में बनाया जायगा या अंग्रेजी में ?

श्री राममूर्ति---दोनों में ही बना दिया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी आर्थेटिक भाषा कौन सी होगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कानूनी प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां विधेयक किस भाषा में पेश करना सरकार चाहती है यह सवाल आप पूछ सकते हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कानून कब तक तैयार हो जायगा और कब से इस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—इस सवाल पर १९४६ से विचार जारी है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि कौन सी तारीख तक तैयार हो जायगा। यह ला डिपार्टमेंट में है। वहां इसकी तैयारी हो रही है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोनों भाषायें कौन-कौन सी हैं और दोनों भाषाओं में बनाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति—एक भाषा अंग्रेजी है और दूसरी भाषा हिन्दी। कांस्टीट्यूशन के अन्दर दिया हुआ है कि बीस साल में हिन्दी पूरे तौर पर रायज हो। उस वक्त तक अंग्रेजी भी चलेगी। आहिस्ता आहिस्ता हिन्दी को तरक्की दी जा रही है और हिन्दी में कानून बनाये जा रहे हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार जो कानून बनवा रही है उसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये सर्कुलेट करेगी ?

श्री राममूर्ति—अभी इसके बारे में सही नहीं कह सकता। जब वह बन जायगा तो इसके बारे में विचार किया जायगा।

कच्ची दीवारों को वाटर प्रूफ एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयोग

*६—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निर्माण विभागीय प्रयोगशाला ने कोई ऐसी खोज की है जिसके द्वारा कच्ची मिट्टी की दीवारों को वाटर प्रूफ तथा कच्ची ईंटों को पक्का के समान सुदृढ़ बनाया जा सके ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां।

*७—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रक्रिया का विवरण अनुमानित व्यय सहित, देने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रक्रिया का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी अनुसूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४८ पर)

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मिट्टी को वाटर प्रूफ बनाने के लिये लिनसीड की खली पर भी कोई प्रयोग किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, उसका भी प्रयोग किया जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी उस पर प्रयोग किया जा रहा है। कीमत जरा ज्यादा पड़ती है। इसीलिये अभी प्रयोग के अन्दर है और नतीजा कुछ नहीं निकला है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह प्रयोगशाला कहां है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यहां जो पी०डब्लू०डी० का दफ्तर है उसी में यह प्रयोगशाला है। माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि जरूर जा कर उसे देखें ।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वहां ट्रेनिंग प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को भी जाने की इजाजत होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसमें ट्रेनिंग का कोई प्रश्न नहीं उठता, न ट्रेनिंग का कोई सवाल है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के अलावा और किन-किन बातों का वहां अन्वेषण हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इमारत और सड़क बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है जैसे कंकड़, पत्थर, गिट्टी, सीमेंट वगैरह इन सब चीजों पर प्रयोग हो रहा है, इनकी ताकत देखी जाती है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार बतलाएगी कि जो सूचना इसमें दी गयी है उसके मुताबिक गांव में प्रचारार्थ कोई स्टेप्स लिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जवाब में बतलाया गया है कि एक माडल हाउस बनाया गया है और इस बरसात में उसका नतीजा देखा जायगा और बरसात का नतीजा देख कर कोई निर्णय किया जायगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री विवरण का कुछ खुलासा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उनसे वह लिखित उत्तर ले लें तो अच्छा होगा इससे सदन का समय बच जायगा ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का प्रयोग कानपुर की एच०बी०टी० आई० में भी किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कानपुर की सूचना मेरे पास नहीं है ।

कल्याणपुर, तहसील घोसी में नलकूप से सिंचाई का परिमाण तथा रेट

*८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील के ग्राम कल्याणपुर के नलकूप से गत रबी फसल में कितने एकड़ की सिंचाई हुयी है और प्रति एकड़ क्या रेट पड़ा है ?

श्री राममूर्ति---यह नलकूप गत रबी के बाद चालू हुआ और इस कारण गत रबी में इससे कोई सिंचाई नहीं हुयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि रबी की फसलों की उस नलकूप से सिंचाई हुयी है और लोगों से सिंचाई की कीमत ली गयी है ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो कुछ सवाल का जवाब है वह इतना ही है। हां, इसके अलावा इतना और है कि रबी के बाद गन्ने की साढ़े तीन एकड़ की सिंचाई हुयी, ९ एकड़ सब्जी की और ४ एकड़ खरबूजा की यानी कुल ४ एकड़ और तीन बीघा की सिंचाई हुयी इसके अलावा मेरे पास इस वक्त और कोई इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ने की जो सिंचाई हुयी है उसका सिंचाई कर क्या लिया गया है ?

श्री राममूर्ति---हमारे यहां कायदा यह है कि जो कुयें बिजली से चलते हैं उनसे हम एक रुपए में १६ हजार गैलन पानी देते हैं और जो डिजिल इंजन से चलते हैं उनमें एक रुपए में ११ हजार गैलन देते हैं।

श्री उमाशंकर---क्या उस एरिया में सिंचाई कर वसूल हुआ है ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ट्यूबवेल डिजिल इंजिन से चलते हैं या बिजली से ?

श्री राममूर्ति---इसकी भी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

***९---श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---[स्थगित किया गया।]

निर्माण विभाग के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार के कारण पृथक्करण

***१०---श्री रामदुलारे मिश्र**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कितने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से अलग किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गत वर्ष भ्रष्टाचार के अपराध में पांच कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह नौकरी से कब अलग किये गये और किस जिले में किस पद पर कार्य करते थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह आपने गतवर्ष का पूछा है जो अप्रैल, सन् १९५३ से मार्च, सन् १९५४ तक होता है। एक असिस्टेंट इंजीनियर थे और उनके ऊपर यह अभियोग था कि उन्होंने वर्ड घाटफेरी के बारे में कुछ गड़बड़ की थी इससे उनको अलग किया गया। तीन ओवरसियर अलग किये गये जिनके ऊपर अभियोग यह था कि उन्होंने गलत मस्टर रोल तैयार किया था। एक क्लर्क अलग किया गया।

श्री रामदुलारे मिश्र---वह किस-किस जिले के थे।

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने बतलाया कि वह असिस्टेंट इंजीनियर वर्ड घाट गोरखपुर में थे। जहां से उनको अलग किया गया। एक ओवरसियर भी वहीं गोरखपुर में काम करते थे उनको अलग किया गया। एक क्लर्क भी वर्ड घाट गोरखपुर से अलग किया गया। दो ओवरसियर थे जो जी० टी० रोड की वार्षिक मरम्मत किसी जिले में होनी थी, उसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है, तो वहां पर दो ओवरसियर्स थे जिन्होंने बनावटी मस्टर रोल तैयार किया था तो उनको अलग किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गत वर्ष कितने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अपराध के सम्बन्ध में जांच की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी–क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया वह डिपार्टमेंटल कार्यवाही से अलग किये गये या ट्रिब्यूनल की कार्यवाही द्वारा अलग किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जी हां, डिपार्टमेंटल ट्रिब्यूनल है। उसी के पास जांच के लिये अभियोग जाते हैं। जब वह साबित हो जाते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होती है।

श्री श्रीचन्द्र––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेण्ट इञ्जीनियर और २ ओवरसियर्स किस अपराध में अलग किये गये ?

श्री अध्यक्ष––इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के हेतु नये नियम बने हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––यह तो कई मर्तबा बतलाया गया है कि बराबर कार्यवाही हो रही है और होती रहती है और भ्रष्टाचारियों को सजा देने से इसमें काफी कमी हो रही है।

श्री केशव पांडेय––क्या मई के महीने में पी० डब्ल्यू० डी० के स्टाफ के आदमियों ने ट्रक लोड गोरखपुर में डूब जाने के बारे में कोई दरख्वास्त दी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––इस समय मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि असिस्टेंट इंजीनियर जिस अभियोग में निकाले गये क्या वह रुपया आज तक वसूल हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––इसकी भी इत्तिला मेरे पास नहीं है, सूचना की जरूरत है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि घूस देने के अपराध में कितने कंट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया ?

श्री अध्यक्ष––यह प्रश्न मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता, यह नौकरों का प्रश्न है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)––जो कर्मचारी निकाले गये उनमें से क्या कोई ५ प्रतिशत घूस लेने के सिलसिले में निकाला गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जिसका जो अपराध था वह मैंने बता दिया, वे मस्टर रोल वगैरह के अपराध थे। प्रतिशत वाला कोई अपराध नहीं था।

राम गंगा योजना एवं उससे सिंचाई लाभ

*११––**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)––क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल में राम गंगा योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा और इस योजना से किन-किन जिलों की भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––रामगंगा नदी योजना का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ होने का प्रस्ताव है। कार्यान्वित हो जाने पर यह योजना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहली, गुरगांव, मुरादाबाद, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, मथुरा, आगरा, कानपुर, फतेहपुर तथा इलाहाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी।

रिहंद बांध निर्माण पर व्यय

*१२—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहंद बांध में अब तक कितना धन किस-किस कार्य में व्यय हो चुका है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—रिहन्द बांध पर जुलाई, १९५४ तक ५७ लाख रुपया जिसमें कर्मचारियों की तनख्वाहें वगैरह शामिल नहीं हैं, इस प्रकार खर्च हो चुका है :

(१) सर्वे, नक्शे बनवाने व दूसरी तहकीकातों में—१३ लाख रुपया ।

(२) भूमि को हासिल करने में तथा ड्रिलिंग के जरिये से डाम की बुनियादों की तहकीकात—१० लाख रुपया ।

(३) निर्माण कैम्प व उसके रखरखाव का खर्च—११ लाख रुपया ।

(४) डाम तक पहुंचने के लिये सड़कों तथा सोन नदी पर पुल बनाने का खर्च—३ लाख रुपया ।

(५) खास किस्म की मशीन इत्यादि पर खर्च—२० लाख रुपया ।

*१३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि इस बांध से सिंचाई का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रिहन्द बांध से उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा कोई सिंचाई नहीं होगी ।

*१४—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया ।]

*१५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किया गया ।]

छोटी सरयू नदी से सिंचाई का प्रस्ताव

*१६—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार घोसी सगड़ी तहसीलों (जिला आजमगढ़) की सरहद पर बहने वाली छोटी सरयू नदी को चौड़ी और गहरी करा कर सिंचाई के काम में लाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—छोटी सरयू एक गहरी नदी है और इसकी बाढ़ से निकटवर्ती क्षेत्रों को क्षति पहुंचती रहती है, यह नदी किसी भी स्थायी योजना के उपयुक्त नहीं है । ऐसी कोई सिंचाई योजना जिसमें नदी में पक्का काम आवश्यक हो, नहीं ली जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से वर्षा के पानी के बहाव में बाधा पड़ेगी और निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ उग्रतम रूप धारण कर लेगी ।

वर्षा और जाड़े की ऋतु में नदी के जल की निकासी में विशेष अन्तर पड़ जाता है जिसके कारण भी सिंचाई की कोई स्थायी योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती । सितम्बर, अक्तूबर के महीनों में जब इस नदी में जल प्राप्य रहता है इसका उपयोग करने के लिये प्रयोगात्मक रूप में दो स्थानों पर पम्प लगा कर पानी उठाने का प्रस्ताव है जिसके लिये सर्वे हो रहा है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह सर्वे किन स्थानों के लिये हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—अभी मैंने अर्ज किया कि दो स्थानों के लिये हो रहा है मेरे पास स्थानों के नाम नहीं हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस सर्वे का काम कब तक समाप्त होगा और उसमें कितने खर्चे का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति—इसकी भी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—पम्प द्वारा पानी उठाकर सिंचाई किये जाने से कितने एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि इसका सर्वे हो रहा है, इत्तला आने पर ही इसके बारे में बताया जा सकता है।

पंचवर्षीय योजना में जिला बनारस की चकिया–इलिया सड़क तथा कर्मनासा नदी पर पुल का निर्माण

*१७—**श्री रामलखन** (जिला बनारस)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकिया-इलिया (मलदह) सड़कें जिला बनारस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैं ? अगर हां, तो उस पर सरकार कितना रुपया खर्च कर चुकी है तथा इस वर्ष कितना खर्च करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ३१ मार्च, १९५४ तक सरकार इस सड़क के निर्माण पर ९,२४१ रुपया व्यय कर चुकी है तथा वर्तमान वर्ष (१९५४–५५) में ३४,००० रुपया का आयोजन किया गया है।

*१८—**श्री रामलखन**—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त सड़क पर कर्मनासा नदी पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री रामलखन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कर्मनासा नदी पर पुल बनाने का प्रश्न विचाराधीन है उस पर काम कब शुरू होने जा रहा है और कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी काम शुरू होने का सवाल पैदा ही नहीं होता, वह प्रश्न विचाराधीन है और खर्चा उस पर क़रीब ६ लाख के पड़ेगा।

श्री रामलखन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ५४–५५ के लिये जो ३४ हजार रुपया सड़क के लिये मंजूर है, क्या वह पूरी सड़क के लिये है या कितने मील सड़क उससे बनेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय मैं मील की बात तो नहीं बतला सकता लेकिन रुपया ३४ हजार है उससे मालूम होता है कि शायद पूरी सड़क न हो।

हाईकोर्ट के जज द्वारा रानीखेत व बद्रीनाथ की अदालतों का निरीक्षण

*१९—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच सालों में हाईकोर्ट के जजों द्वारा रानी खेत की अदालतों का कितनी बार निरीक्षण हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—पिछले पांच सालों में हाई कोर्ट के जज द्वारा रानीखेत की अदालतों का एक बार निरीक्षण हुआ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह निरीक्षण कब हुआ था?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, तारीख नहीं मालूम है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य के और सब-डिवीजनल कोर्ट्स का हाईकोर्ट के जजों द्वारा कितनी बार निरीक्षण हुआ और कहां-कहां हुआ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ में कोई Honorary Magistrate का court है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उक्त अदालत में कितने मुकदमे दायर हुये?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां। २९ मुकदमें।

*२०---श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बद्रीनाथ के आनरेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट का भी निरीक्षण हाईकोर्ट के जजों द्वारा हुआ है?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

अलीगढ़ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

*२१---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने मील पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले में १४ मील सड़कों का निर्माण हुआ जिसमें से दो मील गोमत नोझील कच्ची सड़क के पक्के बनाए गये, ४ मील सीमेंट कांक्रीट के बनाये गये तथा ८ मील का आधुनीकरण (माडर्नाइजेशन) किया गया।

*२२---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ जलेसर Inter District Road कब तक पक्की हो जायेगी?

श्री गिरधारीलाल---अभी तक इस सड़क को पक्का बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रांत में मद्य निषेध योजना

*२३---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार प्रान्त के कुछ अधिक जिलों में मद्य-निषेध की योजना लागू करने वाली है? अगर हां, तो कहां-कहां और कब से?

श्री सैयद अली जहीर---इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठला।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में मद्यनिषेध योजना का विस्तार करने के हेतु जो सरकार की अपनी नीति है, अब स्थगित किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका कारण कई दफ़ा इस हाउस में बतलाया जा चुका है कि जो ११ जिलों में और तीन और शहरों में मद्यनिषेध किया गया है उसके नतीजे अभी अच्छी तौर पर जाहिर नहीं हैं और यह यकीन नहीं है कि इस तरह मद्यनिषेध करने से आया ठीक होगा या इसमें और कोई अन्तर किया जाय। इसलिये अभी मामला ज़ेरेगौर है, कोई आखिरी बात तय नहीं ह इसलिये मद्यनिषेध को नहीं बढ़ाया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ११ जिलों के अलावा यू० पी० के अन्य जिलों में कब तक मद्यनिषेध योजना लागू करने का निश्चय सरकार ने किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---क्या कदम उठाया जायगा इस सिलसिले में, अभी यह तय नहीं है, बहरहाल मद्यनिषेध करने के मामले पर भी उसी के साथ साथ गौर किया जायगा और मेरा खयाल है कि जल्दी ही इसके ऊपर कोई फैसला होगा।

श्री उमाशंकर (जिला बनारस)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन जिलों में शराबबन्दी है वहां कोई स्प्रिट बिक रही है जिसको पीकर लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, है ऐसा और उसकी रोकथाम की कोशिश की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---क्या आबकारी मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के सामने यह भी सवाल विचाराधीन है कि उन ११ जिलों से भी जहां कि शराबबन्दी लागू है, उसे वापस ले लिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह जिन जिलों में प्राहिबिशन लागू करने जा रही है वहां शक्ति के उपासकों के धार्मिक हकूक सुरक्षित रखने के लिये उनके साथ कोई रियायत करेगी जिससे उन्हें मद्य बिना रोकटोक के मिल सके ?

श्री सैयद अली जहीर---जाहिर है कि इसका अभी कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ है इसलिये जिस मख़सूस बात का ज़िक्र किया गया उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ है।

शराब की दूकानों के ठेकों के नियम

*२४---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शराब की दुकानों के ठेके दिये जाने के सम्बन्ध में क्या नियम निश्चित किए गए हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---शराब की दुकानों के ठेके Excise Manual, Volume I के नियम संख्या ३५७ और ३५८ के अनुसार दिये जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में शराब के ठेके के सम्बन्ध में नियमों का पालन पूरे तौर से नहीं होता है ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा तो नहीं है, मेरा खयाल है कि बाज जगह की शिकायतें आयी लेकिन वहां पर भी ज्यादातर मालूम हुआ कि उनका पूरे तौर से पालन किया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या मोहतरिम वजीर एक्साइज बतायेंगे कि ठेके देने से जो आमदनी होती रही है उसमें ज्यादती हो रही है या उसमें कमी हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रामदनी में तो कमी हुई है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेके का समय कब कब होता है ?

श्री सैयद अली जहीर—ठेके मार्च के महीने में अमूमन दिये जाते हैं और वह एक अप्रैल से ३१ मार्च तक के लिये होते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इन दुकानों के ठेके के नियमों में कुछ परिवर्तन करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—किसी खास परिवर्तन का तो इस वक्त खयाल नहीं है लेकिन जो आम पालिसी एक्साइज की है, उस पर जब कोई फैसला किया जायगा तो अगर जरूरत हुई तो परिवर्तन किया जायगा।

पीलीभीत में शराब की चार दूकानों का ठेका एक व्यक्ति को दिया जाना

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास इस वर्ष पीलीभीत की ४ शराब की दुकानों के ठेके के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आयी हैं ? अगर आई हैं, तो उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार के पास पीलीभीत की ४ शराब की दुकानों के ठेके के संबंध में इस वर्ष कोई शिकायत नहीं आई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी के पास इन दुकानों के ठेके के सम्बन्ध में पिछले साल कोई शिकायत आई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—पिछले साल की तो इस वक्त मेरे पास इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इन चारों शराब की दुकानों का ठेका इस साल एक ही व्यक्ति को दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस साल ऐसा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक ही व्यक्ति को ४ दुकानों का ठेका देकर नियमों के विपरीत कार्यवाही क्यों हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—नियमों में यह है कि 'आर्डिनरिली' यानी आमतौर से एक आदमी को न देना चाहिये लेकिन पीलीभीत की कुछ ऐसी हालत हो गई थी कि वहां यह मालूम हुआ कि सरकार का फायदा इसी में है कि एक आदमी को ही सब का ठेका दिया जाये और अलग अलग न दिया जाय।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जौनपुर जिले में नाजायज शराब बनती है और वह आसपास के जिलों में भी सप्लाई होती है ?

श्री अध्यक्ष---मूल प्रश्न तो पीलीभीत के संबंध में है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पीलीभीत में किसी एक व्यक्ति को ठेका देने से सरकार को क्या एक्सट्राआरडिनरिली फायदा हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त वह रक़म तो मेरे पास नहीं है कि कितना फायदा हुआ लेकिन यह हुआ कि वहां के लोग जो ठेका लेने के लिये थे उन्होंने आपस में एक Combine कर लिया था और वह चाहते थे कि क़ीमत ज्यादा बढ़ने नहीं पाये। इसलिये दूसरे आदमी को बाहर से बुलाया गया और उसे ठेका दिया गया ताकि उस कंबाइन को खत्म किया जा सके।

झांसी व गोरखपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

*२६---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल एसोसियेशन की ओर से झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध गत वर्ष कुछ आवेदन-पत्र उसके पास आये थे ? यदि हां, तो उसने उनके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, आवश्यक जांच करने के बाद झांसी एलेक्ट्रिक फ्लोर मिल असोसिएशन को उचित उत्तर भेज दिया गया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने एसोसियेशन की कौन-कौन सी शिकायतें रफा कीं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---एसोसियेशन की जो शिकायतें थीं वह रेट्स की बाबत थीं, उसका जवाब उनको दिया गया कि जो कंपनी का लाइसेंस है चूंकि उसने उसके मुताबिक कार्यवाही की है लिहाजा उनके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त बिजली कंपनी फ्लोर मिल वालों से ३ आना ३ पाई पर यूनिट चार्ज करती है जब कि आमतौर पर १ आना ३ पाई और १ आना ६ पाई चार्ज किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---हर कंपनी के चार्ज मुख्तलिफ हैं लिहाजा यह दलील नहीं दी जा सकती कि वहां इतना चार्ज क्यों है और झांसी में जितना है उसके मुताल्लिक़ मैंने अर्ज किया कि हमने जवाब भेज दिया है कि वह उनके लाइसेंस के मुताबिक है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक और जगहों की भी शिकायतें हैं, अगर हैं, तो उनके मुताल्लिक क्या किया जा रहा है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---मेरे नजदीक तो सिर्फ दो ही ऐसी जगहें हैं, एक तो गोरखपुर और दूसरे झांसी। तो गोरखपुर की जो शिकायत आई थी उस वक्त न तो मुझे जबानी याद है और न मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि मैंने उस शिकायत का क्या किया।

श्री रामसहाय शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि झांसी इलेक्ट्रिक पलोर मिल के लोगों ने झांसी बिजली कंपनी के खिलाफ़ कई दिन तक हड़ताल की थी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---हां, की थी।

श्री भगवान सहाय---क्या यह बात सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने सरकार की आज्ञा के खिलाफ रेट्स ऊंचे बढ़ा लिये हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---ग़लत है।

गांव सभाओं या ग्राम समाजों के मुक़दमों की सरकारी वकीलों द्वारा पैरवी

*२७---श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रामसभाओं या ग्राम समाजों के मुकदमों की पैरवी के लिये जिले के हर तहसील में जो सरकारी वकील नियुक्त किये गये हैं उनके वेतन और भत्ते का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री सैयद अली ज़हीर---सरकारी वकीलों को, जो कि हाकिम परगना या तहसीलदार के इजलास में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने के लिये नियुक्त किये गये हैं वेतन या किसी प्रकार के भत्ते नहीं दिये जाते हैं किन्तु उन लोगों को गांव सभाओं के गांव समाज से संबंधित मुकदमों की पैरवी करने के लिये वह फीस दी जाती है जो रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल तथा सिविल कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत निर्धारित हैं। इन नियमों के अनुसार मुकदमों की फीस कम से कम पांच रुपया निर्धारित की गयी है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन गांव समाजों के मुकद्दमों की पैरवी के लिये जो वकील डिस्ट्रिक्ट के हैडक्वार्टर्स पर मुकर्रर किये गये हैं उनको तहसीलों के मुकदमों की पैरवी करने के वास्ते कोई भत्ता सरकर देगी ?

श्री सैयद अली ज़हीर---जहां तक मुझे याद है मैंने जवाब में कहा है कि भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे इन वकीलों का मुकदमे की पैरवी के लिये सम्मन निकलवाने के लिये, गवाहों की तलबी के लिये किस तरीके का इंतजाम किया गया है ?

श्री सैयद अली ज़हीर---मैं यह सवाल समझा नहीं। वकीलों का इंतजाम एक है, गवाहों की तलबी और सम्मन निकलवाना दूसरी चीज है, उनका दोनों का क्या वास्ता है।

श्री अध्यक्ष---(श्री इस्तफा हुसैन से) आप साफ कर दें अपना सवाल।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---यह मुकद्दमें जिनकी पैरवी सरकारी वकीलों के जरिये से होती है उनके गवाहों की तलबी के लिये और गवाहों का सम्मन निकलवाने के लिये और उन मुकद्दमों की कोर्टफीस वगैरह दाखिल करने का क्या इंतजाम किया गया है ?

श्री सैयद अली ज़हीर---मुझे मालूम नहीं। मेरा यह ख्याल है कि गांव समाज उसका इंतजाम करेगा।

श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हर जिले में पंचायतों के मुकद्दमों की पैरवी करने के लिये कोई मुख्तारआम पंच रखा जायगा ?

श्री सैयद अली ज़हीर---ऐसा तो कोई मामला इस वक्त विचाराधीन नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन मुकद्दमों की पैरवी के लिये और कागजात वगैरह की नकल के लिये सरकार की तरफ से मुफ्त सहायता दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है ऐसा हो। मुझे ठीक मालूम नहीं।

*२८-२९—**श्री रामहेत सिंह**—[स्थगित किये गये।]

काशी के घाटों की मरम्मत तथा उस पर व्यय

*३०—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काशी के गंगा घाटों के जीर्णोद्धार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कौन सी योजना और उस पर क्या व्यय का अनुमान है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सरकार ने बनारस के घाटों के पुर्ननिर्माण के लिये एक स्टीमेट बनवाया है जिसका अनुमानित व्यय ९५.९ लाख रुपया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह पुर्ननिर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी कुछ घाटों का तो काम चल रहा है लेकिन पूरी यह सरकार की योजना नहीं है। तखमीना बनवा लिया गया है घाटों का। लेकिन तजवीज यह की गयी है कि कोई कमेटी बन जाय और रुपया कुछ असरकारी तरीके से, कुछ केन्द्रीय सरकार से लिया जाय और जब रुपया आ जायगा तब काम शुरू होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि काशी के घाटों को बनवाने का प्रश्न सरकार के सामने कब से विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कई सालों से विचाराधीन है, जब से सन् १९४८ में बाढ़ आयी और घाटों को नुक्सान हुआ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि काशी दुनिया का सबसे प्राचीन नगर होने के कारण दुनियां के हर मुल्क के लोग भ्रमण करने के लिये यहां आते हैं और घाटों की दुर्दशा देख कर जाते हैं तो इस देश के गौरव पर धब्बा लगाने का अवसर मिलता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब यह तो इतिहास की बात है कि कौन सा पुराना नगर है। लेकिन कहा यही जाता है कि काशी बहुत पुराना नगर है और यह तो माननीय सदस्य को मालूम होगा ही कि काशी तो पुराना नगर है ही।

श्री राजनारायण—मेरा प्रश्न यह था कि बाहर से जो भ्रमण करने वाले आते हैं वह जब काशी के घाटों की दुर्दशा देखकर जाते हैं तो उससे अपने देश के गौरव पर एक कलंक लगने का अवसर मिलता है। तो सन् ४८ से जब यह सवाल विचाराधीन है तो सरकार इसको जल्दी से जल्दी हल क्यों नहीं करती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार से जितना हो सका और कामों से निकालकर इसमें लगाया। एक घाट, हनुमान घाट की मरम्मत की गयी। दूसरा आनन्दमयी घाट भी बन रहा है और बन जायगा। तीसरे घाट, मोर घाट पर कुछ आयोजन किया गया है और उसके बनाने का प्रबन्ध किया गया है। मगर इतनी बड़ी रकम का प्रबन्ध जब हो जायगा तभी और सब घाट बनाये जा सकते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भी लिखा है कि वह कुछ सहायता दे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। केन्द्रीय सरकार को भी लिखा गया है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार के पास नागरिकों की ओर से भी कोई डेपुटेशन आया था कि नागरिक भी काफी बड़ी तादाद में रकम देने के लिये तैयार हैं यदि सरकार कोई योजना जल्द कार्यान्वित करे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रकम देने की बात तो नहीं कही। डेपुटेशन जरूर आया था। लेकिन अगर नागरिक आधा भी खर्चा देने को तैयार हों तो काम जल्द से जल्द लगाया जा सकता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार अपनी ओर से नागरिकों से चन्दा के लिये अपील करेगी जिस तरीके से कि वह दूसरी बहुत सी चीजों के लिये अपील करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने अभी अर्ज किया कि एक कमेटी बनाने का विचार है और एक प्रेलमिनरी कमेटी हो ही चुकी है। राज्यपाल महोदय स्वयं उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और धनी मानी लोगों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है कि पैसा दें। और इसके लिये कमेटी बन जायगी तो पैसे के लिये भी अपील निकाली जायगी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या घाट बनवाने के सिलसिले में सरकार काशी के नागरिकों के ऊपर टैक्स तो लगाने नहीं जा रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी यह सवाल विचाराधीन है। अभी इस तरह के टैक्स की कोई बात नहीं सोची गयी है।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घाटों के निर्माण के लिये इंजीनियरों से राय ली गयी है ? अगर हां, तो उनकी क्या राय है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, इंजीनियरों से राय ली गयी है। चीफ इंजीनियर साहब उसे देखकर आये और यह उनकी राय है जो मैंने अभी बताया। पहले जो सोचा गया था उसमें और खर्च पड़ता था। इंजीनियर साहब की राय से ही यह तखमीना बनाया गया है जो मैंने ९५ लाख ९० हजार रुपये का बताया।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या सरकार बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार का क्या उत्तर आया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---दो मर्तबा केन्द्रीय सरकार ने इन्कार कर दिया कि हम कोई मदद नहीं देंगे। तीसरी बार फिर लिखा गया है कि वह इस पर फिर विचार करे और इसमें हमको कुछ मदद दे।

श्री पद्मनाथ सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन घाटों के साथ माधोदास का धौरहरा जिसका कि एक अंग गिर गया है, उसके भी निर्माण का विचार सरकार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने बताया कि घाट तो सभी बन जायेंगे। एक तो बन चुका और एक और बनाया जा रहा है और मीरघाट बनाने का विचार है। उसका अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---इन घाटों के बन जाने के बाद जो पंडे लोग वहां पर बैठेंगे, उनसे कोई टैक्स लेने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं।

श्री झारखंडे राय---क्या यह सही है कि किन्हीं विशेषज्ञों ने यह मत प्रकट किया है कि गंगा की धारा ने घाटों की नींव को बिलकुल खोखला कर दिया है और अगर बहुत दिनों तक मरम्मत नहीं हुयी तो सारे घाट गिर जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हां, एक खतरा तो है ही। लेकिन ऐसी बहुत जल्दी गिरने की बात नहीं है ।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या सरकार के पास कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कोई प्रपोजल आया है कि वह सहयोग देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी कोई प्रोपोजल तो नहीं आया है लेकिन दिलचस्पी मालूम होती है माननीय झारखंडे राय जी की ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक कितना रुपया घाटों पर खर्च किया जा चुका है सरकारी कोष से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हनुमान घाट पर २,८१,२०० रुपया और आनन्दमयी घाट पर करीब ५ लाख के खर्च हुआ है ।

श्री पद्मनाथ सिंह ---मैंने यह प्रश्न पूछा था कि काशी में घाटों के अलावा माधोदास का एक धरौरा है जो एक बड़ी ऊंची मीनार है उसका एक अंग गिर गया है मैं पूछ रहा था कि घाटों के निर्माण के साथ साथ माधोदास के इस धरौरा का जो अंग गिर गया है उसके निर्माण पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी वह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काशी के घाटों की दुर्दशा को देखकर फिल्मी कलाकारों ने सहायता के लिये अपील की थी और चंदा भी इकट्ठा हुआ था, क्या सरकार को इसके सम्बन्ध में मालूम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

खैरना-सुपालबाड़ी-अल्मोड़ा मोटर मार्ग बनवाने की मांग

*३१---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास अल्मोड़ा शहर व नैनीताल तहसील की जनता की मांग आयी है कि खैरना-सुपालबाड़ी-अल्मोड़ा मोटर मार्ग का अविलम्ब निर्माण कराया जाय ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार के पास अल्मोड़ा घुरारी सींवलबाड़ी खैरना मोटर मार्ग बनाने के लिये मांग आयी है । इसको श्रमदान द्वारा बनवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता द्वारा श्रमदान से इस सड़क पर कार्य होने पर सरकार कितनी ग्रांट देने का इरादा रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो प्लानिंग कमेटी तय करेगी। आम तौर पर १/३ या २/३ दिया जाता है। जैसा प्लानिंग कमेटी तय करेगी वह दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार की ओर से विभाग ने इस सड़क की सर्वे कर डाली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी सर्वे का प्रबन्ध किया जा रहा है, अल्मोड़ा साइड में हुयी है नैनीताल जिले में उसकी सर्वे का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

मंसूरी-सहारनपुर-बागपत-दिल्ली सड़क का निर्माण तथा उस पर व्यय

*३२---श्री श्रीचन्द्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंसूरी-सहारनपुर-बागपत-दिल्ली सड़क को पक्की बनाने की योजना कब से आरम्भ हुयी और वह सड़क कब तक पक्की बन जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मंसूरी-सहारनपुर तथा गाजियाबाद-दिल्ली के बीच राजकीय मार्ग मौजूद है। प्रथम चरण योजना के अन्तर्गत सरकार ने सहारनपुर से बागपत सड़क निर्माण स्वीकार किया है और १९४७ में कुछ मिट्टी का काम ही शुरू हुआ था कि इस कार्य को आर्थिक संकट के कारण बन्द करना पड़ा। १९-९-५२ से यह कार्य अब बराबर जारी है।

बागपत-गाजियाबाद के बीच सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार ने अनुदान देने का आश्वासन दिया है और आगणन उनकी स्वीकृति के लिये भेजा गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। कार्य की पूर्ति धनराशि की प्राप्ति पर निर्भर है।

श्री श्रीचन्द्र---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर-बागपत सड़क कितनी तैयार हो चुकी है और उसमें क्या व्यय हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सहारनपुर-बागपत सड़क जिसमें विभिन्न काम हुआ है ७६ मील के करीब है। मिट्टी वगैरह तो करीब-करीब पूरे में पड़ गयी है लेकिन ऊपरी कोट तक ३६ मील तैयार और मध्य कोट तक ४२ मील ३ फर्लांग तैयार हुये हैं।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह शेष सड़क कहां-कहां पर टूटी हुयी है और इसके बनाने में क्या व्यय होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कौन-कौन से स्थानों पर कौन सा मील कौन से मील तक टूटा हुआ है, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। अभी मेरे पास मौजूद नहीं है।

सड़क यातायात की मद में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सहायता

*३३---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के यातायात के मद में इस राज्य को कितनी रकम भारत सरकार द्वारा मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---१३.२९ लाख रुपया।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई योजना राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने रखी थी और उसके लिये कुछ मांग की थी कि कितनी रुपया की आवश्यकता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---योजना तो हमारी थी, लेकिन सरकार से जो रुपया मिला, उसकी इत्तला यह आपके पास है, रुपया मांगा गया था, जो मिला है वह आपको बताया गया।

श्री गेंदासिंह---राज्य सरकार ने कितने रुपए की मांग केन्द्रीय सरकार से इस मद में की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हमारी पंचवर्षीय योजना ५२२ लाख, ३६ हजार रुपये की थी और यह योजना भी भेजी गयी थी, उसमें थोड़ी सी ही सड़कों के लिये ग्राण्ट हमको मिली।

शारदा विद्युत गृह लोहिया हेड के रकन्दवाज हरीदत्त की ड्यूटी पर हत्या

*३४---**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा विद्युत् गृह लोहिया हेड (बनवसा) में पहली जुलाई, १९५३ को रात के समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक वरकन्दाज की अपनी ड्यूटी पर हत्या की गई ?

श्री राममूर्ति---जी हां। हरी दत्त नामक एक वरकन्दाज दिनांक १ जुलाई, १९५३ को रात के २ बजे, जब कि वह अपनी ड्यूटी पर था, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घायल कर दिया गया था। उसे तुरन्त लोहिया हेड हास्पिटल को पहुंचाया गया, जहां उसी दिन ७ बजे प्रातःकाल उसकी मृत्यु हो गई।

*३५---**श्री गोवर्धन तिवारी**---क्या मृत व्यक्ति के आश्रितों को सरकार पेन्शन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---वरकन्दाज के आश्रितों की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उनको पेन्शन अथवा ग्रैचुइटी देने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

भिनगा-बहराइच सड़क का पुनर्निर्माण

*३६---**श्री राजकिशोर राव** (जिला बहराइच)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बहराइच की भिनगा-बहराइच रोड की दशा अच्छी नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---भिनगा-बहराइच सड़क का केवल नेवारिया से बहराइच तक, लगभग १५ मील लम्बा भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। इस भाग के १२ मीलों की दशा अच्छी नहीं है।

*३७---**श्री राजकिशोर राव**---क्या निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि उक्त मार्ग से ही जिले में वन की लकड़ी आती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---केवल भिनगा रेंज की वन उपज का लगभग आधा भाग इस सड़क से निर्यात होता है। शेष निर्यात रेल तथा नदी द्वारा होता है।

*३८---**श्री राज किशोर राव**---क्या निर्माण मंत्री उक्त सड़क की दशा सुधारने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बहराइच-देवरिया भाग का पुनः निर्माण किया जा रहा है तथा इस कार्य को यथासम्भव शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

जिला फतेहपुर में आनरेरी रेलवे मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति में विलम्ब

*३९---**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस साल जिला फतेहपुर में आनरेरी रेलवे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जिसको स्पेशल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के भी अधिकार रहा करते थे, अभी तक नहीं हो पाई ?

श्री सैयद अली जहीर---नियुक्ति अभी तक नहीं की गई।

*४०—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली ज़हीर—यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

मथुरा जिले में जैत-सहार सड़क को बनवाने का सुझाव

*४१—श्री रामहेत सिंह—क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में वृज के महत्व को ध्यान में रख कर जो लाखों यात्री दर्शन करने आते हैं वे अधिकतर नन्दगांव बरसाने का सीधा रास्ता जैत-सहार सड़क ही का उपयोग करते हैं?

श्री गिरधारीलाल—यात्री अधिकतर मथुरा से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान गोवर्धन द्वारा बरसाना नन्दगांव तक पक्की सड़क का उपयोग करते हैं जिसमें लारी तथा बस की सुविधा होने के कारण समय कम लगता है। मथुरा से सीधे बरसाना-नन्दगांव जाने वाले पैदल यात्री जैत-सहार होते हुये जाने वाली कच्ची सड़क का भी उपयोग करते हैं परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है।

*४२—श्री रामहेत सिंह—यदि हां, तो क्या उस सड़क को बनवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—मथुरा-गोवर्धन-बरसाना पक्की सड़क मौजूद होने के कारण जो केवल ३ मील अधिक लम्बी है सरकार जैत-सहार-बरसाना कच्चे मार्ग को पक्का बनाने का कोई विचार अभी नहीं रखती है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री कमलासिंह—[स्थानान्तरित किया गया।]

अनुपूरक अनुदानों पर विवादार्थ निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में सूचना

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सप्लीमेंटरी बजट के लिये १३ तारीख मुकर्रर हुई थी, तो वही तारीख रहेगी या उसमें कुछ तब्दीली होगी, उसकी सूचना जानना चाहता हूं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—उसकी तब्दीली की बाबत जाब्ते में इत्तला जनाब के पास आज पहुंच रही है।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास इत्तला आ जाने पर, मैं सदन को बता दूंगा, क्योंकि उसमें नियम यही है कि नेता सदन, यानी मुख्य मंत्री तथा मैं इसके ऊपर विचार करके कोई तारीख निश्चित करें। अगर कोई परिवर्तन होगा तो मैं इस सदन को सूचित करूंगा आज ही, वरना १३-१४ तारीख ही, जैसा मैंने बताया था, वही रहेंगी।

राजा वीरेन्द्रशाह—आप से प्रार्थना यह है कि जनरल डिस्कशन के लिये सिर्फ़ एक दिन दिया गया है। जब इस पर विचार हो रहा है तो मैं आप के द्वारा सरकार से कहूंगा कि एक दिन में सारे सप्लीमेंटरी पर विचार होना असम्भव है। इसलिये एक दिन अगर और दे दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—एक ही दिन दिया जाता रहा है और अब की दफा तो मैं समझता हूं कि अनुदानों की बहुत छोटी सी रक़म है। कम से कम मैं माननीय सदस्य की जो राय है उससे सहमत नहीं हूं इसलिये मैं उनकी मांग पर जोर नहीं दूंगा।

सदस्यों के भाषणाधिकार के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, कल यहां पर जो एक राय माननीय अधिष्ठाता ने दी थी उसके सम्बन्ध में मैं आपकी स्पष्ट रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, कल जब यहां पर माननीय जोरावर वर्मा जी ने एक संशोधन रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट बिल पर उपस्थित किया तो उस समय मैं खड़ा हुआ लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय अधिष्ठाता की नजर मेरे ऊपर न पड़ सकी और उसी समय उन्होंने माननीय बनारसी दास जी को इस बात की इजाजत दे दी कि वह अपनी राय उस संशोधन पर दें। उसके बाद मैं अपने स्थान पर खड़ा हुआ और जहां तक मुझको याद है मैं अकेला ही ऐसा सदस्य था जो इस सदन में उस समय खड़ा था और माननीय जोरावर वर्मा जी मेरे ही समक्ष बैठे हुये थे। लेकिन माननीय अधिष्ठाता ने मेरे दुर्भाग्यवश मुझे खड़ा देख कर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी और माननीय जोरावर वर्मा जी जो उस समय बैठे हुये थे उनसे कहा कि वह माननीय बनारसी दास जी का उत्तर दें। तो मैंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि चूंकि यह माननीय बनारसी दास जी की पहली अपीनियन है और इस सदन में ऐसा होता रहा है कि अगर किसी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने बीच में राय दी तो उसके बाद भी माननीय सदस्य विवाद में भाग ले सकते हैं और कोई क्लोजर मोशन वगैरह भी नहीं था तो उस समय मैंने अधिष्ठाता महोदय का ध्यान आकर्षित किया और माननीय अब्दुल मोईज खां ने भी नियम १८५ (३) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन फिर भी मेरे दुर्भाग्यवश माननीय अधिष्ठाता ने मुझे उस संशोधन पर बोलने की आज्ञा नहीं दी। मैं यह समझता हूं .....

श्री अध्यक्ष—अब आप बहस तो नहीं कर सकते हैं। आप मुझे फ़ैक्ट्स बता दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कल विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने एक पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में मेरा निर्णय चाहा था। ये सब मामलात उन्होंने मेरे सामने रख दिये थे। इसके बाद मैंने अधिष्ठाता जी से आज सवेरे बातचीत की तो यह प्रतीत हुआ कि श्री जोरावर वर्मा अपना संशोधन जो पेश कर चुके उसके बाद किसी सदस्य के बोलने की इच्छा उनको दिखलायी नहीं दी, ऐसा उनको प्रतीत हुआ और उन्होंने किसी माननीय सदस्य को खड़ा होते नहीं देखा या उनकी नजर नहीं पड़ी। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने किसी को उस वक्त खड़ा हुआ देखा नहीं। इसलिये उत्तर देने के सम्बन्ध में भी जोरावर वर्मा को उन्होंने इस कारण नहीं बुलाया कि चूंकि माननीय जोरावर वर्मा स्वयं एक सशोधन पेश कर चुके थे और तत्काल स्वयं ही उसका उत्तर कैसे दे सकते थे। चूंकि कोई भी सदस्य उस पर बोला नहीं था इसलिये उन्होंने अन्तिम बार मंत्री जी को यह मौक़ा दिया कि अगर उनको कुछ कहना हो तो वह कहें। इसके बाद नारायणदत्त जी खुद खड़े हुये और वह बोलना चाहते थे। तो चूंकि अधिष्ठाता जी ने इस भावना से मंत्री जी को बुलाया था कि वह अन्तिम उत्तर दें इसलिये उसी भावनावश, ग़लतफ़हमी में उन्होंने नारायणदत्त जी को इजाजत नहीं दी। उस वक्त यह हो सकता था कि मंत्री जी का जो भाषण हुआ उसको मध्यवर्ती भाषण या इन्टरवेन्शन मान कर यह फ़ैसला होता कि नारायण दत्त जी उसके बाद बोलें और अन्त में श्री जोरावर वर्मा के उसका उत्तर देने के बाद मंत्री जी को फिर से बोलने की इजाजत दी जाती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

यही प्रथा यहां की रही है और यही रहेगी आइन्दा भी। लेकिन चूंकि यह ग़लतफ़हमी में हो चुका उसके लिये मुझे तो खेद है। मैं अपनी तरफ से और चूंकि अधिष्ठाता मुझमें ही सम्मिलित हैं इसलिये मैं उनकी ओर से भी खेद अवश्य प्रकट करना चाहता हूं कि ऐसी बात हो गयी और प्रथा के विपरीत बात हुई।

इसलिये आइन्दा के लिये यह स्पष्ट सदन को बता देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो जब बीच में पहली मरतबा बोलें, तो उनका वह भाषण मध्यवर्ती भाषण समझा जायगा और उसके बाद जो संशोधन उपस्थित करने वाले सदस्य हैं उनको मौका तब दिया जायगा जब कि और बोलने वाले मौजूद न हों या प्रश्न उपस्थित कर दिया गया हो (क्लोजर का) कि अब वाद-विवाद समाप्त हो जाय, और अगर सदन की यह राय हो जाय कि इस पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय, तो उसके बाद कोई भी सदस्य खड़ा रहे, उसको बोलने की इजाजत नहीं दी जायगी। बल्कि केवल उत्तर की ही इजाजत इस विषय में मिलेगी।

यह स्पष्टीकरण मैं इसलिये दिये देता हूं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा समय आता है कि जब अन्य अधिष्ठाता वर्ग से जब कभी वे पीठारूढ़ हों इस विषय में रूलिंग मांगी जाय। लेकिन मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि जिस वक्त एक फैसला अध्यक्ष का हो, उसको सदस्यों को तत्काल मान ही लेना चाहिये क्योंकि छोटी मोटी बातों में तत्काल विरोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो यह प्रयत्न करूंगा और अधिष्ठाता वर्ग भी प्रयत्न करेगा, और मुझे आशा है कि इसी तरह से हमारे उपाध्यक्ष भी प्रयत्न करेंगे कि अगर कोई ग़लती हो जाय, तो हम स्पष्ट रूप से सदन से कह दें कि गलती हुई और अपनी जो रूलिंग है उसमें परिवर्तन करें। जो मेरा कर्त्तव्य है वही अगर अधिष्ठाता जी यहां पर मौजूद होते तो वह स्वयं अपनी ग़लतफहमी जो हुई, उसके बारे में करते और स्वयं अपना खेद प्रकट कर देते।

मैं समझता हूं कि इसके द्वारा इस सदन की और इस पद की दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती है इस सच्चे रास्ते पर काम करने से।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, एक प्वाइंट हमारे पत्र का और रह गया। कृपया उस पर भी भाष्य कर दें।

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में तो मेरा स्पष्ट मत है कि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी वक्त में भी मंत्री बैठे भी हों तो उनकी राय क्या है, सदन को बताने के लिये उन्हें बुला लें। अब उसमें यह प्रश्न नहीं उठता कि किसी प्रश्न पर क्यों अध्यक्ष ने मंत्री जी को बीच में ही बुलाया था। मंत्री जी को बुलाने पर मंत्री जी ने यह प्रार्थना की थी, संशोधन उपस्थित करने वाले सदस्य से कि वह संशोधन वापस ले लें और वापस लेने के लिये इसलिये कहा गया था क्योंकि विरोधी दल के सदस्यों ने भी संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्य से यह प्रार्थना की थी कि संशोधन वापस कर लें। उसी को मंत्री जी ने अपने भाषण में दोहराया और उनका भाषण भी मध्यवर्ती भाषण था, इसलिये मध्यवर्ती भाषण के बाद अगर कोई बोलने की इच्छा प्रकट करता तब तो उनको इजाजत देने का प्रश्न उठता। लेकिन चूंकि मंत्री जी ने संशोधन करने वाले माननीय सदस्य से अपील संशोधन वापस ले लेने की उसके बाद तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ, हां, कांग्रेस दल की तरफ से मैं समझता हूं कि पहले लोग खड़े हुये थे लेकिन जब मंत्री जी ने अपील की तो उनके बोलने के बाद कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ। जब नहीं खड़ा हुआ तो यह शिकायत हो ही नहीं सकती कि किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी गयी। बोलने की इजाजत तब हो सकती थी जब कि कोई माननीय सदस्य मंत्री जी के भाषण के बाद भी खड़े हो जाते। पहले खड़े होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर बहस चलाने का सवाल होता तो यह प्रश्न भी हो सकता था, लेकिन बहस चलानी नहीं थी, बल्कि एक प्रार्थना की गयी कि संशोधन वापस ले लिया जाय और सदस्य

ने उसे वापस ले लिया। इसलिये यह प्रश्न इस सम्बन्ध में उठता ही नहीं कि किसी को इजाजत क्यों नहीं दी। इसलिये उसके बारे में यही मेरा निर्णय है कि अधिष्ठाता ने उस समय जो निर्णय दिया वह सही था। उन्होंने एक तरीका बरता है जिस तरीके से सदन का समय नष्ट न हो, बल्कि यदि संशोधन की वापसी ही हो तो जल्दी से जल्दी वापस हो जाय जिसमें उस पर बहस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है और फिर जब विरोधी दल के सदस्यों ने यही चाहा था और उनके सुझाव को स्वीकार किया गया था तो आपत्ति की कोई बात ही नहीं रह जाती।

श्री राजनारायण---आप के कहने का यह अर्थ तो नहीं है कि बाद में अगर चाहे तो बहस की जा सकती है, अगर क्लोजिंग न हुई हो?

श्री अध्यक्ष---वह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि लोग मान गये थे और बैठे ही रहे, इसलिये उसका कोई प्रश्न उठता नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)---कल माननीय अधिष्ठाता पहली रूलिंग दे चुके थे कि अगर माननीय मंत्री बोल चुके हों तो फिर कोई बोल नहीं सकता, पहली रूलिंग उसमें लागू होती है, तो फिर दूसरा कोई नहीं बोल पायेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं तो फैसला वाकयात पर दे सकता हूं। अगर लोगों के दिमागों में कोई कल्पना रहती है पहली रूलिंग के बारे में तो उस कल्पना को लेकर उत्तर नहीं दिया जा सकता। जो वाकयात गुजरे हैं उनको बतलाया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि दूसरी बार प्रश्न उठा ही नहीं और इसलिये केवल काल्पनिक शंका को लेकर यही कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता।

विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव की सूचना

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैंने नियम १९९ के अनुसार इस नियमावली में कुछ संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, उसके बारे में आपकी क्या आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष---अभी शायद आपने उसे दिया है। उसे पढ़ लेने पर मैं सदन में खुद किसी वक्त उसका जिक्र कर दूंगा। मैंने उसे पढ़ा भी नहीं है।

उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक, १९५४

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश तकावी विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४९-१५३ पर।)

*यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड ८ (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---कल माननीय गेंदासिंह जी का जो संशोधन था उस पर बोल रहा था खंड ५ मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा

---

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†७ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री राजनारायण]

५–ए के रूप में बढ़ा दी जाय, इसकी अनावश्यकता के बारे में मैं सदन में निवेदन कर रहा था। मेरा कहना यह था कि जो १/३ सन् ४६ के बाद के एसेसमेंट और सन् ४६ के पहले के एसेसमेंट के अन्तर का बढ़ाया जा रहा है, वैसा चाहे सरकार की ओर से न कहा जाय, लेकिन अल्टीमेटली (अन्त में) उसको किरायेदारों को देना होगा। उसका बोझ किरायेदार पर पड़ता है और मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई भी सदस्य ऐसा न होगा जो कि मेरे इस मत से सहमत न हो कि यह बात बिल्कुल साफ हो गयी है कि किराये में १/३ बढ़ाने का नाम न लेकर जो किरायदार के किराये के साथ सूरत रक्खी जा रही है उसका बोझ किरायेदार पर ही पड़ेगा। अब सवाल यह आ जाता है कि मेरे इसका विरोध करने का मतलब क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। वह यह है कि जितनी भी सहूलियत मकान मालिकों को दी गयी है उस तमाम सहूलियत को देखने के बाद भी हम यह देखते हैं कि मकानों की संख्या कहीं नहीं बढ़ पाती है। जब हम देखते हैं कि एकोमोडेशन का सवाल हल नहीं हो पाता और इस बात की सरकार के सामने भी परेशानी रहती है, जब इन किरायेदारों को बसाने का सवाल उठ खड़ा होता है तो बराबर यह सवाल आता है कि एकोमोडेशन की कमी है। अब जो आंकड़े निकले हैं अगर उनको देखा जाय तो मालूम होगा कि मकानों की कितनी कमी है। कबाल टाउन्स में इस साल मकानों की कितनी कमी है अगर इसको देखा जाय तो यह ज्ञात होगा कि चाहे वह कानपुर हो या बनारस हो या आगरा सब जगह पर मकानों की कमी है और वह कमी करीब ८९,२१५ मकानों की कमी है। जिस रूप में आबादी बढ़ी है अगर उसको देखा जाय और सन् १९४१ ई० के मुकाबले में उसकी तुलना की जाय तो कानपुर में ४८,७२४, इलाहाबाद में ७,४०२, बनारस में १२,८३३, आगरा में १२,५०६ और लखनऊ में ७,७५० यानी यह कुल ८९,२१५ मकान की कमी इन कबाल टाउन्स के लिये है। अगर हम आबादी को देखें कि पिछले इन १० सालों के अन्दर कितनी बढ़ी है तो वह कानपुर में ६६ फीसदी, इलाहाबाद में ३४.६, बनारस में ३३.७, आगरा में ४५.२ और लखनऊ में २८.३ प्रतिशत के हिसाब से आबादी बढ़ी है। तो इन आबादी बढ़े हुए शहरों में लोगों को मकान देने के लिये सरकार हमारे सामने कौन सा हल रखने जा रही है जिससे यह मकानों की समस्या हल हो सके। अगर उस रिपोर्ट को देखा जाय जो रेंट कंट्रोल की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट में भी इस बात को मान लिया गया है और जब यह रेंट कंट्रोल ऐक्ट सन् १९४७ में बना था उस समय यही इच्छा थी कि ज्यादा दिन तक यह नहीं रखा जायगा और जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जायगा। मगर यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसके मुताबिक ४ वर्ष का समय सरकार ले रही है। अब ४ वर्ष तक किसी संशोधन के लाने की जरूरत नहीं होगी। जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है क्या इस विधेयक में कहीं भी इस बात की गुंजाइश है जिसके मुताबिक हम शहर में रहने वालों की मुसीबत दूर कर पायें। सरकार किराया बढ़ाना चाहती है अगर वह चाहती है तो बढ़ा दे। मगर उस किराये को बढ़ा देने मात्र से शहरों में रहने वालों की समस्या कैसे हल होगी। जब समस्या हल होने नहीं जा रही है तो फिर यह सरकार समानता के आधार पर चल रही है इस बात को हम कैसे मान लें। समानता का सिद्धांत क्या है। जब सरकार समामता का सिद्धांत रखेगी तो वह समानता ४१, ५१, ६१ के आधार पर नहीं लगायी जा सकती। समानता तो इस तरह से लगायी जायगी कि हर एक इन्सान को मौलिक आवश्यकताओं के अनुकूल पूर्ति होती है या नहीं। जो इन्सान आज जितना पैदा कर रहा है वह उसके मुताबिक आज पा रहा है या नहीं। श्रीमन्, हमने इस सदन में कई बार अपने मत को स्पष्ट कर दिया है। आज समानता का सिद्धांत वही माना जा सकता है जो यथार्थ में सत्य हो वह समानता तभी मानी जा सकती है जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां में जितनी धन पैदा होती है उसको दुनियां में जितनी आबादी है सबको समान रूप से उसको विभाजित कर दिया जाय। इस प्रकार एक आदमी की जो औसत आमदनी पड़े और एक आदमी जितना कम से कम पाता हो दोनों का अन्तर ही गरीब का शोषण है। जहां पर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर शासन करे या एक आदमी

दूसरे व्यक्ति का शोषण करे यह वहां समानता वहा का सिद्धांत कैसे माना जा सकता है। अगर सही समानता हो तो वह ऊपर से लेकर नीचे तक दिखायी पड़ती है। इसलिये मैं ज्यादा समय न लूंगा मगर इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मकान बनाने के प्रश्न को माननीय मंत्री जी देखे कि इन कबाल टाउन्स में जो मकानों की कमी है और मकान मालिकों के लिये जो वह वृद्धि करके एक लालच दे रही है कि इतनी वृद्धि सरकार किराये में कर रहे हैं तो क्या वह समस्या हल हो सकेगी तब जो नये मकान बने उनको अगर देखा जाय, तो हम यह पायेंगे कि जो नये मकान बनें उनकी संख्या सन्वार इस प्रकार है :—

स्थान	सन् ५१	सन् ५२	सन् ५३
आगरा	३४६	३०४	११८
बनारस	१२२३	५३९	४८६
कानपुर	१३१८	१००७	८५०
लखनऊ	८८२	४३७	३९०

जरा इस संख्या को देखा जाय तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह जो मकान मालिकों को सुभीता देने के लिये किराये में वृद्धि करने जा रही है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे न तो इक्विटी (समानता) का ही प्रिंसियल पूरा होता है और न मकान मालिकों की ओर से नये मकान ही बनाये जायेंगे। इससे हम यह समझ सकने में असमर्थ हैं कि क्यों सन् ४६ से पहले और बाद के टैक्स के अन्तर का एक तिहाई बेचारे किरायेदारों पर लादा जा रहा है। सरकार की ओर से इसका कोई औचित्य अगर हमारे सामने रखा गया होता तो हम समझ सकते कि इसके अनुसार मकान मालिकों को किराया बढ़ाना चाहिये। लेकिन उसके औचित्य पर न तो सरकार की ओर से, न रेंट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखने से और न भाषणों को सुनने से ही कोई प्रकाश पड़ता है जिससे कि हम एक तिहाई बढ़ोत्तरी का समर्थन कर पाते। इसलिये सरकार से हम यह निवेदन करते हैं कि सरकार इस क्लाज को हटा ले जो पहले का किराया है वही किरायेदार के लिये काफी बोझ है। मैं अन्तिम रूप में यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर उनके दिमाग में अब भी इक्विटी का सवाल हो तो इक्विटी के लिये उन्हें यह भी देखना होगा कि किस मकान में कौन किरायेदार कितने दिनों से कितना किराया दे रहा है और जितना ज्यादा किराया देता रहा है उसके द्वारा मकानदार के पास कितनी रकम एक्यूम्युलेट (एकत्रित) हुयी है। अगर हिसाब लगाकर देखा जाय तो यह भी मालूम होगा कि मकान मालिक ने किरायेदार पर जोर जुल्म करके (मकान बनाने में, जमीन के मोल लेने में तथा रीजनेबिल रेंट के फिक्स कराने में, अगर सब को देखा जाय) न जाने कितना रुपया वसूल कर लिया होगा। तो जब कभी सरकार इक्विटी के प्रश्न पर विचार करे तो उसको इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। अगर सरकार मकान मालिकों के सामने इसको रखे तो "सूझ जुआरिहु आपन दाऊ" के अनुसार एक तिहाई ही उन्हें ठीक मालूम होगा, लेकिन अगर सरकार उनके सामने मानवता के सिद्धांत को रखे, समानता के सिद्धांत को रखे और भाईचारे के सिद्धांत को रखे तथा उनको यह भी बताये कि धन कौन पैदा करता है, किसकी कमाई सब लोग खा रहे हैं तो मैं समझता हूं मकान मालिक भी इस पर सहमत हो जायेंगे और कहेंगे कि वाकई किराया बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मकान मालिकों को, किरायेदारों को और सामान्य नागरिकों को समझाये और सद्बुद्धि से काम ले तो उसे मकान मालिकों के रंजीदा होने का खतरा भी न रहेगा और किरायेदारों की मुसीबत भी न बढ़ेगी तभी न्याय हो पायेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार जो संशोधन लाई है उस पर जोर न देगी।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं कि अब इस पर बहस समाप्त की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं इसका विरोध करता हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११७

विपक्ष में—२१ ।)

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मेरे सम्मानित मित्र श्री राजनारायण जी ने इस नये संशोधन का जो कि इस विधेयक में उस कमेटी की सिफारिश से रखा गया था जिसे उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इन तमाम बातों पर विचार करने के लिये नियुक्त किया था, विरोध किया । मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि इस संशोधन का विरोध माननीय गेंदा सिंह जी ने किया । जहां तक माननीय राजनारायण सिंह जी का सम्बन्ध है उनसे तो मैं ऐसी आशा रखता था कि वह इसका विरोध करेंगे और इस आशा का बहुत दिनों से यह कारण बनता गया है कि जब से श्री राजनारायण जी ने दाढ़ी रख ली है तब से उनकी दाढ़ी उनको रेशनल थिंकिंग से दूर ले जाती है और सही मार्ग से विचलित करती है लेकिन श्री गेंदा सिंह जी के बारे में मैं सदा दूसरी राय रखता रहा हूं । मैं माननीय राजनारायण सिंह जी से समय-समय पर इसी प्रकार कहता भी रहता हूं । इसलिये वह मेरा इस कथन की धृष्टता को क्षमा करेंगे । उन्होंने जब इस कमेटी की सिफारिशों को सदन में अपनी बात को सिद्ध करने के लिये उपस्थित किया था तो उन्होंने उस सिफारिश को पढ़ कर नहीं सुनाया जिसमें कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक तिहाई वृद्धि उन टैक्सेज में जो कि सन् ४६ के बाद विभिन्न म्युनिसिपैलिटियों द्वारा विभिन्न शहरों में लागू कर दिये गये हैं किरायेदार को स्वयं देना चाहिये । उन्होंने सदन के सामने ६ सफे पर जो दूसरा पैरा है उसको पेश किया होता तो इतनी लम्बी चौड़ी बहस जिसका जिक्र उन्होंने किया उसकी आवश्यकता उनको प्रतीत न हुयी होती । मैं आप की आज्ञा से उस सिफारिश को सदन के सामने पढ़कर सुना देना चाहता हूं । वह यह है कि—

"We think that the position about the rents of accommodations was carefully considered by the State Government and the Legislature before enacting this legislation in 1947. They, perhaps, taking into account the increased cost of maintenance of houses, etc.,

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी उतना ही हिस्सा पढ़ें जिस का अनुवाद वह हिन्दी में कर सकते हों।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं सब का अनुवाद कर दूंगा ।

"Had allowed a premium of 25 percent on the assessment of 1942 in fixing the 'reasonable rent'. So we would be on the safe ground, if we take that the need for raising the rent arising out till 1946 has justly been met by this increase. It is, thereofore, recommended that the increase in local taxes of houses since 1946 should be shared by the landlord and the tenant in the proportion of 2/3rd and1/3 respectively. According to this, the definition of 'reasonable rent' would be something like the following :

'Reasonable annual rent' in the case of any accommodation constructed before July 1, 1946 means its municipal assessment of 1942 plus 25 per cent, thereon plus1/3rd of local taxes, levied on it in excess of those prevalent on July 1, 1946".

तो इस पैरा में जो कमेटी की सिफारिश है वह यह है कि जहां तक एकोमोडेशन के रेन्ट्स का सम्बन्ध है सन् ४७ में लेजिस्लेचर ने और स्टेट् गवर्नमेंट ने गम्भीरता से विचार करके तै किया था कि सन् ४२ के असेसमेंट के ऊपर २५ प्रतिशत और प्रीमियम किराये के ऊपर किरायेदारों को देने की सिफारिश की थी और इस प्रकार के किरायों को रीजनेबिल रेन्ट के नाम से सम्बोधित किया था। इसलिये हमारे लिये यह एक आसान सवाल हो गया कि अगर हम यह सिफारिश करें कि सन् ४६ के बाद जो टैक्सेज में वृद्धि हुयी है उस वृद्धि का दो तिहाई मालिक मकान और एक तिहाई किरायेदार मकान किराये के साथ मकान के मालिक को अदा करे। जो रीजनेबिल रेण्ट की डेफिनिशन निकलती है वह इन शब्दों में है जिन शब्दों को मैंने अभी सदन के सामने पढ़कर सुनाया है। जिस कमेटी को सरकार ने नियुक्त किया था उस में कोई ऐसे व्यक्ति तो थे नहीं जिन के बड़े-बड़े मकानात हों या जो किराये पर मकान दिया करते हैं बल्कि उस कमेटी के ज्यादातर सदस्य ऐसे व्यक्ति थे जिन के पास शायद इस दुनिया में कोई मकान नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों ने सिफारिश की है और इस कारण से की है कि वे इसे न्याय संगत या इक्वीटेबिल समझते हैं कि किरायेदार उन स्थानों पर जहां टैक्सेज की बढोत्तरी १९४६ के बाद बहुत हो गई है वहां इन टैक्सेज की बढ़ती में से १/३ किरायेदार दे। मैं सदन के सामने यह भी कहना चाहता हूं बहुत सी जगह म्युनिसिपैलिटियों में यह प्रथा है कि किरायेदार ही टैक्सेज को पूरी तरह से अदा करे, कुछ जगह प्रथा यह भी है कि मकान के मालिक ही टैक्सों को अदा करते हैं। तो यह सिफारिश कमेटी की उन स्थानों के लिये है कि जहां मकान मालिक को स्वयं टैक्स देना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि १९४६ में जब कि स्वयं सदन ने १९४२ के एसेसमेंट के ऊपर २५ फीसदी किराये में बढ़ती मंजूर कर दी थी अब सन् ४६ के बाद टैक्सेज में बढ़ोत्तरी हो गयी है तो क्यों न किरायेदार, उन टैक्सेज में से जिन्हें म्युनिसिपैलिटी लगाती है और जिनके तहत में किरायेदार बहुत से सुभीते प्राप्त करता है, कुछ हिस्सा बढ़ोत्तरी का स्वयं न दे? मैं समझता हूं कि जो सिफारिश इस कमेटी ने की थी वह न्यायसंगत है और वास्तविकता की बुनियाद पर है आज यही नहीं है कि बड़ी संख्या में मकानों के मालिक सिर्फ बड़े-बड़े लैण्ड लार्ड्स ही हैं परन्तु गरीब और मामूली हैसियत के व्यक्ति भी लैण्डलार्ड्स हैं इस लखनऊ शहर में हम जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास एक ही मकान है। एक सरकारी कर्मचारी को लीजिये अपने गाढ़े पसीने की कमाई से एक मकान बनवाता है और उसके तबादले के कारण उसका मकान किराये पर उठा दिया जाता है, तो उसने क्या ऐसे व्यक्ति की गणना ऐसे लैन्ड लार्डस से की जावेगी कि जो मकान के किराये से ही अपना पेट भरते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसे आदमियों को इतना सुभीता तो मिलना चाहिये कि जब वह नौकरी से वापस लौटे तो उस समय तक अपने मकान को ठीक हालत में रख सके। यदि माननीय राजनारायण जी की बात मान ली जाय तो उससे क्या हालत उत्पन्न होगी? मैं इसी शहर में जानता हूं कि एक मोहल्ला ऐसा भी है कि जहां रेलवे के मजदूर रहते हैं और उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचा कर अपने बच्चों के लिये मकान बनवा लिये हैं। कभी-कभी वे तबादले पर किसी दूसरे वर्कशाप में भेज दिये जाते हैं और उनके मकान किराये पर उठते हैं। तो यदि माननीय राजनारायण जी का विरोध मान लिया जाय तो उसका मतलब यह होगा कि उस व्यक्ति को इतना भी किराया नहीं मिल सकेगा कि वह उस मकान की पूरी तरह पर रिपेयर्स वगैरह कराने के बाद उसके टैक्सेज दे सके। और जहां वह तबादले पर जावे वहां अपने रहने के मकान का भाड़ा अपने कमाये हुये मकान के किराये के अलावा, भाड़ा और अपनी आमदनी से देवे। कहने का तात्पर्य यह है कि लैन्ड लार्ड शब्द से हमको घबड़ाना नहीं चाहिये। नगरों में लैन्ड लार्ड्स म्युनिसिपैलिटियां हैं, बहुत सी सार्वजनिक संस्थायें हैं जिन्हें दान में बहुत सी प्रापर्टी मिली है और वह उस दान के रुपये से चलती हैं। यदि हम इस तरह की कोई बाधा उनकी आमदनी में डाल देंगे कि जिससे कि वह संस्थायें चल भी न सकें तो क्या यह बुद्धिमत्ता का परिचायक होगा? मैं समझता हूं कि जो सिफारिशें कमेटी ने की हैं वह सिफारिशें कमेटी की अवश्य ऐसी हैं जो कि जस्टिस पर मबनी हैं और हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिये। श्री राजनारायण जी ने यह भी कहा कि किराया तो आप बढ़ा दें लेकिन उससे हमारे

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

नगरों में जो मकानों की कमी की समस्या है वह हल्की नहीं होने वाली है। मैं स्वयं जानता हूं कि आज जिस प्रकार के भाषण राजनारायण जी देते हैं माननीय गेंदा सिंह जी देते हैं वह ऐसा वातावरण पैदा करते जा रहे हैं जिसे जो लोग मकान बनाना भी चाहते हों वह मकान बनाने की अब अभिलाषा रखें नहीं। अगर प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चल जावे कि उसका मकान उसके पास उसके जीवन में ही रहने वाला नहीं है तो क्या यह सम्भव हो सकता कि कोई व्यक्ति मकान बनावेगा? जिस तरह का भाषण राजनारायण जी ने दिया है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है, और मैं कह देना चाहता हूं कि उत्तरोत्तर ऐसी भावना बढ़ती जा रही है कि लोग अपने मकान न बनावें और यही खास वजह है कि रुपए की कमी तो थी ही, जिसकी वजह से मकान नहीं बनते थे अब इन कारणों से भी मकान लोग नहीं बना रहे हैं। मैंने इस सदन में या दूसरे सदन में यह बातें बतायी थीं कि डेथ ड्यूटी के भय से भी लोगों ने मकानों का बनाना बन्द कर दिया है तथा हमारे सामाजिक रहन-सहन के तरीके में परिवर्तन हो जाने के कारण भी नये मकानों का बनना बन्द हो गया है। पहले लोग मकान बनाते थे इसलिये कि उनके बाल बच्चे सामूहिक ढंग से एक मकान में रहें। पर आज का रहन-सहन बिल्कुल बदल गया है। प्रायः लड़का यह चाहता है कि वह अपनी स्त्री के साथ अपने बच्चों के साथ अलाहदा जा कर रहे। तो पिता भी यह समझता है कि जब उसके बच्चे अलहदा रहना चाहते हैं तो एक ऐसा मकान क्यों बनाऊं जो कि उसके बच्चों के बीच में एक झगड़े का कारण बन जावे। जो मकानों के बनवाने का प्रोत्साहन था वह अब घटता जा रहा है। इसलिये मकानों के बनाने की समस्या सरकार को स्वयं ही आगे चलकर हल करनी पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूं। अगर हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में मकान हों और रहन सहन की समस्या हल्की हो तो सरकार को स्वयं मकानों के निर्माण के कार्य को देखना पड़ेगा और तय करना होगा। इसी कारण से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तरोत्तर इस प्रयत्न में लगी हुयी है कि अपने सीमित बजट के तहत में अपने प्रदेश में मकानों को निर्माण करे। इन २-३ वर्षों में करीब-करीब ९ करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत के मकान सरकार ने प्रदेश में बनाये हैं, अपने विभिन्न विभागों के द्वारा मैं यह भी जानता हूं कि यह साढ़े ९ करोड़ रुपए की रकम जो कि मकानों की समस्या के सुलझाने में व्यय हुयी है, कोई बड़ी रकम नहीं है। जैसे आंकड़े सदन में माननीय राजनारायण जी ने तथा नारायण दत्त जी ने उपस्थित किये हैं उनसे यह पता चलता है कि बड़े बड़े नगरों में मकानों की काफी कमी है। अगर हम उन सारे मकानों को बनवाते तो क़रीब क़रीब १८० करोड़ रुपये की हमें आवश्यकता पड़ती। लेकिन यह १८० करोड़ रुपया आज जब कि हम विकास की विभिन्न योजनायें प्रदेश में चालू किये हुये हैं कहां से निकाल कर लायें? तो उत्तर में हमें आवश्यक चीजों को बनाने की प्राथमिकता देनी पड़ रही है और इन सब चीजों को प्राथमिकता देते हुये भी हम मकानों की समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा। यह तो निश्चित है कि अब मकान स्वयं जिनके पास पैसा है वह तो बनायेंगे नहीं। उत्तरोत्तर सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन आता जा रहा है और जो नई विचारधारा हमारे बीच में उत्पन्न होती जा रही है वह लोगों को मजबूर करेगी कि वह मकानों के सिलसिले में सरकार के ऊपर ही आश्रित रहें। मैं राजनारायण जी और गेंदासिंह जी से यह कहना चाहता हूं कि अब मकानों की समस्या के हल करने का बोझा स्वयं सरकार को ही हल करना पड़ेगा। सरकार को हाउसिंग के लिये डिपार्टमेंट कायम करना पड़ेगा और उसकी तहत में यह सब कार्यवाही करनी पड़ेगी और ऐसा विचार सरकार कर भी रही है। आज साधनों की कमी है। पहले तो खाने की समस्या को हल करना है और खाने की समस्या के बाद लोगों के स्तर को ऊंचा करने के लिये उद्योग-धंधों को पनपाने की समस्या को हल्का करना है और उसके साथ साथ फिर हमें इस हाउसिंग की समस्या को भी लेना है। सरकार उस अपनी जिम्मेदारी से भागती नहीं है बल्कि उस जिम्मेदारी को वह उत्तरोत्तर निभाने का प्रयत्न कर रही है। इसलिये इस संशोधन विधेयक में, जो १/३ बढ़े हुये टैक्सों के हिस्से में

से १/३ हिस्सा १९४६ के बाद के बढ़े हुये टैक्सों से किरायेदार से दिलवाने का प्रस्ताव किया गया है, उसे हमें मंजूर करना चाहिये और उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह सिफारिश न्यायसंगत है और यह कोई बेजा सिफारिश नहीं है। मकानों के भावी निर्माण के लिये सरकार ने एक कमेटी माननीय वित्त मंत्री के सभा तित्व में निर्मित की है और वह सब प्रश्नों पर विचार कर के अपनी सिफारिशें देगी मैं इसलिये इन चन्द शब्दों के साथ माननीय राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने इस संशोधन को इस विधेयक से निकाल देने के लिये उपस्थित किया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन हुआ। विभाजन के बीच निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर लाबी में हस्ताक्षर करने की आप आज्ञा दे दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि यह तरीका अच्छा है और ठीक है। इसमें समय बचता है। उस तरह से काफी समय लगता है।

(विभाजन के पश्चात् निम्नलिखित मतानुसार प्रश्न स्वीकृत हुआ—

पक्ष में ९३

विपक्ष में १८।)

खण्ड ९

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ६ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (*b*) में, शब्द "the cost of construction" के स्थान पर शब्द " cost of land and the construction" रख दिये जायं।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, यहां नवां खंड है। मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (b) में शब्द 'कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन' के स्थान पर 'कास्ट आफ़ लैंड ऐंड कंस्ट्रक्शन' रख दिया जाय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। श्रीमन्, अगर मूल अधिनियम की इस धारा को देखा जाय तो वह इस प्रकार है कि—

(b) In the case of accommodation constructed on or after July 1, 1946, the cost of construction and of maintenance and repairs to accommodation, its situation and any other circumstances which the court may consider material.

अब उसकी जगह जहां पर पहले १९४६ की पहली जुलाई के बाद जो एकोमोडेशन की बात थी वहां पर जो रजनेबिल रेंट कोर्ट डिसाइड (तय) करती थी तो वह किन-किन बातों को सामने रख कर करती थी वह इसमें दिया हुआ है। इसमें साफ है कि—

"Cost of construction and of maintenance and repairs to accommodation, its situation and any other circumstance which the court may consider material"

[श्री राजनारायण]

जो उसके बनाने में रक़म लगे, जो उसके रखरखाव और मरम्मत में खर्च हो और मकान की साइट देख कर कोर्ट तय करती थी कि इस मकान का कितना किराया हो। मगर बहुत बारीकी के साथ और सावधानी के साथ इसमें माननीय मंत्री जी ने, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन होंने इस ढंग से संशोधन को रख दिया है कि लोग इसे आसानी के साथ पास कर दें और न मालूम हो कि इससे कितना अहम सवाल उठता है।

मैं निवेदन कर दूं क्योंकि उन होंने विनोद किया था कि अगर वह इतिहास देखें तो मालूम होगा कि बड़े लोगों की दाढ़ी एक प्रमुख स्थान रखती रही है और मैंने जब से दाढ़ी रखी है तब से सरकार को खतरा हो गया है। इसलिये बार बार मंत्री जी सदन में इसकी चर्चा कर दिया करते हैं। वह इसको खतरे की ग्रेविटी समझते हैं। मैं अर्ज कर दूं कि आज क्या कारण हो गया कि कास्ट आफ लैंड यानी जिस जमीन पर मकान बना है, उसकी क़ीमत जो पहले नहीं कूती जाती थी किराये के तय करने में अब वह भी जोड़कर किराया तय होगा। अब माननीय मंत्री जी लैंड की क़ीमत भी किराये को तय करने में जोड़ना चाहते हैं। बनारस का क़िस्सा ले लें तो वहां पर चौक में एक एक मकान का एक-एक हिस्सा १०/२० हजार का होता है। अब वहां अगर किराया तय होगा तो एक बिस्वे की क़ीमत २० हजार के करीब होगी तो कितना किराया बढ़ जायगा। इससे अन्दाजा लग सकता है कि किरायेदार का किराया कितना बढ़ जायगा, बहुत बढ़ जायगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मकानों के किराये तय करने में यह कास्ट आफ लैंड (जमीन का क़ीमत) क्यों जोड़ी जा रही है। इससे क्या किरायेदारों की भलाई हो रही है या ग़रीब लोगों की भलाई हो रही है। मंत्री जी ने बहुत काफी कहा है कि मकान मालिक जो बिचारे छोटे-छोटे, गरीब-गरीब और एक कोठरी वालों की क्या हालत है तो यह छोटे-छोटे मकान-मालिक जहां शहरों में प्रमुख स्थान होता है वहां जगह नहीं पाते हैं वहां तो जगह पा रहा है वह जिसके पास कि काफी दौलत है, सम्पत्ति है और जो पीड़ित और द्रवित समाज है, उसके लिये नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी फिगर्स देखेंगे कि सौ रुपये से ऊपर जिस मकान का किराया है उसमें कितने लोग रहते हैं और सौ रुपये से कम किराये वाले मकान में कितने लोग रहते हैं तो उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो जायगी। आज हमारे सामने है कि—

"In Agra the number of houses with a rental value between Rs. 75/- to Rs. 100/- and those of more than Rs . 100/- per month, are 608 and 2,270, respectively.

यानी आगरा शहर में जहां पर कि ७५ रुपया से सौ रुपया तक का मकान का किराया है वहां ६०८ है और सौ रुपये से अधिक मकानके किराये के २,२७० रहते हैं तो यह जो २,२७० की तादाद है वह ग़रीबों की है? जो बेचारे ग़रीब हैं वह जो एक-एक कोठरियों में बसने वाले लोग हैं यह क्या उनकी तादाद है? जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन (व्यापारी) हैं जिनसे समाज का सारा पूंजीवादी ढांचा बना हुआ है, जिसको कि कांग्रेस टच करने को तैयार नहीं है, जो उस ढांचे को तोड़ना नहीं चाहती जो कि उस ढांचे के अन्दर पलने पोसने वाले लोग हैं, उनके रहने के वह निवास-स्थान हैं और उनके लिये माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ५०,००० रुपया एक हिस्सा जमीन की क़ीमत है बनारस में, जहां सिनेमा "चित्रा" है, तो उसके पास की जो जमीन है तो उसे ५० हजार रुपये को भी जोड़ लिया जाय, तब उस हिस्से का रेट तय किया जाय। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर यह सरकार जी कहां रही है, किसके लिए कानून बना रही है, जरा सम्मानित सदस्य इस पर विचार करें। अगर यह संशोधन स्वीकृत हो गया तो अर्थ का अनर्थ ही सरकार कर देगी।

और एक बात मैं माननीय मंत्री जी को बतला दूं कि वह देखें कि मकान कितने बने और आबादी कितनी बढ़ी, जो वह जोड़ने की बात वह रख रहे हैं। जहां कानपुर में १० वर्ष

के अन्दर ६६ फीसदी आबादी बढ़ी वहां पर ७.०७ फीसदी मकान बने । इलाहाबाद में ३४.६ फीसदी आबादी बढ़ी, वहां ९.७ फीसदी मकान बने। बनारस में जहां ३३.७ फीसदी आबादी बढ़ी वहां २.४ फीसदी मकान बने और आगरे में जहां ४५.२ फीसदी आबादी बढ़ी वहां ११.४ फीसदी मकान बने। और लखनऊ में जहां ८८.२ फीसदी आबादी बढ़ी तो ७.५ फीसदी मकान बने। तो यह जो मकान बने हैं उनकी फीसदी है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें बनारस सब से अधिक एफ़ेक्टेड (प्रभावित) है, क्योंकि ३३.७ फीसदी वहां आबादी बढ़ी और केवल २.४ फीसदी मकान बने। माननीय मंत्री जी यह लैंड का हिसाब उसमें और जोड़ दे रहे हैं, यह किस लिये ? एक ही मकसद है। माननीय बनारसी दास जी माफ करें, जो थोड़े शब्दों में कास्ट आफ दि लैंड उन्होंने जोड़ दिया तो इससे उनके परखने की तारीफ करनी चाहिये। इससे वह मकान बनाने वालों के दिलों में सहूलियत पैदा करने के भाव को पैदा कर रहे हैं। उससे कहेंगे कि अब तो जमीन की कास्ट भी जोड़ दिया, अब उसके ऊपर भी रेंट बढ़ जायगा। मगर मैं माननीय मंत्री जी को सचेत करना चाहता हूं कि राजनारायण के भाषण में दोष नहीं है, माननीय गेंदा सिंह के भाषण में दोष नहीं है, इतना ही अगर दोष होता तो इस सूबे के बाहर के सूबे में जो आफत मची हुई है, वह इस आफत से तो बच जाते। आवश्यकता इस बात की है कि गम्भीरतापूर्वक और शान्ति से इस संशोधन के ऊपर माननीय मंत्री जी विचार करें। मुझे याद आजाती है टाल्सटाय की की हुई परिभाषा, उस टाल्सटाय की बात जिसको महात्मा गांधी ने अपना गुरू माना है कि आखिर सुख की परिभाषा क्या है ? उसने कहा है कि सुख क्या है ? आपको ही संबोधित कर के कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। टाल्सटाय ने श्रीमन्, 'सुख' शब्द की परिभाषा की है। उसने कहा कि आज हमारा सुख वही है जो हमको ग़रीबों से अलग करता है। एक ही वाक्य को मार्क करेंगे श्रीमन् और उसका विश्लेषण करेंगे कि टाल्सटाय, गांधी जी जिसको अपना गुरु मानते थे वह कहते हैं कि हमारा सुख वही है जो आज हमको ग़रीबों से अलग करे। आज अगर हम इस मूल सिद्धान्त को सामने रख कर चलें और तब कोई समाज बनायें तो समाज बन पायेगा और आज कौन-कौन से कारण हैं जिनसे कि समाज का ९५ फीसदी ५ फीसदी से अलग है। वही तो ५ फीसदी का सुख है, बढ़िया भोजन है, बढ़िया मकान है, टेबिल है, कुर्सियां हैं। आज अगर राजनारायण मंत्री महोदय के घर उनसे मिलने के लिये जाते हैं और अगर मंत्री जी बढ़िया भोजन खा रहे हैं तो उस समय राजनारायण से नहीं मिलेंगे नहीं तो पब्लिक मीटिंग में जा कर वह कह देगा कि मंत्री जी बढ़िया भोजन कर रहे थे। इसलिये हमारे मिलने पर भी प्रतिबन्ध लग गया। अगर सरकार को अधिक मात्रा में मकान बनवाने हैं तो आज शहरों में जितनी जमीनों पर मकान बनाये जा सकते हैं उन जमीनों को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? सरकार जब डेवलपमेंट की बात बार-बार कहती है तो कोई योजना मकानों के लिये क्यों नहीं बनाती। एक हाउसिंग सोसायटी बनाये, उसके लिये फंड क्रियेट (धन एकत्र) करे और छोटे-छोटे मकान बनवा दे। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रुपया वह नहीं लगायेंगे। मत लगायें। आज जो रुपये को जमा कर रहे हैं उनको अगर सरकार सफ़ाई के साथ कह दे कि तुम्हारी गाड़ी हुई रक़म गड़ी ही रह जायगी, उससे तुम आमदनी नहीं पैदा कर सकते अगर तुम समाज के उत्थान और विकास में वह रुपया नहीं लगाओगे, जब स्पष्ट रूप से सरकार यह व्यवस्था सारे नागरिकों के सामने रख देगी तो हमें यकीन है कि बड़े-बड़े लोग जो कि आज रुपये को गाड़ते हैं वे अपने मन में सोचने लगेंगे कि अब यह गड़ी हुई रक़म हमारे किसी काम में नहीं आने वाली है इसलिये उसको दो। तरह-तरह से ग़रीबों पर सरकार जुल्म करती है। जब वह ग़रीबों पर जुल्म करती है तो उसके सामने मानववादी सिद्धान्त नहीं रहता। मगर जब ऐसे लोगों का रुपया लेने की बात होती है और समाज के उत्थान में लगाने की बात होती है तब सरकार के सामने मानववादी सिद्धांत आ जाता है। मैं साफ कह दूं कि जो छोटे-छोटे लोग हैं, एक कमरा और दो कमरे वाले लोग हैं, जिनकी बात अभी माननीय मंत्री जी ने पेश की कि एक छोटी सी नौकरी करने वाला

[श्री राजनारायण]

आदमी है, यहां से दूसरी जगह उसका तबादला हो गया, उसका मकान चला जाता है, फिर आता है तो उसके लिये रहने की जगह नहीं मिलती है, ऐसे आदमी के लिये गुंजायश की जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि जिन लोगों के मकान का किराया इतने रुपये से ऊपर आता है उनके लिये हमारा यह नियम लागू होगा। अपने आप जो छोटे-छोटे लोग हैं, जिनकी तादाद काफी है वे बच जायेंगे। मगर थोड़े से लोगों का तो फ़ायदा कराना चाहती है सरकार और उन थोडे से लोगों को फ़ायदा कराने की दृष्टिकोण से सरकार एक लम्बे सिद्धान्त का सृजन करती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तर्क में न जायं, जरा साफ़ प्रवृत्ति अख्तियार करें। सरकार अपने पक्ष का समर्थन तो कर ही देगी। श्रीमन्, सफ़ाई तो एक खूनी जो क़त्ल कर के आता है वह भी कचेहरी में अपनी सफाई जरूर दे देता है। तो इस तरह की सफ़ाई नहीं चाहिये।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—श्रीमन्, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य एक आम बहस कर रहे हैं। इस समय सिर्फ प्रश्न तो यह है कि जिस वक्त किराया तय किया जाय तो कौन-कौन से फ़ैक्टर्स विचार किये जायं। उसमें यह है कि कास्ट आफ लैंड भी उसमें से एक हो। तो माननीय राजनारायण जी एक आम बहस कर रहे हैं, तमाम हाउसिंग की नीति पर बहस कर रहे हैं जो इससे संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं। ऐसी कोई इर्रेलेवेंट बात हुई नहीं। अपनी बात पर एम्फैसिस देने के लिये वह दलीलें पेश कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं कह रहा था कि वह कास्ट आफ लैंड का संशोधन जो जुट रहा है इस विधेयक के जरिये मूल अधिनियम में यह क्यों जुट रहा है इसी को मैं साफ कर रहा था। मैं यह कह रहा था कि इससे जो मकान बनाने की एक प्रेरणा मकान-मालिकों में पैदा करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है वह नहीं हो पायेगी, क्योंकि १९५१ के बाद सभी छूट दे दी गयी है, मगर हमने देखा कि उसके बाद मकान बनाने की संख्या बढ़ी नहीं है। बराबर सालाना संख्या घटती ही गयी। तो यह जो जमीन की क़ीमत है, जमीन की क़ीमत कितनी होगी कौन तय करेगा? मान लीजिए कि मैंने एक बिस्वा जमीन बनारस में तीन हजार रुपये को ली। मकान के बेचने वाले ने मुझसे यह कह दिया कि हमारी जमीन का दाम कम हो जायगा इस लिये बैनामा में तीस हजार लिख दो। रक़म तीन ही हजार मिली, लेकिन लिखा हुआ है कि वहां तीस हजार। तो जब कोर्ट के सामने तीस हजार का बैनामा पेश किया जायगा तो उस वक्त कोर्ट क्या मानेगी? इतना वेग, अनिश्चित और मकान मालिक के पक्ष में जाने वाला और किरायेदारों की हानि करने वाला विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर माननीय बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं आउट आफ प्वाइंट जा रहा हूं।

आज शहरों में मकानों की क्या दुर्दशा है और एक मकान में कितने लोग रह रहे हैं, हमने श्रीमन्, इसका भी आंकड़ा बनाया है। कानपुर बहुत बड़ा शहर है। कानपुर में आज एक मकान पर ८.१ आदमी का परता पड़ता है। लखनऊ में १६.४ का यानी दूना, जहां पर कि राजधानी है। माननीय मंत्री गण हर अपने विकास सम्मेलन में मकानों की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। हम लोगों के लिये और दूसरों को रहने के लिये मकान बनाते हैं। तो क्या कारण है कि आज तक लखनऊ में कानपुर से दूनी तादाद एक मकान में रहती है। इसका उत्तर सरकार न पाये तो मैं दे दूं कि यहां बड़े-बड़े मकान हैं। यह एक उत्तर दिया जा सकता है कि अगर मकानों का

क्षेत्र बड़ा होता है तो एक मकान में ज्यादा आदमी रह पाते हैं। अगर छोटा होता है तो वह कम रह पाते हैं। मगर इतना घना बसने के बाद भी आज कितने आदमी यहां ऐसे हैं जो बिना मकान के हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारी कोई मंशा नहीं है कि ज्यादा समय लें। मैं केवल विनम्र निवेदन ही करना चाहता हूं। आगरे में ९.१, इलाहाबाद में १०.१, लखनऊ में १६.४ और कानपुर में ८.१ प्रति मकान पीछे व्यक्ति की संख्या पड़ती है। उन्होंने मांगा श्रीमन्, इसलिये दे दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि शहरों की इस तरह से घनी आबादी है। शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। और बनने वाले मकानों की संख्या कम होती जा रही है। अगर सरकार कोई सम्यक, सर्वांगीण योजना मकानों के लिये बनाये तो उसमें यह लाजिमी होगा कि तमाम शहरों में ऐसी तमाम जमीन जो मकान बनाने के काम में आ सकती है, उसको अपने हाथ में सरकार ले और कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई कारपोरेशन बनाये जो कि मकानों के सही कीमत में बनाये और सही किराये में लोगों को दे कर रहने की समस्या को हल करे। जमीन की क़ीमत जोड़ कर सरकार किरायेदारों के ऊपर अकल्पित मुसीबत लादेगी। इसलिये मैं विनम्रता के साथ, और जोरदार शब्दों में साग्रह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी कास्ट आफ लिविंग को निकाल दें। अगर यह रहेगा तो उससे बड़ी मुसीबत और आफत आयेगी। और सरकार की जो जन-कल्याणकारी राज्य की कल्पना है वह धूल धूसरित हो जायगी।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आप की आज्ञा से बढ़ाये जाने वाले खण्ड ९ का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान दो कांट्रेडिक्शंस की तरफ दिलाना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा ६ के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है "In determining the amount of annual or monthly rent in any suit under section 5 the court shall take into account-—

(a) in the case of accommodation constructed before July 1 , 1946 the pre war rent, the reasonable annual or monthly rent, the prevailing rent on the date of the suit for similar accommodation in the locality, the cost of maintenance and repairs of such accommodation and any material circumstances proved by the plaintiff or the defendant,

(b) in the case of accommodation constructed on or after July 1, 1946, the cost of construction and of maintenance and repair's to accommodation, its situation and any other circums nce which the court may consid.r material.

तो इसमें दो तरह के मकान हैं। एक जो १ जुलाई, सन् ४६ के पहले बने हैं और दूसरे जो १ जुलाई, १९४६ या उसके बाद के बने हैं। मेरी समझ में नहीं आता श्रीमन्, कि यह सरकार ३० जून, १९४६ को जो मकान बना है उसकी कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन या कास्ट आफ लैंड को भूल जाती है, उसके लिये विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन सरकार इतनी दयावान हो गयी है १ जुलाई, १९४६ के बाद कि वह मकान मालिकों को सभी सहूलियतें दे रही है जैसे कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन और कास्ट आफ लैंड। तो १ जुलाई, १९४६ के बाद के मकानों के लिये जो कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन ऐण्ड कास्ट आफ लैंड की परिभाषा की गई है और उससे पहले के मकानों के लिये कुछ नहीं तो यह बिलकुल अस्पष्ट चीज है और विरोधाभास पैदा करती है जिसको मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी का यह विचार है कि जो मकान पहले बन चुके हैं उनकी जो लागत है वह अदा होगी तो यही सिद्धान्त सन् ४६ के बाद के बने हुये मकानों पर भी लागू हो सकता है। उन पर लगी हुई पूंजी भी अदा हो जायगी कुछ सालों के बाद या अदा हो गई होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि संशोधित उपखंड द्वारा १ जुलाई सन् १९४६ के बाद के बनने वाले मकान और उसके पहले बनने वाले मकानों में जो अन्तर किया जा रहा है उसमें कास्ट आफ लैंड भी जोड़ी गयी है। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस धारा ५ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके साथ नई धारा ६ जोड़ी गयी है जो धारा ५ के संबंध में है कि जो कोई दावा दायर किया जायगा वह धारा ५ के अनुसार होगा। इस धारा में जिस प्रकार के किराये की बात कही गयी है वह अग्रीड रेंट की बात है जो टेनेन्ट और मकान मालिक के बीच तय हुआ है। इससे इस बात की गुंजायश की गयी है कि मकान मालिक १ अक्तूबर, १९४६ के पहले वाले मकानों पर ५० फीसदी तक किराया बढ़ा सकते हैं लेकिन उपधारा (४) में उसके बाद जिसे दावे की बात कही गयी है वह इस बात का हक लैंडलार्ड को देता है कि अगर किरायेदार और मकान मालिक के बीच किराया तय नहीं होता और किरायादार यह समझता है कि किराया ज्यादा है या मकान मालिक समझता है कि कम है तो वह मुन्सिफ की अदालत में या सिविल जज की अदालत में जा कर किराया तय करा सकते हैं और वह रिजनेबिल रेंट माना जायगा। तो, श्रीमन् इस सम्बन्ध में उप-धारा (६) की जो "बी" है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह शब्द है कि :—

"(b) in the case of accommodation constructed on or after July 1, 1946, the cost of construction and of maintenance and repairs to accommodation its situation and any other circumstance which the court may consider material."

तो माननीय मंत्री विशेष रूप से इन शब्दों की ओर अपना ध्यान देने की कृपा करें कि इन का अर्थ क्या है। कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसको अदालत महत्व की माने, कोई भी मैटोरिल सब्जेक्ट उसके लिये हो सकता है। तो इतनी विशेष शक्ति अदालत को दे दी गयी है कि अगर कोई मकान मालिक लैंड की वेल्यू भी लेना चाहे तो वह किराये के अन्दर शामिल रीजनेबिल रेंट तय करा सकता है और वह इस उपधारा के अन्दर पहले से ही कार्य कर सकता है उसके लिये कोई बाधा उसके सामने नहीं है। अगर वह कास्ट आफ लैंड को जोड़ना चाहे तो वह जोड़ सकता है। इन शब्दों का इतना विशेष अर्थ है। अगर मालिक मकान चाहे तो वह आवश्यक कागज पेश कर सकता है कि इसमें कोई बुनियाद है और वह रेंट के लिये उसकी बात मान सकता है और उसके मुताबिक रीजनेबिल रेंट तय कर सकता है। तो पुराने अधिनियम में इस बात की शक्ति के होते हुये कि वह लैंड की कीमत को भी उसमें जोड़ सकता है तो यह संशोधन लाना अनावश्यक है और निरर्थक है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस उपखंड का विरोध होना आवश्यक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो इस उपखंड के विरुद्ध माननीय नेता विरोधीदल ने काफी रोशनी डाली है लेकिन जब मैं माननीय मंत्री जी के भाषण को सुन रहा था, यद्यपि उन्होंने बड़े विनोदपूर्वक अपने भाषण में माननीय नेता विरोधीदल की दाढ़ी का हवाला दिया, फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया कि क्या हम लोग मकान वालों को आतंकित करना चाहते हैं कि जिससे वे आगे मकान बनाना छोड़ दें। जाहिर है कि अगर हमारी पार्टी ऐसा चाहेगी तो वह नामुनासिब होगा। हमारी पार्टी की नीति-रीति तो बिलकुल स्पष्ट है और अगर कोई मकान नहीं बन रहे हैं तो ऐसा कांग्रेस पार्टी की नीति-रीति की वजह से है। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि

उनकी प्रादेशिक सरकार ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी काफी समय इस बात में बिता चुकी है जिसको अंग्रेजी में "बूइंग दी केपीटल" कहते हैं। यानी पूंजीपतियों को खुश रखना कि वे देश के विकास में रुपया लगायें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी काफी दिनों से उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे रीझने के बजाय विपक्ष में चलते चले जाते हैं और विदेश जा कर विदेशी पूंजीपतियों को भी मना कर आते हैं कि वे भी भारत में रुपया न लगायें। इसी तरह से अगर सरकार मकान मालिकों को मकान बनाने की कोशिश की तो उसका भी प्रयास निष्फल होगा। बहुत से ऐसे भी मकान मालिक हैं जिनको २–२ लाख रुपया केवल मकानों के किराये की आमदनी होती है। गुप्ता जी यदि कलकत्ता गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि वहां एक लाहा बिल्डिग है जिसके मालिक की किराये से आमदनी १० लाख रुपया महीना है। फ़ैजाबाद में भी १०–२० ऐसे मकान मालिक हैं जिनकी आमदनी ८–१० हजार रुपया महीना है। मैं समझता हूं कि लखनऊ और कानपुर में भी ऐसे पूंजीपति होंगे। हमारी नीति तो साफ है कि एक हजार रुपया से अधिक किसी की आमदनी ज्यादा नहीं होनी चाहिये चाहे वह पूंजीपति हो या सरकारी नौकर हो, जिसका परिवार ५ आदमियों का है उसकी आमदनी १ हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। जिसकी किराये की आमदनी १ हजार रुपये से कम है उसको सहूलियत देने की बात तो हम सोच सकते हैं लेकिन यह कहना कि मकानदारों को ऐसी रियायत दे कर मकान बनाने की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा, यह बिलकुल ग़लत है। माननीय नेता विरोधी दल ने आंकड़ों से यह बात तो सिद्ध कर दी। जिस प्रकार से हमने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रहेगी उसी प्रकार से हमारी यह भी घोषणा है कि १ हजार रुपये माहवार से ज्यादा किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिये। एक दूसरा प्रश्न जो इस संबंध में हमारे सामने आता है वह यह भी है कि माना कि कोई मकान २०० साल से किराये पर चल रहा है। इन वर्षों में कितना गुना क़ीमत से अधिक किराया वह वसूल कर चुका है लेकिन वह मकान फिर भी मकान मालिक का ही होता है। जिन मकान मालिक की आमदनी १ हजार रुपये माहवार से कम है उनके साथ तो हमारी हमदर्दी हो सकती है लेकिन उसके ऊपर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस विधेयक की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो कि अरबन एरिया की जमीन के विनाश के सम्बन्ध में है जब कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था कानून में यह व्यवस्था है कि देहातों में जो परती जमीन व जंगल आदि है उनको सरकार ले लेगी और वे गांव सभा में चले जायेंगे, वहां शहरी क्षेत्र में जमींदारी विनाश विधेयक के जरिये सरकार ने यह योजना रखी है कि जितनी परती जमीनें हैं, वे तमाम उन मालिकों को व्यक्तिगत रूप से दे दी जायं और उनको म्युनिसिपैलिटियां कारपोरेशन वगैरह न ले। वैसी जमीन काफी है और विधेयक के द्वारा सरकार को उनको लेने की निश्चित योजना होनी चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना कर या इंश्योरेंस कम्पनी के द्वारा किस्तों में रुपये का प्रबन्ध कर के केन्द्रीय सरकार को लोगों को रुपये देने का प्रबन्ध करना चाहिये और जिस तरह से जीवन का बीमा होता है उसी तरह से इसमें भी किस्त और बीमे की बात हो तो मैं समझता हूं कि मकान बढ़ सकते हैं। और इस लालच से मकान बनाना कि मकान मालिक के साथ रिआयत होगी, मैं समझता हूं कि गरीब मकान मालिकों और अमीर मकान मालिकों में भेद भाव करने की बात अगर इसके अन्दर रखी जाती है तो यह सरकारी नीति का दिवालियापन है। जहां तक हमारा संबंध है हमारा निश्चय है और हमारी योजना बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मंत्री जी को इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा एतराज यह है कि कास्ट आफ रेंट का डिटरमिनेशन, यह एक तरह से गरीब मकान मालिकों और अमीर मकान मालिकों के अन्दर भेद न रखना अनुचित है।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की तरफ से विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने तो जो इस विधेयक का उद्देश्य है उससे बाहर की कुछ बातें

[श्री बनारसीदास]

कहीं और श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उनसे अलग स्वयं इसी विधेयक के सम्बन्ध में यह कहा कि कास्ट आफ लैंड...

श्री राज नारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर ! यही सवाल श्री बनारसी दास जी ने अध्यक्ष महोदय के सामने भी उठाया था कि श्री राजनारायण जी प्वाइंट के बाहर जा रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं सुन चुका हूं, वे बिल्कुल विदिन प्वाइंट हैं। तो क्या फिर श्री बनारसी दास का यह कहना कि उन्होंने प्वाइंट के बाहर बातें कहीं, जब कि यह सवाल पहले उठ चुका है, उचित है ? इसके अलावा श्रीमन्, एक बात और भी मैं आप से कह दूं कि यह ड्यूटी अध्यक्ष और अधिष्ठाता की है कि वह इस बात को देखें कि कौन प्वाइंट के बाहर जा रहा है। यह नहीं कि किसी वक्ता ने बीच में खड़ा हो कर कह दिया कि आप प्वाइंट के बाहर जा रहे हैं। इससे इस सदन तथा अध्यक्ष का भी अपमान होता है इसलिये मैं आप से निवेदन करता हू कि ऐसी बातें कहने की आप इजाजत न दें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का प्वाइंट आफ आर्डर समझ गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक बात जो अभी विरोधी दल के नेता ने कही, वह सही नहीं है। यह सही है कि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी वक्त को अगर यह समझे कि वे अनर्गल बातें हैं तो वह उनको रोक सकता है लेकिन यह बात सही नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अपना विचार प्रकट करना चाहता हो और वह बतलाये कि अमुक व्यक्ति ने जो बात कही थी वह इस विधेयक की धारा के बाहर है, तो वह नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि उसको इस बात का अवश्य अधिकार है कि अपने विचार को इस तरह से व्यक्त कर सके।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि श्री बनारसी दास ने जो बातें कहीं वह इससे सम्बन्धित नहीं थी। अगर अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में ऐसी कोई बात कही हो तो मुझे मालूम नहीं है कि लेकिन उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर एक सदस्य डिस्कशन के सिलसिले में किसी सदस्य के भाषण को ऐसा समझता है तो वह ऐसा कह सकता है।

श्री बनारसी दास—मैं कह रहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। शहरे प्रदेश में मकानों की कमी है। इसलिये इस विधेयक के द्वारा लैटिंग और एविक्शन पर नियंत्रण किया जा रहा है। किस प्रकार से प्रदेश में मकानों की कमी है, यह इस विधेयक के उद्देश्य से बाहर की बात है कि हम उस पर यहां विचार प्रकट करें। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय राजनारायण जी ने इस उद्देश्य को विस्तृत करने की कोशिश की और तमाम मकानों की समस्या पर अपना विचार प्रकट किया कि सरकार को क्या करना चाहिये और किस तरह से कमी दूर की जा सकती है। श्री नारायण दत्त जी ने केवल यही कहा कि कास्ट आफ लैंड को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है कि और कास्ट आफ लैंड तो पहले से ही इस मौजूदा धारा की उपधारा (बी) के अन्दर शामिल है। जहां तक और किसी फैक्टर का संबंध है, किराया निश्चित करते समय उस पर विचार किया जा सकता है। तो उन्हें इसलिये विरोधाभास नजर आया। यह तो केवल १ जुलाई, ४६ के मकानों पर लागू होता है न कि उसके पहले के मकानों पर। इसलिये सन् १९४६ के पहले के मकानों में कास्ट आफ लैंड शामिल न किया या किया जाय ? माननीय विरोधी दल के नेता को तो कृतज्ञ होना चाहिये कि कास्ट आफ लैंड का सवाल लाकर कम से कम उनको अवसर तो मिला कि समाजवाद के सिद्धांतों के नाम पर उन्होंने जिसको वह दलित वर्ग समझते हैं उसके साथ हमदर्दी तो जाहिर की उन्होंने टालसटाय का उदाहरण दिया। गांधी जी कहते थे कि गरीब को गरीब के हृदय से प्रेम करो। तो देखना यह है कि यहां पर यह प्रश्न विचारणीय है या नहीं कि किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति का क्या स्थान होना चाहिये और उनका राष्ट्रीयकरण

सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा या सामाजिक न्याय के अनुसार ठीक होगा और न इस विषय पर गौर करना इस सदन के स्कोप में है कि प्राइवेट सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया जाय या न लगाया जाय। उस पर विचार करने का अवसर दूसरा हो सकता है और उसका सवाल ही अलग है। यहां पर उस पर विचार करने का समय नहीं है इसलिये खेद है कि इस प्रकार के प्रश्नों को जिनका इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं था सदन में उठाने की कोशिश की गयी। यदि नारायण दत्त जी समझते हैं कि पहले से अधिकार है कि सिविल कोर्ट कास्ट आफ लैंड को शामिल कर सकता है तो फिर आपत्ति क्या है? जब यह केवल व्याख्या है और उसका स्पष्टीकरण है तो इसमें सिद्धांत का विरोध कहां से आ जाता है? मैं नहीं समझता कि किस तरह से उनको विरोधाभास नजर आता है, वह तो बहुत बारीकी से अध्ययन करके आते हैं। यह जो मौजूदा विधेयक है वह सब से पहले एक आर्डिनेंस के रूप में १ जुलाई, ४६ से लागू होता है। उसके बाद इसी सदन ने उसको अधिनियम की शक्ल दी और इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे। उससे पहले ३० जून सन् ४६ तक प्रदेश में जो नियंत्रण चलता था वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिफेंस रूल्स के अनुसार था और उसके अनुसार केवल स्थानिक नियंत्रण मकानों पर होता था, उसमें किराया निश्चित करने के लिये उस समय कोई मशीनरी नहीं थी, उसमें केवल मकानों को उठाया जा सकता था। एक सामयिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये उस वक्त तक लैंड लार्ड को अधिकार था कि वह अपना किराया निश्चित कर सके और वह कास्ट आफ लैंड के अनुसार किराया ऐग्रीमेंट से तय कर सकता था, इसलिये इसकी जरूरत नहीं थी कि हम उन जमीनों के लिये उस वक्त कास्ट आफ लैंड की बात रखते। जो प्रोसीजर है वह मूल अधिनियम की धारा ५ से संबंधित है और वह धारा ४ तक सीमित नहीं है। उसमें किराया निश्चित करने का अधिकार दिया गया है और धारा ६ में प्रोसीजर दिया गया है कि किराया निश्चित करते समय किन-किन बातों पर गौर करना चाहिये और इसलिये इस पर रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया था और सफा १० पर उसको साफ कर दिया गया है कि यदि कोई एकोमोडेशन ३० जून, सन् १९४६ के बाद बनी है तो रीजनेबिल रेंट निश्चित करते समय इसका भी ख्याल करना चाहिये कि जहां मकान बनाने की कास्ट का ख्याल किया जाय वहां जमीन की क़ीमत भी सम्मिलित करना चाहिये और मे टेनेन्स व मरम्मत आदि का भी ख़याल होना चाहिये या जो दूसरे प्रश्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नजर में उचित जान पड़े।

बार-बार कहा गया कि हम मालिक मकानों को और बड़े लैंड लार्ड को खुश करने के लिये काम करते हैं। अगर मकान ज्यादा बनेंगे तो भी यह १ जनवरी, सन् ५१ के बाद के मकानों पर लागू नहीं होता है। इसका अर्थ केवल यह है कि इससे केवल वही टेनेन्ट एफ़ेक्टेड हैं जिनका किराया पहले से निश्चित हो गया है और आज ५४ में आप यह कह रहे हैं। आठ साल के अर्से में बहुत कम ऐसे मकान होंगे कि जिनका किराया अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, किसी कोर्ट के द्वारा, किसी ऐग्रीमेंट के द्वारा या प्रिविलेज रेंट के द्वारा किराया निश्चित न हो पाया हो। लिहाजा अगर हम कास्ट आफ लैंड भी शामिल कर लेते हैं तो कौन सी टेनेन्ट्स के ऊपर आपत्ति आ जायगी। जिस वक्त हम कोई कानून बनाते हैं उस समय अगर कोई त्रुटि नजर आती है कि जिसकी वजह से किसी भी कोर्ट को व्याख्या करने में कुछ कठिनाई आती है तो सदन का कर्त्तव्य है कि वह उसकी सफाई कर दें। तो जब आप स्वयं मानते हैं कि मूल अधिनियम की धारा ६–बी के अन्दर इतनी वाइड पावर्स दे दी हैं "the cost of construction and of maintenance and repairs to accommodation its situation····which the court may consider material." तो सिचुएशन का अर्थ यह होता है कि जैसा कि राज नारायण जी कह रहे थे कि बनारस की एक जमीन का दाम १० हजार या २० हजार रुपया हो सकता है और उतनी ही जमीन का दाम दूसरी जगह कुछ भी न हो। मैटीरियल की कीमत तो लखनऊ में, कानपुर में और उन्नाव में वही हो सकती है, लेकिन सिचुएशन भिन्न होने की वजह से उसकी कीमत के अन्दर अंतर हो सकता है।

[श्री बनारसीदास]

क्या आप समझते हैं कि केवल ईंट, चूना, गारा, आदि ही एक मकान के अन्दर लगता है, जमीन का उसमें कोई जरूरत नहीं होती, या जमीन का उसमें कोई दाम नहीं होता ? यह दूसरी बात है कि आप संपत्ति पर नियंत्रण करना चाहें, आप यह निश्चित करना चाहें कि हमारे समाज का क्या पैमाना हो, संपत्ति का क्या स्थान हो, पूंजीवाद रहे या न रहे, व्यक्तिगत संपत्ति रहे या न रहे, लेकिन जब आप इस विधेयक के उद्देश्य को मानते हैं, जब कि हम एक उद्देश्य को मान लेते हैं तो यह सवाल गौर करने के काबिल है कि क्या यह फर्क संगत है ? ईंट की क़ीमत शामिल है उसके अन्दर, राज मजदूर की क़ीमत शामिल है उसके अन्दर, जमीन की कीमत शामिल नहीं है, इसके क्या माने हैं ? रामनारायण जी अगर एक मकान खरीदना चाहते हैं तो क्या वह जमीन की कीमत नहीं देंगे ? मैं पूछता हूं कि अगर कोई आदमी उनके पास जाये और उनका मकान खरीदना चाहे तो क्या वह अपनी जमीन मुफ्त में दे देंगे ? तो यह एक बिलकुल रैशनल बात मालूम पड़ती है और न्याय के विरुद्ध मालूम पड़ती है। समाज के अन्दर न्याय की मान्यता बदलती रहती है लेकिन पता नहीं उनका कौन सा समाज शास्त्री है जो यह कहता है, या वह कौन सा मुल्क है जहां आज व्यक्तिगत संपत्ति न पाई जाती हो। समाज में व्यक्तिगत संपत्ति रहे या न रहे, यह तो हमारा विषय नहीं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है मुझको यह कहने में कोई भी लज्जा नहीं है कि सामाजिक न्याय में और व्यक्तिगत संपत्ति के हटाने में कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज में शान्ति व्यवस्था बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ने का इंसेंटिव देने में जहां पर हमको अनेक बातें रखनी होंगी वहीं हमें यह भी रखना होगा कि व्यक्तिगत संपत्ति को हासिल करना। यह मैंने इसलिये निवेदन किया कि राजनारायण जी ने एक ऐसी ही बात उठा दी थी, उसका उत्तर देने के लिये मैंने यह कहा।

अब प्रश्न तो यह है कि अगर आप इस विधेयक के अन्दर कोई संशोधन लाना चाहते हैं कि एक हजार से ज्यादा किराया गवर्नमेंट ले ले तो क्या उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको पेश करने की इजाजत देंगे ? क्या यह सदन इस प्रकार का संशोधन पेश कर सकेगा ? क्या जिस हाई कोर्ट के लिये आप स्वयं बड़े कृतज्ञ हैं, जिसकी महिमा आप स्वयं गाते हैं, मैं पूछता हूं कि अगर माननीय रामनारायण जी स्वयं इस कोर्ट में जा कर यह संशोधन पेश करें तो क्या यह वहां एक क्षण भी ठहर सकेगा ? क्या आप इसको लागू कर पायेंगे। जब नहीं, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की दलीलों का जो सदन के अधिकार के बाहर हैं, उससे क्या सम्बन्ध है। केवल इसलिये कि यहां पर एक लैण्ड लार्ड का नाम आ गया, लैण्ड लार्ड को मैं राक्षस नहीं मानता। कोई व्यवस्था आखिर करनी होगी जिससे मकान बनाने के लिये समाज के अन्दर एक वातावरण पैदा हो। विरोधी दल की इस तरह की बातों से लोगों में एक आशंका पैदा होगी और लोग मकान बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो आंकड़े उन्होंने पढ़ कर सुनाये कि मकानों की वृद्धि रुकी हुई है और अगर लखनऊ के अन्दर मकानों में लोगों का प्रशर ज्यादा है तो उसकी जिम्मेदारी उन मित्रों पर ज्यादा है जो इस तरह की बातें करते हैं, जो सामाजिक असुविधाओं को बढ़ाते हैं। अगर लखनऊ के अन्दर मकान कम बनते हैं तो उसका कारण यही है कि जनता के अन्दर इस तरह की आशंका पैदा करते हैं। जहां तक मकानों के बनाने का सवाल है यह तो एक नियोजन में एक प्रायरिटी का सवाल है। केवल एक स्वर्ग की कल्पना करने से ही स्वर्ग नहीं बनेगा, उसके लिये प्रयत्न करना होगा, दूसरा तरीका नहीं। तो केवल यह कहने के लिये श्रमिक लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है, इस विधेयक का विरोध करना न्याय संगत नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो केवल उनके लिये बताना है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि टेनेन्ट्स के अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से ही यह कानून बनाया गया है। अगर टेनेन्ट्स के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य हमारे सामने न होता तो इसकी अवधि ४ साल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। आप तो केवल २ साल ही चाहते हैं। हम तो इसकी अवधि ४ साल बढ़ाना चाहते हैं। तो हमको टेनेन्ट्स के हितों की रक्षा करनी है। साथ ही साथ टेनेन्ट्स के हितों की रक्षा करने के लिये जब तक हम

एक सिद्धांत को मानते हैं हम किसी भी वर्ग के साथ इसलिये कि किसी जगह लिखा हुआ है अन्याय करने को तैयार नहीं हैं।

इसलिये कास्ट आफ लैण्ड का रखना न्याय संगत है। जो फ़ैक्टर बिल्डिंग के लिये में उसमें कास्ट आफ लैंड सब से जरूरी चीज है और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे विरोधी मित्रों ने इस तरह के एक संशोधन का जो केवल परिभाषा के अन्दर परिवर्तन मात्र था, इसका विरोध किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सफाई के लिये एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय बनारसी दास जी ने अभी मेरे भाषण का उल्लेख करते हुये बताया कि मैंने विधेयक की पुरानी धारा में जो खामी बतायी और यह कहा कि any material circumstances के अन्दर कास्ट आफ लैंड भी आ जाता है तो मैंने अपने विचार नहीं बताये, मैंने सिद्धांत के रूप में पहले ही विरोध कर दिया था, उनके ही ड्राफ्ट की गलती बतायी। ठीक उसी प्रकार अगर माननीय बनारसी दास जी अपने नये साफ खादी के कुर्ते में भले ही वह फटा हुआ न हो, पैबन्द लगाना चाहेंगे, तो वह ठीक उसी तरह से रहा। चाहे मैं आप से ऐप्रो करूं या न करूं कि इस नये कुर्ते में पैबन्द न लगाइये। इसी तरह मैंने उनके यह ड्राफ्ट की गलती बतायी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—मूल अधिनियम की धारा ७-बी में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "in arrears of rent for more than three months" के स्थान पर शब्द "in arrears of rent or any instalment thereof (where it is payable in instalments) for more than two months" रख दिये जायं,

(२) उपधारा (३) में शब्द "serve a notice" के स्थान पर शब्द "serve by registered post or otherwise notice", रख दिये जायं,

(३) उपधारा (६) में दोनों प्रतिबन्धात्मक वाक्य (provisos) निकाल दिये जायं,

(४) उपधारा (७) में शब्द "or furnishes security to the satisfaction of the court" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ७-बी का संशोधन।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खण्ड १० के उपखण्ड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "two" के स्थान पर "three" रखा जाय।

[श्री वीरेन्द्र पति याज्ञव]

उपाध्यक्ष महोदय एक मेरा संशोधन यह बहुत छोटा सा संशोधन है। इसको प्रस्तुत करने का अभिप्राय यही है कि अभी तक कानून में एक किरायेदार तीन महीने का किराया बकाया रख सकता था और उसके बाद अगर मालिक मकान उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था तो उसे अदालत की शरण लेनी पड़ती थी। तो अब इस विधेयक में सरकार द्वारा ३ महीने के स्थान पर दो महीने रख दिया गया है। मैं समझता हूं यह दो महीने का समय बहुत ही कम है। दो तीन महीने तो ऐसे ही निकल जाया करते हैं। इस सम्बन्ध में तो सरकार को किरायेदारों को काफी सुविधा देनी चाहिए थी। अच्छा होता कि जो पहले तीन महीने का समय दिया हुआ है उसके स्थान पर ६ महीने का कम से कम समय होता। लेकिन दो महीने कर देना मैं तो समझता हूं कि यह किरायेदारों के हित में नहीं होगा। जब कि हमारी सरकार कहती है कि हम पीपुल्स गवर्नमेंट हैं, आम जनता की सरकार हैं तो हम तो समझते हैं कि सरकार को जो हमारे उंगलियों पर गिने जाने वाले मालिक मकान हैं, उनकी अपेक्षा जो किरायेदार हैं, जो आम जनता है, बीच के लोग हैं, उनको ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। मुझको अधिक इस सम्बन्ध में नहीं कहना है क्योंकि यह संशोधन बहुत छोटा सा है और बहुत ही उचित संशोधन है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "two" के स्थान पर "three" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यहां संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १० का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय उप खंड (३) यह है कि—

"both the provisions in sub-section (6) shall be deleted;"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मूल अधिनियम की धारा ७-बी है और उसके उपखंड ६ के जो प्राविजन हैं वह इस प्रकार हैं :—

"Provided that if the tenant at any time before his eviction from the accommodation deposits the amount in the treasury or pays the land lord or the office charged with the execution of the order for the delivery of possession the amount of arrears together with all the cost of application execution, possession shall not be delivered, and the District Magistrate shall report the proceedings to the Munsif who shall make an order quashing the proceedings.

Provided further that the District Magistrate may for sufficient reasons allow time as may be prescribed to the tenant to pay the amount for which an order of ejectment has been sent to him."

उपाध्यक्ष महोदय, मालिक मकान किसी टेनेंन्ट के खिलाफ ३ महीने के बाद यदि इस बात का मुकदमा मुंसिफी में पेश करे कि यह ३ महीने से पेमेंट रेंट का नहीं दे रहे हैं और मुकदमा उसके फेवर में हो जाय तो इसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टेनेंट की प्रार्थना पर , इस प्रकार का अधिकार उस टेनेंट को दे सकता है कि जो अदालत में खर्च हुआ है, उसको यदि वह उस किराये की रकम के साथ जमा कर दे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट मुंसिफ को इस प्रकार का हुक्म दे सकता है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हुई थी वह सब खत्म कर दी जायं और उस मकान का पजेशन मालिक मकान को न दिया जाय।

दूसरा प्राविजन यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसके बाद भी कुछ टाइम दे सकता है। जो किरायेदार है वह उसी समय नहीं बल्कि उसके बाद भी अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उचित समझता है तो कुछ दिनों के बाद उस मकान का किराया जमा कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसमें खंड (३) रखा है कि किरायेदारों को जो सुविधायें पहले से इस मूल अधिनियम में दी गई हैं उनको माननीय मंत्री जी ले लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि अब जब कि हमारी सरकार गरीबों और निर्धनों का अधिक शुभचिन्तक होने का दावा करती है तो ये सुविधाऐं जो पहले से मूल अधिनियम में किरायेदारों को दी हुई हैं उनसे क्यों छीन लेना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्रपति जी यादव ने जो संशोधन रखा था कि दो महीने के बजाय तीन महीने कर दिया जाय और इसको स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले से जो इस मूल अधिनियम में प्रतिबन्ध दिये हुये हैं, किरायेदारों की सुविधा के लिये तो वह उसे स्वीकार कर लें क्योंकि उनके बिना किरायेदारों को बड़ी परेशानी होगी और गवर्नमेंट का जो मंतव्य है कि जो गरीब, हैं जिनके पास मकान नहीं है मैं समझता हूं कि उनको सुविधा देने की गवर्नमेंट की पालिसी के खिलाफ होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी आज्ञा से प्रस्तुत खंड १० के उपखंड (३) को निकाले जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इन दो प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को निकाल कर सरकार इस विधेयक में सब से प्रतिक्रियावादी संशोधन ला रही है। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी कठिनाई के बाद, बड़ी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद किरायेदारों की मुसीबतों को माननीय मंत्री जी ने समझा था और १९५२ में कृपा पूर्वक माननीय बनारसीदास जी ने जो आज उनको हटाने की बात कह रहे हैं, उन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को उन सुन्दर शब्दों में जिनके अनुसार उन्होंने (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत किया है वैसे ही सुन्दर शब्दों में उन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को प्रस्तुत किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से किरायेदारों की समस्याओं का समाधान होगा और वह नित्यप्रति की परेशानी से दूर होंगे।

आखिर हम देखें कि उन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों की मंशा क्या है। इसके अनुसार किसी भी किरायेदार को डिग्री होने के बाद अगर वह ट्रेजरी में या मकान मालिक या उस अफसर को जिसने डिग्री के निष्पादन की आज्ञा दी हो अगर सारे किराये का रुपया और मुकदमे का खर्चा जमा कर दे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी जाती थी कि किरायेदार ने रुपया जमा कर दिया है। इसलिये निकाले जाने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और प्रोसीडिंग्स खत्म कर दी जाय। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार था कि कुछ समय किरायेदार को दे दे। इसलिये किरायेदार को सहूलियत थी कि अगर डी० एम० चाहे तो कुछ समय किरायेदार को दे दे ताकि वह पूरा पेमेंट किराये का कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि आज कौन से ऐसे कारण उपस्थित हो गये हैं जिनके कारण मंत्री जी दो साल के बाद ही इन सहूलियतों को छीन लेना चाहते हैं। ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति उपस्थित हो गई है जिससे माननीय बनारसीदास जी या मंत्री जी दो साल के अन्दर किरायेदारों के अधिकारों का अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने कोई आंकड़े नहीं बतलाये और न यह बतलाया कि मुकदमे-बाजी बढ़ी या किरायेदारों ने टालमटूल की हो। इसमें इतना ही होगा कि प्रान्त में कुछ किरायेदारों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल गई होगी। थोड़ी और उनको सहूलियत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मिल गई होगी । आखिर उन्होंने जो अपनी इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो अभी पेश की, उसमें तो वह एक कदम आगे थे । उसमें तो उन्होंने परसेंटेज किराये का बढ़ा दिया था । गनीमत है कि सरकार ने उनकी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं माना, लेकिन फिर भी सरकार ने इस रिपोर्ट के अधूरे हिस्से को मानकर बहुत बड़ा अन्याय किया है । मैं आपका ध्यान जुगलकिशोर एंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पेज ९१ की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसमें यह कहा गया है कि--

"Recovery of rent—If any landlord submits an application to a Civil Court for recovery of rent, it is not open to the Court to enter into the question of the "reasonable rent" of the accommodation. The tenant is not permitted to file any objection unless he has deposited in the Court the full amonunt of the arrears of the rent claimed by the landlord. In some cases the claims of the landlord are grossly in excess of the "reasonable rent" and the tenant is put to unnecessary hardship. It is alleged that sometimes this device of filing suits of arrears of rent at excessive rates is used by unscrupuloushouse owners to evict their tenants. We recommend that the Civil Courts should be vested with powers to enter into the question of the fixation of rent before issuing notices u/s 7-B of the Act."

इसमें इस सिफारिश के द्वारा जुगलकिशोर इंक्वायरी कमेटी ने किरायेदारों की सबसे बड़ी दिक्कत को सामने रखा था । इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया था कि आम तौर पर मालिक मकान यह करते हैं कि बड़े लम्बे चौड़े दावे पेश करते हैं एक्सेसिव रेट के, और किरायेदार को इस बात का मौका नहीं मिलता कि दावा पेश करने के बाद वह कह सके कि जिस मासिक किराये के आधार पर मेरे ऊपर यह दावा किया गया है, यह मासिक किराया एग्जार्बिटेंट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं और मेरा रीजनेबिल रेंट मुकर्रर किया जाय ।

कहां तो माननीय मंत्री जी यह चाहते थे कि इस विधेयक में इस बात की गुंजायश कर दी जाय कि कोर्ट में सूट के दर्मियान रीजनेबिल रेंट तय करने का कोई प्रोसीजर हो जाय, जैसा बम्बई में है, मद्रास में, सी० पी० में है । वहां ऐक्ट में है कि सूट के दर्मियान भी तय करने का प्रावीजन है कि जिस किराये के हिसाब से दावा इंस्टीट्यूट किया गया है यह किराया उचित है या नहीं । तो इसके औचित्य का प्रावीजन रखा गया होता बजाय इसके आप टिनेंट को और सहूलियत को भी छीन रहे हैं । मिसाल के लिये मैं आपके सामने पेश करूं कि फर्ज कीजिये मैं एक मकान मालिक हूं और बनारसी दास जी मेरे किरायेदार हैं और हमारा ऐग्रीड रेंट तय है और ३० रुपया मासिक लिया । अब मैं क्या करता हूं कि ५० रुपया मासिक का हिसाब लगाकर जो कि ऐग्रीमेंट नहीं है, २० रुपया मासिक ज्यादा है, दावा दायर कर देता हूं कि ४,००० रुपया माननीय बनारसीदास जी को जो मेरे टिनेंट हैं, मुझे देना है । तो अब माननीय मंत्री जी की सिफारिश को मान लेने का मतलब तो यह है कि दावा इंस्टीट्यूट होने के पहिले दिन या तो कोर्ट में जितना दावे में क्लेम है वह बनारसीदास सबका निष्पादन कर दें, पेमेंट कर दें, नहीं तो अगर सूट में हार गये तो उनको एविक्ट होना पड़ेगा और रुपया भी देना ही पड़ेगा । रीजनेबिल रेंट की कोई बात सामने नहीं आयेगी । अगर दावा मंजूर हो जाता है तो बनारसी दास जी को ५० रुपये के हिसाब से ४,००० रुपया पेमेंट करना होगा । इससे इतना बड़ा अहित किरायेदारों का होने वाला है । अगर माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा सा भी गौर करें तो वह इसे फौरन वापस ले लेंगे ।

मैं मिसाल के लिये माननीय मंत्री जी के सामने बम्बई ऐक्ट की एक धारा पेश करना चाहता हूं, धारा १२ इस प्रकार है उसका हेडिंग--

" *No ejectment ordinarily to be made if tenant pays or is ready and willing to pay standard rent and permitted increases.*—(1) A landlord shall not be entitled to the recovery of possession of any premises so long as the tenant pays, or is ready and willing to pay, the amount of the standard rent and permitted increases, if any, and observes and performs other conditions of the tenancy in so far as they are consistent with the provisions of this Act.

(2) No suit for recovery of possession shall be instituted by a landlord against a tenant on the ground of non-payment of the standard rent or permitted increase due, until the expiration of one month next after notice in writing of the demand of the standard rent or permitted increases has been served upon the tenant in the manner provided in section 106 of the Transfer of Property Act, 1882."

अब श्रीमन्, तीसरा देखिये जो महत्वपूर्ण है--

"(3) No decree for eviction shall be passed in any such suit if at the hearing of the suit, the tenant pays or tenders in court the standard rent or permitted increases then due together with the costs of the suit."

तो वहां पर भी यह सहूलियत टेनेंट को दी हुई है और बाद में एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है --

"*Explanation*:—In any case where there is a dispute as to the amount of standard rent or permitted increases recoverable under this Act the tenant shalll be deemed to be ready and willing to pay such amount if before the expiry of the period of one month after notice referred to in sub-section2, he makes an application to the court under sub-section (3) of section II and thereafter pays or tenders the amount of rent or permitted increases specified in the order made by the court."

तो मैंने बम्बई ऐक्ट की धारा को आपके सामने रखा जिसके बारे में माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि हम बम्बई से तो बहुत ही अच्छे हैं। इस विधेयक के द्वारा आप बम्बई से पीछे जा रहे हैं। मैं किन शब्दों में माननीय मंत्री जी से अपील करूं। अगर वह चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से विचार हो तो इन दो प्रतिबन्धात्मक वाक्यों का रहना अत्यन्त ही आवश्यक है। अगर माननीय मंत्री जी इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले गये होते तो मैं उनको वहां दूसरे प्रान्तों का भी उदाहरण देता। आज समय बचाने के लिये मैं बहुत लम्बे चौड़े उद्धरण नहीं देना चाहता लेकिन माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं और प्रान्तों में क्या स्थिति है। इस समय तो मैं उनसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वे किरायेदारों से इतना ज्यादा नाराज न हों। आखिर इन दो सालों में किरायेदारों ने ऐसी कौन नाराजगी पैदा कर दी। इन दो प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को रहने दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रतिबन्ध उपस्थित किया जा रहा है उसका विरोध करने के पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सन् १९४७ के ऐक्ट की धारा ३ के उपभाग (९) की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है --

"That the tenant had wilfully failed to make payment to the landlord of any arrears of rent within one month of service upon him of the notice of demand from the landlord."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

और दूसरा उद्धरण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक के खंड ४ के उपखंड ६ के उपभाग ३ (१) का देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"That the tenant is in arrears of rent for more than three months and has failed to pay the same to the landlord within one month of service upon him of the notice of demand."

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों उद्धरणों का मतलब यह है कि मूल अधिनियम में एक ग्राउण्ड यह भी थी कि किराये की न अदायगी में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट परमिशन दे सकता था किसी मकान मालिक को किरायेदार को निकालने के लिये और उसमें यह भी व्यवस्था की गयी थी कि जब डी० एम० को इस बात का संतोष हो जाय कि जानबूझ कर रेंट नहीं दिया तो उसमें कोई मियाद नहीं थी। ऐसे केसेज थे जिनमें मकान मालिक ६—६ महीने और साल-साल भर कोई कार्यवाही नहीं करते थे। अब जो प्रस्तुत विधेयक है उसमें सरकार की तरफ से यह रख दिया गया है कि तीन महीने का भी किराया अगर बाकी हो तो डी० एम० के लिये यह एक ग्राउन्ड हो जायगी कि वह मकान मालिक को उस मकान से किरायेदार को निकालने के लिये इजाजत दे। तो इस विधेयक के जरिये हर मकान मालिक के दिमाग में एक चीज रहेगी कि हर तीसरे महीने वह जरूर डी० एम० के पास इस बात को लेकर पहुंचे कि किरायेदार को निकालने की इजाजत दे दी जाय। तो एक तरफ तो यह हार्डशिप पैदा कर दी गयी खंड ४ में, दूसरी तरफ अब तीन महीने में ही किराया न देने की इल्लत में मुकदमा दायर होगा और तीन महीने के बाद ही मुकदमा दायर हो, और डिग्री होने के बाद अगर तमाम एरियर्स पे कर देता है, अगर यह व्यवस्था रह जाय जिसको मंत्री जी निकालना चाहते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है। तीन महीने के अन्दर मुकदमा दायर होता है, और मुंसिफ के यहां डिग्री होने के बाद अगर किरायेदार किराया देने के लिये तैयार है तो जैसे पहले डिस्ट्रिक मैजिस्टेट इजाजत दे देता था कि किराया जमा कर दो, उसे माननीय मंत्री को निकालने के लिये व्यवस्था नहीं करनी चाहिये इन तीनों बातों का एक ही विधेयक रखना, मैं समझता हूं कि सरकार किरायेदारों के साथ ज्यादती कर रही है। मैं विशेष अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस प्रस्तावित संशोधन को जरूर स्वीकार कर लिया जाय। अगर सरकार का मंशा सचमुच है कि किरायेदार और मालिक मकान दोनों के साथ न्याय होना चाहिए, तो इस संशोधन को मान कर किरायेदारों के साथ जो एक हार्डशिप बढ रही थी, उसको सही समझते हुये उसे दूर कर दिया जाना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—खड़े हैं बोलने के लिये पहले ही।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री जोरावर वर्मा का नाम पुकारा)

श्री बनारसी दास—मेरा खयाल यह है कि मेरा दृष्टिकोण सुनने के बाद जोरावर जी अपने संशोधन पर विचार करेंगे।

श्रीमन्, श्री जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिये किया है मैं समझता हूं कि कल स्वयं उनका इस प्रकार का एक संशोधन था जिसमें वह कहते थे कि अगर कोई भी टिनेंट हैबिचुअल डिफाल्टर है, वह नोटिस पर किराया अदा करता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है और उसको बेदखल किया जा सकता है। तो यानी जोरावर जी यह मानते हैं कि यदि कोई टिनेंट किराया न दें, और नोटिस पर अदा करता है तो उसका सौदा इजेक्टमेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर तो यह है कि अगर तीन महीने का किसी

ने किराया न अदा किया हो तो उसके बाद मुंसिफ के यहां जाता है, मुंसिफ भी १५ दिन का समय देता है और उस वक्त भी किराया अदा न करे, तब वह बेदखल हो सकता है और नारायणदत्त जी जैसा कहते थे कि जुगुलकिशोर इनक्वायरी कमेटी के अनुसार लैंड लार्ड इस तरह के वेक्शेसस क्लेम करेंगे, तो उसके लिये धारा ७ में संशोधन कर दिया जाय। मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (११) में साफ लिखा है —

"Whenever the Munsif finds that the application by the landlord or the objection by the tenant was frivolous or vexatious, he shall award special costs to the tenant or the landlord, as the case may be, up to the amount of the claim."

यानी अगर लैंड लार्ड का दावा प्रिवोलस है, परेशान करने के लिये है तो धारा ७ की उपधारा (११) के अनुसार लैंड लार्ड को अदालत सजा दे सकती है। इसके अलावा अभी हाल में मूल अधिनियम की धारा ४ में हमने संशोधन किया है जिसमें हमने कहा है कि अगर कोई किराया इस विधेयक के अनुसार, मालिक मकान को प्राप्य होने के बाद अगर वह उससे ज्यादा लेता है तो अनलाफुल होगा इस मौजूदा ऐक्ट के मुताबिक, अगर जमींदार ज्यादा किराया मांगता है और कोर्ट भी समझती है कि उसका दावा फ़्रिवोलस है तो मूल अधिनियम की धारा ४ के अनुसार वह किराया अनलाफुल होगा। इस मौजूदा विधेयक में यह भी है कि यदि इस अधिनियम की किसी धारा का उल्लंघन करेगा तो पांच हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है तो अगर कोई लैंड लार्ड प्रिवोलस क्लेम करता है तो मूल अधिनियम की धारा ४ के अनुसार वह अपराधी होगा और धारा ७ और ११ के अनुसार उसको सजा दिलाई जा सकती है, इसलिए कोई खतरा नहीं हो सकता टेनेंट को। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि जब आप मानते हैं किरायेदार और लैंडलार्ड दोनों के टाइटिल्स को तो किराया उसको मिलना चाहिये या नहीं। रामनारायण जी ने कहा इसमें यह लिखा है मूल अधिनियम की धारा ३ के अन्दर एक महीने का नोटिस दे कर वह बेदखली की नालिश कर सकता है तो अब हमने उसमें सुधार करके बेहतर बना दिया कि बजाय १ महीने के हमने उसमें ३ महीने रख दिये। धारा ३ का जो जिक्र किया गया वह तो इजेक्टमेंट की धाराओं में से एक है। बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत लिये हुये अगर तीन महीने का किराया बाकी है नालिश नहीं हो सकती और हमने इसमें यह सुधार कर दिया कि टेनेंट्स के हित में ३ महीने कर दिये। रामनारायण जी इसे जरा गौर से देखें कि मूल अधिनियम की धारा ३–ए जो है उसका संबंध उन टेनेंट्स से है जो मकान एलाटमेंट के अनुसार नहीं है और ७–बी उन मकानों पर एप्लिकेबिल है जिनका एलाट-मेंट मौजूदा विधेयक के अनुसार किया गया है। श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि मौजूदा अधिनियम से पहले टेनेंट्स को बड़ी असुविधा थी और जुगुल किशोर इंक्वायरी कमेटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि जो लैंड लार्ड गलत दावा करते हैं और किराया बढ़ा कर मांगते है उससे टेनेंट्स की रक्षा की जाय। जुगुलकिलोर एंक्वायरी कमेटी की सिफारिश को इसीलिये हमने मान लिया और इसके लिये वे उपधारा ७ को पढ़ें। इसके अनुसार किरायेदारों के लिये जरूरी नहीं होता कि एतराज होने से पहले वह पूरा दावा ही अदा करें। कोर्ट को अधिकार है कि वह किरायेदारों से संतोषजनक सेक्योरिटी मांग ले। हमने जुगुलकिशोर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की इस सिफारिश को मान लिया। जहां तक दोनों प्रतिबन्धों का सवाल है जब यह संशोधन पहले सदन के सामने आया था तो उस वक्त कौंसिल के सामने माननीय गुप्ता जी ने आश्वासन दिया था कि अगर किराये की वसूलयाबी के अन्दर कोई असुविधा होती है तो हम इस प्रश्न पर गौर करेंगे। जब यह रेंट कंट्रोल एंक्वायरी कमेटी बैठी तो हमने टर्म्स आफ रेंफरेंस में यह प्रश्न पहले रखा "To enquire into the working of the provisions of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act relating to the recovery of rent from tenants by owners and make recommendations with a view to providing a speedier and effective remedy to that effect." रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी का खास मकसद यही था कि हम ऐसी तजवीज पेश करें जिनसे किराया जल्दी वसूल हो पाये, क्योंकि किराये का रोकना टेनेंट के हित में नहीं है। कोई

[श्री बनारसी दास]

टेनेंट अगर ६ महीने तक किराया रोकता है जिसके लिये माननीय राजनारायण और दूसरे मेम्बर कहते हैं कि वह बहुत गरीब है, अगर ६ महीने तक किराया नहीं दे पायेगा तो मैं समझता हूं कि बाद में फिर किराया नहीं दे पायेगा, उसके लिये कठिनाई होगी। तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि टेनेंट साल दो साल किराया न दे और बाद में मकान छोड़ दे। इसलिये टेनेंट के हित में यही है कि किराया वह बराबर देता रहे। लिहाजा हमने मौजूदा विधेयक में यह भी मान लिया कि टेनेंट को यह अधिकार है कि जो मकान उसको एलाट हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जाकर रेंट डिटरमिन करा लें; फिर आप धारा ५ का हवाला देते हैं। वह तब अप्लिकेबिल होती है जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा डिटरमिन रेंट पर एग्रीड रेंट पर कोई झगड़ा हो। ७–बी में साफ लिखा है—

"The application shall contain the following particulars:—

(i) The name of landlord, and where there are more than one landlord, the names of all the landlords.

(ii) A sufficient description of the accommodation from which the tenant is to be evicted, or a copy of the order of allotment .

(iii) The arrears claimed and the rate at which they are claimed.

(iv) Where the rate of rent has already been determined in a suit under sub-section (4) of section 5, the fact that it has been so determined."

तो उसको सारे वाकयात देने होंगे तब जाकर उस एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जायगा कोई भी लैंडलार्ड हो वह दंडित होने से डरता है और हमने इसे उतना सख्त बना दिया है कि अगर यह अनलाफुल कार्यवाही करता है तो सेक्शन ११ के अन्दर वह दंडित होगा और इस विधेयक की धारा १३ के अनुसार ५ हजार तक जुर्माना भी उस पर हो सकेगा।

मैं नहीं समझता कि कोई लैन्डलार्ड इस तरह की बेवकूफी करने का साहस कर सकता है। इसलिये हमारा इतना मकसद है कि किराया वसूली के लिये गुंजाइश होनी चाहिये। तीन महीने का समय काफी समय है और अगर १५ दिन का समय मुंसिफ दे देता है तो फिर उसकी पेशी होगी और पेशी के वक्त भी अगर उसने अपना किराया अदा कर दिया तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादती टेनेंट के साथ हो सकती है। इसलिये रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने जैसा कि तिवारी जी ने बतलाया कि उस समय इस प्रतिबन्ध का समर्थन किया था। मैंने निवेदन किया कि माननीय गुप्ता जी ने स्वयं इस बात को महसूस किया कि रेंट आसानी से वसूल हो और इस पर हमको विचार करना चाहिये। तो रेंट एंक्वायरी कमेटी ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये। श्री तिवारी जी स्वयं देख सकते हैं कि जहां तक रेंट वसूल करने का प्रश्न है इस पर कमेटी ने गौर किया और उसने अपनी सिफारिश की है कि रेंट आसानी से वसूल हो, इसलिये मैंने कहा कि यह उचित है।

लिहाजा इतना विचार करने के बाद श्री जोरावर सिंह इससे सहमत होंगे। वह स्वयं चाहते थे कि नोटिस मिलने पर जो किराया नहीं देता है वह बेदखल कर दिया जाय, लेकिन हमने इसमें सुधार कर दिया है। उसको ३ महीने का समय जो दिया गया है उसके साथ उसको करीब ४, ५ महीने का समय मिल जायगा। तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि किराया वसूली के लिये इस सुविधा को हम न दें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि श्री जोरावर सिंह अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने इतने लम्बे-चौड़े भाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह सिद्ध हो कि किरायेदार को सुख-सुविधा प्रदान करने के लिए यह जो प्राविजन है वे क्यों इसको वापस ले रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा

था कि मैंने इस प्रकार का संशोधन पेश किया था कि जो ऐसे किरायेदार हैं कि जो नोटिस देने पर किराया देते हैं उनको इजेक्ट होना चाहिये और उनके लिए मकान मालिकों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उनको हटा सकें। मैंने यह संशोधन रखा था कि जिनकी ऐसी आदत हो गई है, जो बिना नोटिस के किराया नहीं देते। लेकिन माननीय मंत्री के इस बिल के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें वह यह बतलाएं कि वह हैबीचुअल ओफेंडर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे संशोधन को मान लिया जाता तो मैं समझता कि उसके अनुसार वह जो आदत इस तरह की बनाये हुये हैं कि नोटिस मिलने पर ही किराया देते है तो वह उनके लिये उचित होता। मगर यह जो प्राविजन है इसमें यह बात नहीं मालूम होती है कि नोटिस मिलने पर ही वह किराया देता है। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि अगर किरायेदार तीन महीने तक किराया न दें तो मकान मालिक अदालत के द्वारा अपना किराया वसूल कर सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि वह किराया अदा नहीं करता है और इस बात का आदी है कि वह बिना नोटिस के किराया न दे। मेरे संशोधन का माननीय मंत्री जी दुरुपयोग करना चाहते हैं क्या आपने जो यह धारा रखी है यह किरायेदारों के हित में है? इस ऐक्ट के ३–ए में इस प्रकार से एक महीने का समय नोटिस के लिये रखा गया था—

"(a) that the tenant has wilfully failed to make payment to the landlord of any arrears of rent within one month of the service upon him of a notice of demand from the landlord;"

लेकिन आपका जो यह प्राविजन है इसमें तीन महीने का नोटिस देने पर अगर वह किराया न दे तभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन अगर ३ महीने के अन्दर वह किराया नहीं देता है तो मालिक मकान को अधिकार है कि वह किराया वसूल करने के लिये कोर्ट में नालिश कर दे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह उस किरायेदार से जो मालिक मकान का खर्चा हुआ है उसको किराये सहित दिलाये और उसके बाद वह उसको यह अधिकार भी दे सकता है कि वह मकान में रहे या उसको टाइम दे सकता है कि उसके बाद भी जमा करे। मैं तो समझता हूं कि यह किरायेदार के लिये सुविधा है। इसके विरुद्ध माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे यह मालूम हो कि उनकी इस बात से किरायेदार को कोई सुविधा मिलेगी। इसके द्वारा तो वे मकान मालिक को ऐसा हथियार दे रहे हैं जिससे किरायेदारों का एक प्रकार से कत्लेआम ही होता। क्योंकि इस मुल्क में छोटे-छोटे कम वेतन वाले नौकर हैं जिनको १५–२५ रुपये की नौकरी मिलती है। उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि वे तीन महीने के अन्दर किराया भी दे दें, खर्चा भी दें और उसके साथ ही साथ उनको यह दंड भी दिया जाय कि उनको मकान से निकाल दिया जाय। मेरी समझ में यह नहीं आया कि माननीय मंत्री जी मकान मालिकों के लिये क्यों इतने उदार हो गये हैं कि उनको किराया भी दिलाते हैं, खर्चा भी दिलाते हैं और मकान से अलहैदा करने की नौबत भी ला रहे हैं। न तो माननीय मंत्री जी ने ही कोई ऐसी दलील दी जिससे यह मालूम होता कि वर्तमान प्रतिबन्धों का दुरुपयोग हो रहा है और न उनकी अध्यक्षता में बैठी कमेटी की रिपोर्ट में ही ऐसा कोई निर्देश मुझे मिला कि इन धाराओं को निकाल दिया जाय। इसमें इस बात की ओर जरूर संकेत किया गया है कि बजाय ३ महीने के मकानदार को रेंट प्राप्त करने के लिये २ महीने का टाइम दिया जाना चाहिये उसके बाद वह अपना केस अदालत में भेज सकता है। जो भी प्राविजन रक्खे गये थे वह किरायेदारों के सुख और सुविधा के लिये रक्खे गये थे। मैंने कई बार इसके रिपोर्ट को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ा लेकिन जो भी वाक्य इसमें आये हुये है उनको निकालने के लिये कहीं जरा भी संकेत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि ये धारायें जो किरायेदारों के हित में हैं इनको निकालने का वे प्रयत्न न करें क्योंकि गांवों में जिस प्रकार जमींदार और भूमिहीन लोगों का संबंध है वही शहरों में मकान मालिकों और किरायेदार का संबंध है। क्योंकि इन प्राविजन्स को निकाल दिये जाने से किरायेदारों का अहित होगा, उनकी दिक्कतें बढ जायेंगी और मकान मालिकों के पास किरायेदारों को हैरान करने के लिये एक हथियार आ जायगा इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन धाराओं को न निकालें और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है। मैं माननीय जोरावर जी से इतना ही कहूंगा कि वे रिपोर्ट के पेज ११ को देखें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आदमी मकान बनाता है अपनी सहूलियत के लिये इसलिये कि उसको किराया मिले, इसलिये कि उसको अपने धन का रिटर्न मिले लेकिन अगर वह इन सुविधाओं से बंचित कर दिया जाता है तो व्यक्तिगत संपत्ति का जो विचार है उसकी बिलकुल हत्या हो जाती है। इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि टेंनेंट्स की जो दिक्कतें है उनसे उसकी रक्षा करें और उसके साथ ही साथ हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि मकानदार की वसूलियाबी भी कम समय पर हो जाय इसका प्रबन्ध करें। इसलिये मौजूदा विधेयक में उस सुविधा को दिया गया है। इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुये कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने उस पर विचार किया है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं माननीय जोरावर जी के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से खंड १० के उपखंड (४) के निकाले जाने का प्रस्ताव करते हुये वर्तमान उपखंड का विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं इस संबंध में आपकी आज्ञा से माननीय सदन का ध्यान मूल अधिनियम की धारा ७ बी की उपधारा (७) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है :—

"(7) If the tenant appears in reply to the notice under sub-section (3) and files an objection, other than an objection as to costs of these proceedings, the Munisf shall inform the applicant that he may, subject to the payment of the court-fee within such time, as may be specified, have the application tretaed as a plaint in a suit for recovery of arrears of rent alone ;

"Provided that the tenant shall not be permitted to file any objections, unless he has deposited in Court the amount mentioned in the notice or furnishes security to the satisfaction of the Court."

श्रीमन्, इस धारा के अनुसार यह है कि मुंसिफ पहले के तीन महीने के किराये के लिये किरायेदार को १५ दिन का नोटिस दे और उपधारा (३) के अनुसार यह है कि उस नोटिस के जवाब में किरायेदार अदालत में हाजिर होता है और एतराज करता है, मान लीजिये एक एतराज यह करता है कि यह जो मेरे ऊपर दावा किया गया है वह गलत किराये के आधार पर नाजायज किराये के आधार पर किया गया है तो मुंसिफ इस बात की इजाजत देगा कि उसके एतराज के ऊपर कार्यवाही सुनी जाय लेकिन साथ ही साथ उसके लिये यह भी आवश्यक है कि उसके पहले कि किरायेदार के एतराज को मुंसिफ सुने, या तो किरायेदार जितना कि नोटिस में रुपया लिखा है यानी जितना रुपया बाकी बतलाया गया है उतना रुपया किरायेदार जमा करे या जितने की जमानत अगर मुन्सिफ उचित समझे जमा करे, यह इस धारा में एक प्राविजन रखा गया है। तो यह जो फरनिश करने का सेक्योरिटी वाला प्राविजन है—

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपके भाषण की आवश्यकता नहीं है। मुझे मह मंजूर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं तो आपका सन् ५२ का भाषण पढने जा रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १०—क

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :—

खंड १० के बाद निम्नलिखित नया खंड १०—क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"१०—क—मुख्य ऐक्ट के सेक्शन ७—ई के सब सेक्शन (४), (५), (६) तथा (७) में जहां कहीं शब्द 'मुंसिफ (मुंसिफ हैविंग ज्युरिसडिक्शन) का अधिकार क्षेत्र' तथा 'मुंसिफ' लिखे हैं उन्हें हटा कर उन स्थानों पर शब्द 'जिला मैजिस्ट्रेट' रख दिये जायं ।"

उपाध्यक्ष महोदय यह जो मूल अधिनियम की धारा ७(ई) का (४), (५), (६) पेज १२ मूल अधिनियम में है वह इस प्रकार है :—

(4) If the landlord neglects to carry out any repairs, other than annual repairs, which he is bound to make to the accommodation by law or contract, the tenant may apply to the Munisf having jurisdiction for an order to the landlord for carrying out the same. The Munsif shall cause a notice to be served on the landlord to appear and show cause, within such time as may be fixed, against the application.

(5) If the landlord does not appear in obedience to the notice or if he appears but fails to satisfy the Munsif as to why he should not be directed to carry out the repairs or such of them as he finds the landlord is bound to make, the Munsif shall direct him to carry out the same within a time to be fixed.

(6) If the landlord still fails to carry out the repairs in accordance with the direction under sub-section (5), the Munsif may require the tenant to submit an estimate of the cost of such repairs and after considering the estimates and taking such other evidence, as he may consider necessary, permit the tenant to carry them out at a cost not exceeding such amount as may be specified in the order and to recover such cost from the landlord. It shall thereafter be lawful for the tenant to make such repairs and to deduct the cost thereof from the rent or to recover it otherwise from the landlord as if it were a debt due to him by the landlord.

(7) No order for carrying out of repairs under sub-section (5) shall be made if the Munsif is satisfied that the repairs involved were due to the apparent and absolute fault of the tenant."

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक इसी प्रकार का संशोधन रखा था कि अगर किसी समय उन सुविधाओं में कमी आ जाय कि जो किराया तय करते वक्त मौजूद थीं तो उस वक्त रीजनेबिल प्रपोर्शनेट कभी उसके एनुअल रेन्ट में हो जानी चाहिये उस वक्त मंत्री जी ने ७ (ई०) को सपोर्ट में पेश किया था और कहा था कि हमने उसमें इसका प्राविजन किया मेरा कहना यह है कि जो छोटी-मोटी रिपेयर्स होती हैं या कोई ऐसी बातें होती हैं जिनसे किरायेदार को तकलीफ होती है और जिन्हें मालिक मकान को दूर करना चाहिये । तो यह जो सेक्शन ५ से ७ तक हैं इनमें दिया हुआ है कि अगर आवश्यकता हो तो वह मुंसिफ के कोर्ट में दावा कर सकता है मेरा कहना यह है कि मुंसिफ के कोर्ट में मुकदमा कायम करने में ही बहुत खर्च होता है और खर्च के अलावा वहां समय इतना अधिक लगता है कि कभी किरायेदार की मंशा पूरी नहीं होती और दो-दो तीन-तीन साल तक मुकद्दमेंबाजी होती रहती है । ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि जहां जहां शब्द मुंसिफ और "मुंसिफ हैविंग जुरिसडिक्शन" आये वहां उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रख दिया जाय क्योंकि यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि डिस्क्ट मैजिस्ट्रेट के यहां काम जल्दी होता है और चूंकि किरायेदार दरख्वास्त इसीलिये देता है ताकि उसकी शिकायत जल्दी दूर हो जाय । मुंसिफ के यहां समय अधिक न

[श्री जोरावर वर्मा]

लगे इसलिये अगर मुंसिफ की जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दिया जाय तो मुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मुझे दुख है कि मेरे माननीय मित्र अपने उस प्रेम में जो कि वह किरायेदारों के लिये प्रदर्शित करते हैं, यह भूल जाते हैं कि कौन सी बात किरायेदारों के हित की है और कौन सी बात उनके नुकसान की है। यहां पर मुंसिफ को यह अधिकार एक खास ख्याल से दिया गया है और वह ख्याल यह था कि जहां कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर होता है वहां वह एक एग्जीक्यूटिव अथारिटी होती है और उन पर हमारा लांछन यह रहता है कि वह अपने निर्णय एगजिक्यूटिव दृष्टिकोण से करते हैं और उनके फैसले पूरे तौर से एक जुडिशियल फैसले नहीं होते, तो इस विचार से यहां पर मुंसिफ को अधिकार दिया गया है कि मुंसिफ उन बातों का फैसला करे और जांच करे और आपस का झगड़ा हो उसको तय करे। हमारे मित्र अगर यह समझते हैं कि मुंसिफ के यहां जाने में खर्च ज्यादा होगा, तो यह उनका भ्रम है। इसके माने यह हैं कि मुंफिस के यहां कोई जाब्ते का मुकदमा दायर होगा, उसमें बहस होगी और फिर अपील की गुंजाइश रहेगी, इसमें तो सिर्फ मुंसिफ को अधिकार दिया गया है कि जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर या रेन्ट कंट्रोल आफिसर एक एक्जीक्यूटिव निर्णय करता है तो बजाय रेन्ट कंट्रोल आफिसर के एक ऐसा पदाधिकारी रखा जाय जो एक्जीक्यूटिव कंट्रोल के बाहर हो। यह तो किरायेदारों के हित की बात है और इसमें किरायेदारों का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं अपने मित्र से यह निवेदन करूंगा कि उनका जो यह ख्याल है कि इसमें देर लगेगी या खर्च ज्यादा होगा, वह सही नहीं है। खर्च का जहां तक सवाल है उसके बारे में यह कहूंगा कि रेन्ट कंट्रोलर के यहां भी अक्सर वकील जाते हैं, और अगर खर्च करने का सवाल है तो वहां भी खर्च हो सकता है, वहां भी देर होती है लेकिन जिस ख्याल से मुंसिफ के यहां रखा गया है वह इस वजह से रखा गया है कि किरायेदारों को यह खटका न हो कि हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव हो सकेगा या एक ऐसा आफिसर हमारे मामले का फैसला करेगा कि जो जुडीशियल दृष्टिकोण न रखता हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र का विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, अगर इस धारा ७ ई को ध्यान से देखा जाय तो यह मालूम होगा कि इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ऐसे रिपेयर्स के बारे में है जो कि एनुअल हैं, जो सालाना मरम्मत के बारे में है। दूसरा हिस्सा ऐसा है कि जो कि सालाना मरम्मत के अलावा और जो जरूरी मरम्मत है जो कि मकान को हैबीचुअल बना सके, रहने लायक बना सके, उसके लिये है। तो यहां पर जो प्रश्न है वह सालाना मरम्मत के अलावा दूसरी बड़ी मरम्मत का है। अगर माननीय जोरावर जी कहते कि सालाना मरम्मत के बारे में एक मास के किराये को किस प्रकार कम किया जाय और उस कमी को इन्फोर्स करने के लिये कोई प्राविजन किया जाय तो मैं उनका साथ देता क्योंकि इस धारा ७ ई० के १,२,३ में जो सालाना मरम्मत की बात कही गयी है उसको इन्फोर्स करने की कोई अथारिटी नहीं बतलायी गयी और माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि इसको एक्जीक्यूटिव अथारिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रेन्ट कंट्रोलर करेगा लेकिन जो धारा ४ है उसमें तो ऐसा है कि मुंसिफ के पास, अदालत के पास यह मामला जाये। हां, यह हो सकता था कि इसमें कोई ऐसा प्राविजन माननीय मंत्री जी जब यह सेलेक्ट कमेटी में था तो उस समय रख सकते थे कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी इन्क्वायरी कर लेगा फिर अदालत में जायगा, लेकिन यह कहना कि अदालत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में मामला जाये ही नहीं, मैं समझता हूं कि जो जोरावर जी का मंतव्य है गलत है। क्योंकि आगे चल कर धारा ८ में जोरावर जी का कोई संशोधन नहीं है। नीचे जा कर उनका जो संशोधन है भी तो उसमें उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आर्डर फाइनल हो। किसी एक्जीक्यूटिव एथारिटी का आर्डर फाइनल मानना, मैं समझता हूं कि न्यायसंगत न होगा। या तो माननीय जोरावर जी यह कहें कि सारे विधेयक में अदालत को कोई आवश्यकता ही नहीं, केवल एक्जीक्यूटिव एथारिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही फाइनल आर्डर देगा लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर जी ऐसी बात कहने वाले नहीं हैं तो इसलिये एनुअल रिपेयर्स के अलावा जो जनरल रिपेयर्स हैं, जो असाधारण मरम्मतें हैं और कभी सामने आ जाती हैं तो उनकी मरम्मत का मामला कोर्ट में जाना न्यायसंगत होगा हर दृष्टिकोण से। और जिला मजिस्ट्रेट को फाइनल अधिकार दे देना कि वह रिपेयर्स के मामले में आखिरी निर्णय कर दे, मैं समझता हूं कि यह दोनों के लिये ठीक नहीं है। इसलिये मैं जोरावर वर्मा जी से कहूंगा कि वह संशोधन को वापस ले लें। लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार धारा ७ (ई) बनायी गयी है वह टीक नहीं है इसके पहले तीन उपधारा में इसका प्राविजन होना चाहिये कि कौन एथारिटी इसको ऐनफोर्स करेगा, साफ–साफ होना चाहिये। अगर मान लिया जाय एक महीने का किराया टेनेन्ट काट लेता है और मकान मालिक दावा कर देता है तो क्या होगा। स्पष्ट कर देना चाहिये कि या तो कोई सूट नहीं होगा। जैसा इस समय विधेयक में है इसके अनुसार अगर टेनेन्ट सालाना मरम्मत के लिये एक महीने के किराये को काटता है तो लैन्डलार्ड एविक्शन की धारा के अनुसार या जो इस सम्बन्ध में धारा है उसके अनुसार दावा कर सकता है, बतौर एरियर के। तो होना तो यह चाहिये था कि इस बात का साफ साफ प्राविजन होना चाहिये था कि इस पर लैन्डलार्ड कोई क्लेम नहीं कर सकता और टेनेन्ट को सर्टिफिकेट मिलना चाहिये था कि यह जो रिपेयर्स है यह हमारी आज्ञा से एक महीने के रेन्ट में हुयी। तब अदालती कार्यवाही न होगी और साथ ही साथ जहां धारा ४,५,७ का सवाल है यहां पर यह होना चाहिये कि जो ब्योरे की बातें हैं इन्क्वायरी की इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट को प्रथम जांच का अधिकार होना चाहिये। लेकिन यह नियमों की बात है। इतना कह कर मैं समझता हूं माननीय जोरावर जी का जो मन्तव्य है मेरे इस सुझाव से पूरा हो जाता है और एक न्यायालय में अंतिम अपील की बात आ जाती है जो इस विधेयक की मंशा है।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, श्री जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है अगर इसको स्वीकार कर लिया तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला अंतिम नहीं होता और सिविल कोर्ट के जूरिस्डिक्शन को आउट नहीं किया जा सकता, इससे लाभ नहीं होगा और इस प्रश्न पर स्वयं काफी विचार किया हमारे कानून विभाग ने और जैसा काटजू साहब ने कह है यह उचित भी नहीं मालूम पड़ता है और जहां तक व्हाइट वाशिंग का सवाल है वह तो ७(ई) की उपधारा (३) के अन्दर रखा है कि अगर मकान मालिक एक महीने की नोटिस में व्हाइट–वाशिंग नहीं कराता है तो स्वयं किरायेदार करा सकता है और जो नारायणदत्त जी की शंका है उसकी गुंजाइश नहीं है। उसमें स्वयं लिखा है "If the landlord fails so to do within the period aforesaid, the tenant may himself carry out the same at a cost not exceeding one month's rent for the accommodation and deduct the amount from the rent." यानी टेनेन्ट अपने आप व्हाइट-वाशिंग एक महीने के किराये को खर्च करके करा ले और किराये में से काट ले। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई शंका हो। और टेनेन्ट भी तो नोटिस दे सकता है कि आप व्हाइट–वाशिंग कराइये तो उसका नोटिस भी इस ऐक्ट के अन्दर मौजूद है। धारा बिलकुल साफ मौजूद है। नारायणदत्त जी ने जो चेतावनी दी थी तो हम तो पहले से इस मामले में सचेत हैं। तो मैं श्री जोरावर वर्मा जी से कहुंगा कि जो उन्होंने संशोधन रखा है अगर हम चाहें तो भी सिविल कोर्ट के जूरिस्डिकशन को आउट नहीं कर सकते। और माननीय काटजू जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है

[श्री बनारसी दास]

और आगे चलकर हमने स्वयं संशोधन किया है। इसमें मुंसिफ के फैसले को आखिरी बनाना चाहते हैं और उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। तो जो आप चाहते थे कि टेनेन्ट को जल्दी रिपेयर्स कराने का मौका मिल जाय वह मिल जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो मेरा मंशा था माननीय मंत्री जी ने समझ लिया और मैं चाहता तो नहीं था कि इसको वापस करूं क्योंकि तिवारी जी ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला अंतिम नहीं होना चाहिये और यह दोनों के हक में न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि उनका यही मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फैसले से न्याय नहीं होगा और माननीय काटजू साहब ने भी यही कहा कि जो एक्जीक्यूटिव एथारिटी है उनसे जो न्याय जितना मुंसिफ से मिलता है उतना उनसे नहीं मिलता। मुझे इस बात को जानकार के खुशी हुयी कि हमारे माननीय काटजू साहब जो कि एक वकील हैं और जो सरकार के भी निकट सम्पर्क में हैं, उन्होंने सदन में इस बात को स्वीकार किया कि वहां न्याय नहीं मिलता। इन तमाम बातों से और खास तौर से काटजू जी की बातों को सुन कर मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

खंड ११

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ७–ई का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा ७–ई की उपधारा (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(8) No appeal shall lie from the order of the Munisf passed under sub-section (5) and (6) which shall be final."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ७ एक का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम कीधारा ७—एफ में शब्द और संख्या "Section 7" के पश्चात् शब्द "or directing a person to vacate any accommodation under section 7 A" रख दिये जायं,

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा ८ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(8) (1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine up to Rs. 5,000 or with both.

(2) Where a person has been convicted for contravention of the provisions of section 4, the Magistrate by whom the case is heard may direct that out of the fine, if any, imposed and realized from the persons so convicted, an amount not exceeding the amount paid as premium or as additional payment over and above the rent for admission as tenant to any accommodation, may be paid to the person by whom such payment was made.

Provided that any amount paid to the person aforesaid under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent claim for compensation or restitution on account of the amount realised in contravention of Section 4.

(3) Notwithstanding any thing contained in section 32 of the Criminal Procedure 1898 it shall be lawful for a Magistrate of the First class trying any case under this Act to pass a sentence of fine not exceeding five thousand rupees."

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा (8) की उपधारा (1) निकाल दी जाय ।

श्रीमन्, नयी प्रस्तावित धारा इस प्रकार है —

"(8) (1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act. or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine up to Rs. 5,000/- or with both,

तो मेरा जो एतराज है वह इस जुर्माने की अत्यधिक के ऊपर है । पहले जो धारा (८) थी उसमें यह लिखा हुआ था कि "Any person who contravenes any of this provisions of this Act, or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine up to Rs. 1,000/- or with both."

तो पहले धारा ८ में १ हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता था या ६ महीने की सजा हो सकती थी या दोनों हो सकते थे । नयी धारा के अनुसार ५ हजार रुपए का जुर्माना या ६ महीने की सजा या दोनों हो सकते हैं । तो ५ गुना जो सजा बढ़ा दी जा रही है इससे अगर माननीय मंत्री जी समझते हों कि न जाने क्या उनकी भावना है —लेकिन अगर इसको बढ़ाकर वह यह समझता है कि लिटिगेशन कम हो जायगा तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह काम होने वाला नहीं है । यह ५ गुना जुर्माने की ताकत को बढ़ाना मैं समझता हूं कि बड़ा ही अनुचित है । इससे तो यही होगा कि जिसको भी सजा मिलेगी वह एक तो वैसे ही जमीन जायदाद से जायगा और दूसरे ऊपर से सजा जो मिलेगी वह और भी मुसीबत होगी । इसे वह दो हजार कर सकते थे, डेढ़ हजार कर सकते थे, ढाई हजार कर सकते थे लेकिन मेरा एतराज तो इसलिये है कि एक दम से ५ हजार कर दिया । इसका कोई जस्टीफिकेशन माननीय मंत्री जी के पास नहीं है और मैं तो समझता हूं कि न तो यह जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश है और न बनारसी दास जी की कमेटी ने ही ऐसी सिफारिश की है । जहां तक मैंने उसको पढ़ा है मुझे उस रिपोर्ट में कोई सिफारिश ऐसी नजर नहीं आयी जिसमें उन्होंने कहा हो कि ५ हजार रुपया जुर्माना देने के लिये कोई प्राविजन रखा जाय ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ५ हजार रुपए कर दिया गया है । पिछले वर्ष भी इस पर बड़ा कंट्राडिक्शन रहा । अपोजीशन बेंच वाले कहते थे कि सरकार मामूली जुरमाने की सजा रखती है इसलिये बड़े आदमी सजा से बच जाते हैं और उनको सजा नहीं होती है क्योंकि वह पैसा बड़ी खुशी से जमा कर देते हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवनारायण]

इसलिये हमारी गवर्नमेंट ने ५ हजार रखा है यह बहुत बड़ी रकम है, वह नहीं दे सकेंगे, इस लिये क्राइम नहीं बढ़ेगा और ज्यादती नहीं होंगी और अगर रुपया जमा नहीं करेंगे तो छै महीने की सजा काटनी होगी । पिछले साल हमारे नेता विरोधी दल ने तथा अन्य सदस्यों ने कहा था कि सरकार जुर्माने में रुपया रख देती है और सजा नहीं रखती है । इसलिये गवर्नमेंट ने ५ हजार रुपया रखा है जिससे क्राइम नहीं हो सकता है और ज्यादती नहीं हो सकती है। इसलिये इन तमाम बातों को सोच कर यह रखा गया है । इसलिये मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उनकी बात को ही सरकार ने माना है और काफी लम्बी रकम है जिसे वह दे नहीं सकेंगे और ६ महीने की सजा काटनी होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि नारायणदत्त जी ने जो एक हजार वाली बात रखी है उसको वापस ले लें और जो ५ हजार रुपए रखे गये हैं वह ठीक है । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्,मैं तो आप जानते थे कि जिस तरह से बैठा था और बोलना नहीं चाहता था लेकिन हमारे मित्र शिव नारायण जी ने पुराना भाषण खोज निकाला । मैं चाहता हूं कि अगर उनके पास पुराने भाषण की कापी हो तो वह उसको मंत्री जी और बनारसी दास जी को दे दें । न मालूम उन्होंने कहां से कह दिया कि हम लोगों ने कहा था कि फाइन ज्यादा हो और सजा ज्यादा हो। हम तो कहते हैं कि पहले वह पेनाल्टी वाले क्लाज को पढ़ लें और शायद हमारे मित्र ने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की है । पहले में भी दोनों बातों ते । ६ महीने की सजा और जुरमाना दोनों बातें थीं कोई नयी बात नहीं रखी जा रही है । विधेयक के जरिये जो संशोधन किया जा रहा है उसमें एक हजार की रकम को बढ़ाकर ५ हजार कर दिये गये हैं।

"Any person who cntravenes any of the provisions of this Act or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine up to Rs. 1,000 . or with both."

इसमें भी दोनों बातें हैं । इसमें एक तो साधारण सजा छै महीने की है और दूसरी १,००० रुपए जुर्माने की है या दोनों हैं और जैसा कि हमने देखा कि स्पेशल पावर्स ऐक्ट में ६ महीने की सजा और २५० रुपए जुर्माना है तो मैजिस्ट्रेट ने मैक्जीमम बड़ी से बड़ी सजा दी । अगर कोर्ट की इनायत हो जाय तो दोनों सजा दे सकती है । नारायण दत्त जी ने साफ कह दिया था कि एक हजार की रकम को बढ़ाकर ५ हजार किया जा रहा है । लेकिन हमारे मित्र ने उल्टा समझ लिया बिल्कुल और कह दिया श्रीमन्, मैं तो पर्सनल एक्सपलेनेशन के रूप में खड़ा हो गया हूं । हमने पहले कभी नहीं कहा वह हमारे भाषणों को पेश कर दें, हममें से किसीने भी नहीं कहा है। रुपए का सवाल बड़ा टेढ़ा होता है और जो गरीब हैं वह रुपया नहीं पायेंगे । हमारे सरीखा गरीब आदमी वर्ष दो वर्ष और ६ महीने की सजा तो काट सकता है लेकिन अगर जुरमाना कर दिया जाय तो मुसीबत हो जायगी और हमारे घर का सारा सामान निकालकर बेंच दिया जाय और बैल छोर लिया जाए तो जुर्माना नहीं मिलने पायगा । इसलिये जुर्माने की रकम बढ़ाने के हम विरोधी हैं। मगर दो अर्थ निकलते हैं और जो धनी आदमी हैं उसके लिये आज रुपया जिस तरह से बरसता है दे देने में कोई आपत्ति नहीं होगी वह ४,५ और ६ हजार आसानी से दे सकता है। उसके लिये कोई सख्ती नहीं हुयी लेकिन हमारे लिये दिक्कत बढ़ जाती है। मगर हां अगर सजा बढ़ाने के लिये शिवनारायण जी सरकार को प्रेरित करें और कह दें कि किरायेदार जो हैं उस पर जुर्माना न हो और किरायेदार को सजा ६ महीने की हो

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तब तो ठीक है और जो मालिक हो उसकी सजा एक साल हो जाय, उसमें हमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी और जुर्माने को बढ़ाकर ५ हजार से ५० हजार कर दे, मगर अपनी बात को अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुंह से न कह करके अपनी इच्छा को बिना कहे ही, हमारी बात को वह मान लेते हैं कि हमने यह कहा। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ५,००० रुपया की जो रकम बढ़ा रहे हैं उसका कोई औचित्य उनकी तरफ से आ जाता है तो हमको कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होती। हम समझते हैं कि ५,००० रख देने से आम तौर से कोई मकसद पूरा होने वाला नहीं है। पैसे वाले तो सजा से डरते हैं, चाहे एक दिन की हो। वह जुर्माना तो फौरन दे देंगे लेकिन जेल जाना एक दिन के लिये भी पसन्द नहीं करेंगे इसलिये सरकार इस संशोधन का औचित्य बतावे कि कौन सी दिक्कत और कठिनाई पड़ती है कि जो इससे हल हो जायगी यों साधारण तौर से हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर ५,००० कर दिया जाय तो उससे कोई सवाल हल होने वाला हो। सवाल कोई हल होने वाला नहीं है।

(इस अवसर पर श्री अध्यक्ष महोदय ने श्री जोरावर वर्मा का नाम पुकारा किन्तु अन्न मंत्री ने भाषण आरम्भ कर दिया।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुःख है कि माननीय नारायण दत्त जी ने इस संशोधन का विरोध किया। यदि उन्होंने इस सारे विधेयक को भली भांति अध्ययन किया होगा तो उन्हें यह भली भांति परिचय मिल गया होता कि अबकी हमने.....

श्री अध्यक्ष—मैंने जोरावर वर्मा जी को बुलाया था। मैं समझा शायद कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल है, आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आई ऐम सारी (मुझे खेद है।)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन शिवनारायण जी के भाषण के बाद जैसा नेता विरोधी दल को बोलने का साहस हुआ उसी प्रकार मुझे भी बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि यह एक हजार से बढ़ा कर ५ हजार इसलिये कर दिया गया ताकि उन मकान मालिकों के ऊपर पाबन्दी हो सके कि वह किरायेदारों पर अन्याय न कर सकें। अध्यक्ष महोदय, यह जो मूल अधिनियम है उसके पेज १४ पर सेक्शन ८ दिया हुआ है पेनालटी का वह इस प्रकार है :—

"Penalty—Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction, with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine upto Rs. 1,000 or with both."

अध्यक्ष महोदय, इसमें इतनी चीजें हैं कि फाइन भी हो सकता है, सजा भी हो सकती और दोनों हो सकते हैं। अगर एक हजार रुपए से २ हजार रुपए कर दिया जाता तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात न होती जो कि बड़ी विचित्र ढंग की मालूम पड़ती लेकिन एक दम से एक हजार का ५ हजार कर देना यह समझ में नहीं आया कि किन परिस्थितियों में इस धारा को यहां रखने की आवश्यकता पड़ गयी। मैं समझता हूं कि जो रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है उसमें भी किन्हीं ऐसी परिस्थितियों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया जिनमें पड़ कर माननीय मंत्री जी या सरकार को इस धारा के रखने की आवश्यकता पड़ गयी है। इतना ही नहीं मैं समझता हूं कि यह जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें सम्भवतः तीन हजार रुपए तक ही जुरमाना करने का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था। लेकिन पता नहीं मंत्री जी इतनी लेटीट्यूट मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं चूंकि पांच हजार शब्द आ गया है इसलिये माननीय मंत्री जी उस इवीडेंस ऐक्ट में भी इसके द्वारा संशोधन पेश करना चाहते हैं कि बजाय तीन हजार के उनको पांच हजार तक जुर्माना करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक पेश किया गया है उसके पेज ६ पर लिखा है :—

"Notwithstanding anything contained in section 32 of the Criminal Procedure 1898, it shall be lawful for a Magistrate

[श्री जोरावर वर्मा]

of the First Class trying any case under this Act to pass a sentence of fine, not exceeding five thousand rupees."

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है और न इस रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई प्रकाश डाला गया है कि माननीय मंत्री जी को इतनी आवश्यकता आन पड़ी कि जो बड़े-बड़े ऐक्ट (कानून) हैं उनके अधीन जो मजिस्ट्रेट को अधिकार हैं उनमें भी संशोधन पेश करना पड़े। दूसरी चीज यह है कि माननीय मंत्री जी ने सेक्शन ८ में इस प्रकार का संकेत नहीं किया कि किन-किन परिस्थितियों में वह पांच हजार तक का जुर्माना करने का अधिकार इसमें रख रहे हैं। इसलिये इन तमाम बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि श्री नारायणदत्त जी ने जो संशोधन रखा है उसको वह मान लें क्योंकि इसमें मकान मालिक पर भी पांच हजार जुर्माना हो सकता है और किरायेदार पर भी। तो मैं समझता हूं कि शायद ही एक परसेंट किरायेदार इस प्रदेश में ऐसे हों जो पांच हजार रुपये जुर्माना उनके ऊपर हो जाय, तो उसे दे सकें। अधिकतर किरायेदार वही होते हैं जिनकी हालत खराब है, जिनके पास मकान नहीं है, तो अगर उनके ऊपर कहीं पांच हजार जुर्माना हो गया तो जीवन भर उनको स्लेवरी (दासता) करनी पड़ेगी। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय जोरावर वर्मा जी ने और नारायणदत्त जी ने मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर जो परिवर्तन करने की बात कही गयी है उसका ठीक तरह से अध्ययन किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि क्या कारण है कि यह पांच हजार की जुर्माने की रक़म धारा ८ के अन्दर रखी गयी है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि अक्सर सरकार के पास यह शिकायतें आती रहती हैं कि मालिक मकान लम्बी चौड़ी पगड़ी किरायेदारों से ले लेते हैं। कोई दुकान अगर किसी किरायेदार को दी जाती है तो उसको ३, ४, ५ हजार वह पगड़ी ले लेता है। धारा ८ की उपधारा २ में यह लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट उस मकान मालिक पर जुर्माना कर सकता है और उस जुर्माने का काफी हिस्सा उस किरायेदार को दिलवा सकता है। यदि किसी मकान मालिक ने ५ हजार की पगड़ी ले ली है तो अगर किरायेदार को उसे वापस दिलाना है तो वह तभी दिला सकता है जब वह मकान मालिक के ऊपर काफी रक़म जुर्माना करे। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे मकान के मालिक के ऊपर अधिक जुर्माना किया जाय और उस जुर्माने की रकम से किरायेदार को मदद पहुंचाई जाय। मैं समझता हूं कि इस व्याख्या के बाद मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं आशा करता हूं कि श्री नारायण दत्त जी अपने संशोधन को उपरोक्त कारणों से वापस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं अपने इस संशोधन को वापस करने के लिए तैयार हूं अगर माननीय मंत्री जी इस उपधारा एक को इस प्रकार से दो हिस्सों में कर दें कि एक हजार तक का जुर्माना और दूसरी हालतों में लिया जायगा लेकिन सेक्शन ४ के मातहत जो केस आयेंगे उनमें पांच हजार तक लिया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से उपधारा १ है वह सारी दफाओं के लिये रखी गयी है। माननीय मंत्री जी अगर यह कहें कि इसको सेक्शन ४ के लिए रखा है, पगड़ी वाले मामलों के लिए है, हर कंट्रावेंशन के लिए नहीं तो एक रेखा खींचना आवश्यक है। अगर माननीय मंत्री जी पगड़ी वाले मामलों के लिए करना चाहते हैं तो इस उपधारा के दो हिस्से कर दें, एक यह कि धारा ४ के मातहत इतनी सजा होगी और बाकी धाराओं के मातहत इतनी सजा होगी और इतना जुर्माना होगा। अगर वह इसके दो हिस्से कर दें तो मैं अपने संशोधन को वापस ले सकता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव नारायण दत्त जी ने दिया है वह भी मुझे मान्य नहीं है। उसका कारण यह है कि सरकार के पास ऐसी

शिकायतें भी आयी हैं जिनमें किरायेदारों ने मकान छोड़ते वक्त दूसरों को किराये पर देते समय पांच-पांच हजार , आठ-आठ हजार की पगड़ी ले ली है। तो ऐसे किरायेदारों को भी दंड मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि अमुक व्यक्ति जो इस तरह के कार्य करता है वह किस प्रकार से उसे सजा दे। मेरे पास ऐसे कागजात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे यह ज्ञात हुआ है कि ऐसे भी किरायेदार हैं जिन्होंने मकान या दूकान छोड़ते वक्त मकान मालिक या दूसरे किरायेदारों से आठ-आठ हजार, छः-छः, हजार की पगड़ी ले ली है। इसलिये जो सुझाव उन्होंने उपस्थित किया है वह मुझे मंजूर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो किरायेदार पगड़ी लेता है उसके सम्बन्ध में इस ऐक्ट में प्राविजन कहां है? वह तो है ही नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब यह मसला जिलाधीश के सामने जायगा तो ऐसे व्यक्ति को भी जिलाधीश इन्क्वायरी करने के बाद अगर इस निर्णय पर पहुंचता है कि किरायेदार ने पगड़ी लेकर सबलेटिंग की है, तो उसे भी इसे धारा के अन्दर ला सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—किस धारा के अन्दर?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसी धारा के अन्दर। कंट्रावेंशन जो इस कानून का करता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा (८) की उपधारा (I) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इस पर डिवीजन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब बहुत देर हो गयी। मैं "गिर गया" कह चुका हूं। आप एकदम से खड़े हो जाते, आपने बहुत आसानी से, बहुत धीरे-धीरे खड़े होकर यह कहा। मैं समझा कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खंड १३ में प्रस्तावित धारा (८) की उपधारा (३) के निकाले जाने—उपधारा (३) का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जब पूरी धारा है तब तो निकाल देने का सवाल आता है। लिखा तो यही है कि आप उपधारा ही निकालना चाहते हैं इसलिये आप संशोधन पेश कर सकते हैं कि प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (३) निकाल दी जाय। ऐसा संशोधन होगा आपका।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा (८) की उपधारा (३) निकाल दी जाय। उपधारा (३) इस प्रकार है—

(3) Notwithstanting any thing contained in section 32 of the Criminal Procedure 1898 it shall be lawful for a Magistrate of the First Class trying in any case under this act to pass a sentence of fine not exceeding five thousand rupees."

श्रीमन्, इस प्रकार सी० पी० सी १८९८ को इस प्रकार चैलेंज करना यहां उपयुक्त नहीं है कि हम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के बिना किसी कारण ५,००० रुपया जुर्माना करने का अधिकार दे दें। मैं इसे सिद्धान्तः गलत समझता हूं और इसी से इसका विरोध करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस धारा को रिड्राफ्ट करें और फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट को जो पावर दी जाय वह सी० पी० सी० १८९८ की लिमिट के अन्दर रक्खें उसके बाहर न ले जायं, क्योंकि यह शोभा नहीं देता।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, जब पहली धारा को स्वीकार कर लिया कि ५ हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है तो फिर मैजिस्ट्रेट ही उस केस को ट्राई करेगा तो यह तो प्रोसीजर का सवाल है। अब भी सी० पी० सी० में यह अधिकार है कि किसी भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को पावर दी जा सकती है कि वह ५ हजार रु० तक जुर्माना करे। बजाय इसके कि होम डिपार्टमेंट रेंट कंट्रोल के केसेज को सेटिल करने के लिये अलग-अलग मैजिस्ट्रेट्स को नोटिफिकेशन द्वारा पावर दे हम इस ऐक्ट के द्वारा पावर दे रहे हैं। जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अधिकार देगा रेंट कंट्रोल के केसेज को तै करने का उनको यह अधिकार होगा कि वह ५,००० रु० तक जुर्माना कर सकें। इसलिये नारायण दत्त तिवारी जी की मंशा पूरी नहीं होती जब पहली उपधारा को मान लिया गया कि जब मैजिस्ट्रेट केस ट्राई करेगा तो ५ हजार रुपया तक जुर्माना वह कर सकेगा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यु करे इस असुविधा से बचाने के लिये यह पावर दे रही है। मेरा अनुरोध है कि तिवारी जी अब अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और माननीय बनारसीदास जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि साधारणतौर पर मुकदमा सेटिल करने का जो तरीका है वही ढंग अगर यहां भी रक्खा जाय तो मुनासिब होगा। मैं समझता हूं कि यह एक गैर मामूली कानून है और गैर मामूली कानून होता है, गैर मामूली मुकदमों को सेटिल करने के लिये। पहले जमाने में तो यह चीज ठीक हो सकती थी लेकिन आज के जमाने में जब मामूली तरह से लोगों का काम चलने लगा है उस वक्त गैर मामूली तरीके से कंट्रोल करना कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से सरकार कठिनाई में पड़ जायगी अगर साधारण तौर पर रेंट कंट्रोल के मुकदमों की कार्यवाही की जाय। अगर सरकार का उनके काम में कोई दखल देने का इरादा नहीं है तो फिर किसी मैजिस्ट्रेट को इतनी पावर दे देना कुछ अच्छा नहीं लगता। माननीय मिनिस्टर ने कहा कि जब किसी एक मजिस्ट्रेट जिसको डी० एम० रिकमेंड करेगा उसको यह काम सुपुर्द कर दिया जायगा और फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करे इस दिक्कत से बचने के लिये गवर्नमेंट यह पावर दे रही है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हालांकि सदन में उसके कहने का कोई तुक तो नहीं है, लेकिन जैसा कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी एक मैजिस्ट्रेट को अपनी इच्छानुसार यह काम सौंप देगा, तो यह आजादी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को न होनी चाहिये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही तो इस कानून का दरअसल में दूल्हा है। और सब बरात वाले हैं और पीछे चलने वाले हैं और जो दूल्हा होता है उसको बड़ा रोब रहता है चाहे वह कोई लड़का हो या बड़ा हो, लेकिन उसका बड़ा रोब रहता है उस समय शादी के समय में वह किसी की सुनता नहीं है। तो इस कानून के द्वारा जो पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है उस पावर की उमंग में वह किसी को पहिचानने के मूड में नहीं रहेगा। तो अगर किसी ने जरा भी उसके हुकुम के बरखिलाफ कुछ किया तो फिर उसको वह अच्छी तरह से दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। अव्वल तो वह ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसकी समझ का आदमी हो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि बनारसी दास जी इस बात को मान जायं जैसा कि नारायण दत्त जी कहते हैं और फिर आपको कोई विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह काम साधारणतौर पर चलता रहेगा।

***श्री शिवनाथ काटजू**—रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर सेक्शन १६ के अन्तर्गत यह प्राविजन है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो निर्णय करे उसकी कोई अपील नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकती । जहां पर ५,००० का जुर्माना होता हो वहां पर एक कानून के दृष्टिकोण से अपील न हो यह असंगत सी बात है। यहां पर यह प्रश्न नहीं है। वह ऐक्ट हमने यहां पर पास कर दिया कि ५ हजार तक जुर्माना हो सकता है। यह हमने खंड ३ के उपखंड २ के अन्दर पास कर दिया कि सेक्शन ४ के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट ५ हजार तक जुर्माना कर सकता है। तो जब हमने यह स्वीकार कर लिया कि मजिस्ट्रेट कर सकता है...

श्री अध्यक्ष—वह अभी पास नहीं हुआ है।

श्री शिवनाथ काटजू—जी हां, अभी वह पास नहीं हुआ है लेकिन ५ हजार के जुर्माने का सवाल है। उसके केसेज सेशन जजी में जायं या और किसी कोर्ट में जायं। अब जैसा कि बनारसीदास जी ने कहा कि यह मुश्किल हो सकती है कि उस मजिस्ट्रेट के यहां जायं जो ५ हजार तक जुर्माना करने का अधिकार रखता है। ऐसे मजिस्ट्रेट जो हैं, उनको यह अधिकार न देते बल्कि यह कर देते कि इस तरह का प्रतिबन्ध लगा देते। जैसा बनारसीदास जी ने कहा कि एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता और इस तरह की इतनी पावर दे दी जाती, लेकिन ऐसी बात नहीं रखी है। मैं यह समझता था कि ५ हजार तक के जुर्माने के मामले मजिस्ट्रेट के यहां नहीं हो सकते। यदि वह सेशन जजी में जायें तो कम से कस उसमें कहने की गुंजायश नहीं है।

लेकिन अब वह मंजिल गुजर गयी। तो अब यह कहना कि केवल वही मैजिस्ट्रेट करें जिनको इस प्रकार के अधिकार हैं इसमें कुछ ज्यादा गुंजायश नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह बेकार सा संशोधन है और बेहतर होगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री रामनरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि इस समय प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है । श्री नारायणदत्त तिवारी विवाद का उत्तर दे ही रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं फिर अपने संशोधन पर जोर देता हूं।

श्री बनारसी दास—मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है । श्री गेंदासिंह जी की जो शंका है वह ग़लत है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट तो इन केसेज को सुनेंगे ही और अगर आप इस विधेयक में ही फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को पावर न भी दें तो जिस मैजिस्ट्रेट को आप दूल्हा कहते हैं वह गवर्नमेंट को लिखेगा कि फलां मैजिस्ट्रेट को ५ हजार तक के केसेज की पावर दे दी जाय, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिले में यह तय करेगा कि उन केसेज को कौन सुने। इसलिये यह तो एक प्रोसीजर का सवाल रह जाता है, आप उससे किसी प्रकार भी नहीं बच सकते। हर सूरत में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को यह पावर दी जायगी। चाहे आप इस विधेयक के द्वारा दे दीजिये या उस प्रकार से। दोनों प्रकार से गवर्नमेंट की शक्ति तो एक सी है जो इस विधेयक के द्वारा उसको आप देने जा रहे हैं। इसलिये यह धारा रखी जा रही है कि अधिकारियों का समय बचे और आपको लाभ हो। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय तिवारी जी अपना संशोधन वापसि ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा ८ की उपधारा (३) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष (श्री जोरावर वर्मा से)-- आप इसका (पूरे खंड का) विरोध कर सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं खंड १३ का विरोध करता हू। आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा सा इस खंड को पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है--

"(8) (1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or any order made in pursuance thereof, shall be punishable on conviction with simple imprisonment for a term which my extend to six months or with fine up to Rs. 5,000/- or with both.

(2) Where a person has been convicted for contravention of the provisions of section 4 the Magistrate by whom the case is heard may direct ,that out of the fine, if any, imposed and realized from the person so convicted an amount not exceeding the amount paid as premium or additional payment over and above the rent for admission as a tenant to any accommodation, may be paid to the person by whom such payment was made.

Provided that any amount paid to the person aforesaid under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent claim for compensation or restritution on account of the amount realised in contravention of Section 4.

(3) Not withstanding any thing contained in section 32 of the Criminal Procedure, 1898 it shall be lawful for a Magistrate of the First Class trying any case under this act to pass a sentence of fine not exceeding five thousand rupees.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक हजार के बजाय एक दम ५ हजार की हद मुकर्रर कर दी गयी है जो मुझको उचित नहीं मालूम होती। इसमें यह भी तय नहीं है कि यह जुर्माना मकान मालिक पर होगा, जो प्रायः धनी आदमी होता है, अथवा किरायेदार पर होगा। क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि किरायेदार पर भी यह जुर्माना हो सकता है ऐसी स्थिति में मेरा ख्याल है कि यह खंड उपयुक्त नहीं है।

दूसरा जो प्रावीजन है उसमें सेक्शन ४ का हवाला आया है। अण्डर सेक्शन फोर जो आफेन्सेज होंगे उसमें यह है। मूल अधिनियम की धारा ४ इस प्रकार है :--

"4. *Premium of any Additional payment over Rent Prohibited.*—No landlord shall take any premium or any other additional payment of any sort over and above the rent fixed for the admission of a tenant to any accommodation."

अध्यक्ष महोदय, इस सेक्शन के अनुसार स्वभावतः यह जो फायदा है मैं समझता हूं कि किरायेदार को मिलेगा और सजाई मकान मालिक को मिलेगी। दूसरे सेक्शन का विरोध माननीय नारायणदत्त जी ने किया जिसके अनुसार माननीय मंत्री जी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको ३ हजार तक जुर्माना करने का अधिकार है उसको ३ हजार से ५ हजार रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार दे रहे हैं, जैसा कि अभी माननीय काटजू साहब ने प्वाइंड आउट किया कि माननीय मंत्री जी ऐसा अधिकार देने जा रहे हैं लेकिन इस पुराने ऐक्ट का जो सेक्शन १६ है वह इस प्रकार से है--

"16. *Orders under the Act not to be Questioned in any Court.*—No order made under this Act by the State Government or the District Magistrate shall be called in question in any Court."

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मौजूदा विधेयक के खंड १३ (३) के अनुसार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देने जा रहे हैं कि चाहे मकान मालिक हो या चाहे

किरायेदार हो अगर वह एक ऐक्ट के खिलाफ चलता है तो उस पर ५ हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और उसकी शर्त, यह है कि इस ऐक्ट के अनुसार जो धारा १६ है उसकी अपील किसी कोर्ट में नहीं हो सकती है। श्रीमन्, उस टाइम जब कि मैंने यह संशोधन पेश किया कि खंड १० के बाद एक नया उपखंड (क) जोड़ दिया जाय और जो ७ (ई) है उसकी उपधारा (४), (५), (६), (७), और (८) में भी संशोधन पेश किया था कि जहां-जहां शब्द 'मुंसिफ' आया है वहां 'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट' कर दिया जाय---

श्री बनारसी दास---श्रीमन् यहीं रेपिटीशन हो रहा है। पहला संशोधन मूव करते हुए जो बातें कही गयी थीं वही बातें दूसरा संशोधन मूव करते हुए रिपीट की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कंक्लुजन अभी नहीं बतलाया, नतीजे पर आने दीजिये तो पता लगे।

श्री जोरावर वर्मा---तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आप मुन्सिफ को हटा कर उसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को लाना चाहते हैं। हमने आगे चल कर मुंसिफ को ही फाइनल अथारिटी माना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मामले की अपील हो क्योंकि वह फाइनल अथारिटी नहीं होता है। इस ऐक्ट के अनुसार जो मुंसिफ है वही फाइनल अथारिटी होगा। मजिस्ट्रेट चूंकि फाइनल अथारिटी नहीं होता है इसलिये उसकी अपील हमेशा होती है। लेकिन इस ऐक्ट की धारा १६ के अनुसार माननीय मंत्री जी ने बजाय मुंसिफ के वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रख दिया है। मेरे संशोधन पर तो आपने आब्जेक्शन किया कि उसकी अपील हो सकती है लेकिन जो खंड १३ है उसके अनुसार आप वही अधिकार देने जा रहे हैं जिसका कि पहले विरोध कर रहे थे। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस खंड का विरोध करता हूं कि चाहे कोई मकान मालिक हो, चाहे किरायेदार हो, दोनों ही इस देश के नागरिक हैं इसलिये हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह इस इस प्रकार के कड़े दण्ड द्वारा नुकसान हो। और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि मैजिस्ट्रेट ही सर्वेसर्वा हो, इतना बड़ा अधिकार हमको उसे नहीं देना चाहिये। चाहे किरायेदार हो, चाहे मकान मालिक हो, इतना बड़ा अधिकार दे देना कि उसकी अपील भी न हो और दंड भी ५ हजार रूपये तक जुर्माने का हो, इतना बड़ा अधिकार हम उसे देने के लिये तैयार नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं खंड १३ का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेने की कृपा करेंगे।

***श्री रामनरेश शुक्ल**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन माननीय जोरावर सिंह को सुनने के बाद यह मुमकिन नहीं है कि कोई न बोले। असल बात यह है कि या तो यह सदन मान ले कि पगड़ी लेना या पगड़ी देना ठीक है और अगर ठीक नहीं है तो दूसरी बात मान ले कि पगड़ी लेने वाले और देने वाले के साथ सहूलियत का बर्ताव किया जाय। अगर यह भी न माना जाय और यह कहना कि पगड़ी लेना और देना दोनों खराब है और जो भी ऐसे मामले हैं उसमें सख्ती न की जाय और फिर यह कहना कि दोनों स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते उसके साथ सख्ती न करनी चाहिये यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। और यह तर्क सचमुच वही कर सकते हैं जो सरकार के विरोध में बैठा करते हैं। यह बात अपनी जगह पर सत्य है कि जो कानून का उल्लंघन करते हैं, मकान के मामले में जो सूरत है, जहां तक पगड़ी लेने और देने का सम्बन्ध है वह तो सब माननीय सदस्य जानते ही हैं। दूसरी बात यह भी है कि जबरदस्ती मकान पर कब्जा कर लेना, एलाट किसी के नाम हो और घुसा कोई जा रहा हो, किसी से मकान छीन लेना, कुछ मकान मालिक ऐसे भी मिलेंगे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

जिनके तीन-तीन मकान हों और वे झूठे तौर पर कब्जा करना चाहते हों तो ऐसी सूरत में जब मकानों की कमी है और इस समस्या को हल करना है तो हमें सख्ती से काम लेना ही होगा और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि माननीय गुप्त जी ने इस तरह का सख्ती का कदम उठाया है। कहा जाता है कि अपील की गुञ्जाइश होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई पगड़ी लेता है और देता है और उस पर अगर जुर्माना होता है या सजा होती है तो उसके साथ हमदरदी मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों कि जाय, अगर इस तरह की आशा की जाती है तो मैं समझता हूं कि यह कोई मुनासिब बात नहीं होगी। मैं इन शब्दों के साथ माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का घोर विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह उस मनोवृत्ति पर गौर करें कि जो इस समय देश में चल रही है उसको देखते हुये चाहे वह किरायेदार हों या मालिक मकान हो अगर कोई भी कानून को तोड़ता है तो उसे सजा मिलना चाहिये। उनका इस तरह से दलील देना यह तो वही कहावत हो गई कि कभी ४ लड़कों ने एक घोड़ा मार दिया था और जब वे निर्णायक महोदय के पास गये और कहा कि इन लोगों ने घोड़ा मारा है तो वह मिताक्षर न्याय के अनुसार बोले कि इन सब को ६, ६ महीने की सजा दे दो। लेकिन जब उन से कहा कि उन चारों में निर्णायक महोदय का एक लड़का संतोख भी है तो उन्होंने जरा पन्ने पलटे और फिर निर्णय को बदल कर कहा कि "जहां रहे संतोखा। घोड़ा मारे कोई न दोखा" तो मैं कहता हूं कि इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिये। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसको अवश्य सजा भोगना चाहिये और हमें संतोखा वाली मनोवृत्ति को छोड़ कर न्याय की मनोवृत्ति पर चलना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अभी जो भाषण माननीय राम नरेश जी ने किया है और जो कुछ उन्होंने कहा है वह ऐसा था कि जिससे मालूम होता है कि उन्होंने इस धारा का विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष—वह थोड़े असंगत हो गये थे।

श्री अब्दल मुईज खां—अध्यक्ष महोदय मैं केवल एक बात कह कर खत्म कर दूंगा और वह यह है कि चूंकि धारा १६ में कलेक्टर के आर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं रखी गई है तो ५,००० रुपये के फाइन के ऊपर भी अपील नहीं हो सकेगी और इस बात का माननीय वर्मा जी ने भी विरोध करते हुये फरमाया था कि चूंकि जुर्माने के बाद अपील की गुंजाइश नहीं है इसलिये वह इस खंड का विरोध करते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सेक्शन १६ में है कि "No order made under this act by the State Government or the District Magistrate shall be called in question in any court."

अर्थात् मैजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट के एफेक्टिव आर्डस होंगे और जिनका उल्लंघन करना अफेंस समझा गया है और उस सूरत में अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जब ट्रायल होगा और कनविक्शन होगा और उस के खिलाफ अपील जो साधारणतया होती है उस से वह वंचित नहीं होगा। इसलिये इस रूप में धारा १६ को देखेंगे तो कोई अपील नहीं कर सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने अभी इस संबंध में जो कुछ कहा गया उसे सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब श्री जोरावर जी ने बड़े जोर से धारा १६ का हवाला दे कर कहा था कि इतने बड़े अधिकार दिये जा रहे हैं। उस में साफ लिखा है कि "No order made under this Act by the State Government or the District Magistrate shall be called in question in any Court" यानी आर्डर्स चाहें एलाटमेंट के बारे में हों या सेक्शन ३ की इजाजत के बारे में हों वह एक्जियूटिव आर्डर्स हैं और जितने भी मुकदमे कोर्ट में चलेंगे वे सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक ही चलेंगे और उसी के मुताबिक अपील भी होगी लिहाजा यह कहना बेकार है कि इतना बड़ा अधिकार दिया जा

रहा है। कम से कम श्री राजनारायण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल उनकी दलील काम दे गई और कल से कुछ रुख बदल गया और जोरावर वर्मा जी ने यह दिखलाने की कोशिश की तो कम से कम राज नारायण जी को कृतज्ञ होना चाहिये कि ऐसा नहीं है कि जोरावर जी जिद करते हैं, कभी-कभी उनकी बात मान भी जाते हैं और इसलिये उन्होंने हर बात में आज यह दिखलाने की कोशिश की कि हम कल की सफाई दे रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि टेनेंट्स को मारा जाय और इसलिये धारा १३ अपनी जगह पर सही है। मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कण्ट्रोल आफ़ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ में और संशोधन करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट, ३ १९४७।

विधेयक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल, आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ जारी रखा गया था जो ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट, २४, १९५२।

और यह आवश्यक है कि उक्त ऐक्ट को ३० सितम्बर, १९५८ तक जारी रखने की व्यवस्था की जाय और यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उसमें संशोधन किये जायं।

इसलिये भारत के गणराज्य के पांचवें वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ होगा।

(२) यह ३० सितम्बर, १९५४ से प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे कुछ थोड़ा सा ही कहना है। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जब यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया था उस समय उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में और वैसे भी इशारा यह किया था कि सारी रिपोर्ट पर, जो कि बनारसी दास कमेटी की रिपोट थी उस पर, विचार पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका और ३० सितम्बर, के पहले यह विधेयक हो जाना चाहिये था, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई नया विधेयक इस वर्ष के अंत तक लाने वाले है, मैं इसी की जानकारी करना चाहता हूं।

श्री बनारसी दास—इस वक्त कोई ऐसा विचार नहीं है। जो मौजूदा विधेयक है आपके सामने है और आगे के लिये अगर कोई आवश्यकता हुई तो विचार किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि इस सदन ने उसका संशोधन किया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज असिस्टेण्ट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (सँशोधन विधेयक, १९५४

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो यह ११ वां आइटम जो एजेंडा पर है और जिसके लिये मैंने माननीय विरोधी नेता से भी सलाह कर ली है, ले लिया जाय। यह दो चार मिनट का है और इसमें कोई ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस संबंध में एक दिन चर्चा हुआ था जब हमारी तरफ से भी एजेंडा के क्रम में कुछ परिवर्तन करने की प्रार्थना की गई थी। उस समय माननीय नेता सदन हाफिज मुहम्मद साहब ने यह कहा था कि यह सब तो एक प्रस्ताव के अधीन हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मैं आपकी व्यवस्था जानना चाहूंगा कि उस रोशनी में हम क्रम में कोई परिवर्तन कर सकते है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—अगर कोई एक भी सदस्य इसका विरोध करता है तो परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक मत सदन का हो जाता है तो किसी भी फैसले में परिवर्तन हो सकता है अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो इसको ले लिया जाय नहीं तो नहीं लिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—आप स्वयं सरकार की रीजनेबिलनेस को देख रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं तो मैं अन्न मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हूं।

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मूल अधिमियम १९३४ में बना था। उस अधिनियम के मुताबिक यू० पी० नर्सेज मिडवाइव्ज कौंसिल की स्थापना की गई। उस कौंसिल में विधान सभा के और विधान परिषद के सदस्य प्रतिनिधि स्वरूप भेजे जाते हैं। सन् १९३४ के अधिनियम के मुताबिक कोई भी सदस्य जिसकी सदस्यता विधान सभा या विधान परिषद से समाप्त हो जाती है वह उस कौंसिल में तब भी बना रहता है। सिद्धांत यह होना चाहिये कि उसे उसी समय तक उस कौंसिल में रहना चाहिये जब तक कि उनकी सदस्यता विधान सभा या विधान परिषद में बनी रहती है। गत आम चुनाव के बाद यह प्रश्न कौंसिल के प्रेसीडेंट ने उठाया और उन्होंने यह लिख कर भेजा कि आया जो सदस्य विधान सभा या विधान परिषद में चुन करके नहीं आये हैं, या जो विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है वे इस कौंसिल के आगे सदस्य रह सकते हैं या नहीं। यह मसला ला डिपार्टमेंट के पास भेजा गया। उसने अनुमति दी कि कोई व्यक्ति विधान सभा का या विधान परिषद का सदस्य जब तक है, उसी समय तक वह उस कौंसिल का सदस्य बना रह सकता है। इस तरह से सरकार ने इस पर विचार किया और यह उचित समझा कि जितनी भी

कमेटियां सरकार की ओर से बनायी जाती हैं और उन कमेटियों में विधान सभा और विधान परिषद के जो सदस्य भेजे जाते हैं, उनकी अवधि उतनी ही मानी जानी चाहिये जितनी की उनकी अवधि विधान सभा या विधान परिषद के मेम्बर की हैसियत से है। यह एक छोटा सा संशोधन है जिसके द्वारा आगे जो सदस्य यू० पी० नर्सेज, ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में भेजे जायेंगे उनकी अवधि उतनी ही मानी जायगी जितनी कि उनकी अवधि विधान सभा या विधान परिषद में है इतना ही इस बिल में संशोधन है। मुझे आशा है कि माननीय विरोधी दल के सदस्य भी इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करेंगे और अधिक विवाद की आवश्यकता भी नहीं है

एक और बात मैं कह देना चाहता हूं कि जितनी भी कमेटियां सरकार की ओर से बनती हैं और जिनमें विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य भेजे जाते हैं उनकी कमेटियों में एकरूपता अथवा यूनीफारमिटी आनी चाहिये ताकि वे व्यक्ति विधान सभा के जब तक सदस्य बने हुये हैं उसी समय तक वे उन कमेटियों में भी बने रहें। इसी उद्देश्य को लेकर यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के सदस्यों की अवधि निर्धारित करने का विधेयक प्रस्तुत है, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय जिस ऐक्ट में जो सन् १९३४ का है, सरकार की तरफ से संशोधन किया जा रहा है वह ३७ धाराओं का है और मैं इस अवसर से लाभ उठाकर सरकार के इस रवैइये का विरोध करता हूं कि जब कभी वह किसी ऐक्ट में परिवर्तन करना चाहती है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देती है और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है और सदन का समय नष्ट होता है। मेरी बात स्पष्ट हो जाय इसके लिये अध्यक्ष महोदय मैं कान्स्टीट्यूशन आफ दी कौंसिल में कौन-कौन होंगे, इसको पढ़ देना चाहता हूं।

मैं यू० पी० नर्सेज मिडवाइव्ज असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा ४ को पढ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

4. (1) The Council shall consist of 18 members,

(*a*) as ex-officio members,

(i) The Inspector General of Civil Hospitals, United Provinces,

(ii) the Director of Public Health United Provinces;

(iii) the Lady Superintendent of Nurses, King Goerge's Hospital Lucknow;

(iv) the Superintendent, Medical Aid to Women, United Provinces;

(v) the Director, Maternity and Child Welfare Section, Red Cross Society, United Provinces;

(vi) the Chief Inspectress of Girls' Schools, United Provinces;

(vii) the Superintendent, King George's Hospital , Lucknow.

(viii) the Superintendent of Nursing, Thomason Hospital, Agra.

(ix) the Superintendent, Lady Lyall Hospital, Agra;

(x) the Matron of the Civil Hosipital, Allahabad; and

(*b*) as elected-members,

(i) two non-official registered medical practitioners (one of whom shall be a woman) elected by the Governing Body of the United Provinces State Medical Faculty from among its own members,

(ii) two members of the United Provinces Legislative Council elected by the non-offiial members of the Council;

(iii) a registered nurse elected by the registered nurses;

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(iv) a registered nurse resident in the United Prvovinces nominated by the United Provinces Branch of the Trained Nurses' Association of of India;

(v) a registered midwife elected by the registered midwives; and
(vi) a registered health visitor elected by the registered health visitors.

अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से हमेशा यह मांग की गई है कि ऐसी कौंसिल या बोर्डों में नान आफिशियल रिप्रजेंटेशन ज्यादा होना चाहिये। जो मैन बोर्ड का, कौंसिल का कांन्स्टीट्यूशन आपके सामने रखा उसमें करीब १३ मेम्बर १८ में से ऐसे है जो कि सरकारी है या सरकार के द्वारा नामजद है और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इस मौके पर जबकि सरकार को हमारी मांग पर ध्यान देना चाहिये था कि नान-आफिशियल मेम्बर्स ज्यादा कौंसिल में रखने चाहिये थे इस पर उसने ध्यान नहीं दिया। और जब मैंने इस संशोधन विधेयक को देखा तो और भी मुझे ताज्जुब हुआ कि उसमें लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स का कोई प्रतिनिधित्व है नहीं और जब यह उपस्थित विधेयक देखता हूं तो उसमें लिखा है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल या लेलिस्लेटिव असेम्बली जैसा भी विषय हो तो उसमें तो लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर का प्राविजन ही नहीं है। तो यह उपस्थित विधेयक किस प्रकार का है यह कुछ समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—यह क्या अधिनियम अप टु डेट आपके पास है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां। अमेंडमेंट तो उसमें हुआ ही नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५२ में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें कि दो असेम्बली के सदस्य जाते हैं और एक कौंसिल के सदस्य जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो यह आपका अप टु डेट नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—दूसरे अध्यक्ष महोदय, इसमें नान आफिशल मेम्बर्स की संख्या बहुत कम है। मेडिकल बोर्ड के संबंध में भी, होम्योपैथिक ऐक्ट के संबंध में भी हमने यह विचार सदन के सामने रखा था कि सरकार हमेशा हर कार्य में अपना ही नियंत्रण रखना चाहती है और दूसरे अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक ऐसे समय आया है जब कि सरकार अपनी तरफ से कोई मत्तंबा कह चुकी है कि नरसेज, मिडवाइव्ज तथा हैल्थ विजिटर्स वगैरह की बड़ी कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप जानते है और माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि जहां जहां नर्सेज रखी जाती हैं वहां शरीफ घराने की लड़किया नहीं जाती है। आखिर इसकी भी जिम्मेदारी सरकार पर है। एक तरफ तो यह कहना कि नर्सेज की और मिडवाइव्ज की कमी है और दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था न रखना कि वहां जाकर वह अपने चरित्र तक को सुव्यवस्थिति तथा सुरक्षित रख सकें, कहां तक उचित है। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है कि उनको अपनी तरक्की के लिये अपने चरित्र का पतन भी करना पड़ता है तो ऐसे समय में सरकार का यह कह देना कि लेजिस्लेटिव असेम्बली या कौंसिल के मेम्बर का टनर्म खत्म हो जाय और वह असेम्बली या कौंसिल के मेम्बर न रह जायं तो वह उसके भी मेम्बर न रहें, यह संशोधन नाकाफी था। इस वक्त तो सरकार को चाहिये था कि एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक संशोधन विधेयक वह उपस्थित करती जिसमें इन सब समस्याओं पर ध्यान दिया जाता। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं नर्सेज और मिडवाइव्ज का कितना महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिये। अगर हम उनकी सेवाओं को देखें तो हम उनके लिये जितना भी आदर कर सकें थोड़ा है। लेकिन यह सरकार जो आठ वर्ष से शासन कर रही है उसने कोई एसा वातावरण उपस्थित नहीं किया है कि लोग उनके लिये आदर का भाव अपने अन्दर रखें। आखिर रामकृष्ण मिशन है, और और भी सेवा समितियां है, उनके यहां भी नर्सेज है। लेकिन उनके यहां जब कोई जाता है दो जाकर उनको देखते ही एक महान

आदर का भाव उनके प्रति उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। मगर सरकार इस की तरफ ध्यान नहीं देती और हमेशा यह बहाना करती है कि नर्सेज़ की कमी है और नर्सेज आती नहीं। क्या कारण है इसका कि शरीफ घरों की लड़कियां इस तरफ नहीं आतीं, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। वह डाक्टर और वह आफिसर जो कि उनको बदचलन बनाते है और अपने चरित्र का पतन करने के लिये मजबूर करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार करती है अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ उनकी तनख्वाह और तरक्की वगैरह का भी काफी अल्योरमेंट होना चाहिये जिसमें कि उनको काफी वेतन मिले और वह उसे एक प्रिविलेज्ड पोजीशन समझ करके वहां जायं। इन दो बातों पर भी ध्यान देना चाहिये था। और मैं सरकार के इस रवैये पर घोर आपत्ति प्रकट करता हूं कि जहां एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिये था वहां यह एक मामूली संशोधन पेश किया जाता है। १९५२ में भी जब अमेंडमेंट आया उस समय भी इन कमियों को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया और आज इस विधेयक में भी उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। उन खामियों को वैसे ही रहने दिया गया है।

श्री चन्द्र भानु गुप्त––अध्यक्ष महोदय माननीय विरोधी दल के उपनेता जी ने तो बातें इस विधेयक के संबंध में कहीं उनका संबंध तो कम से कम इस समय इस विधेयक से नहीं है। यह विधेयक एक प्रोफेशन के व्यक्तियों से संबंध रखता है और जो प्रोफेशन की कौंसिल होती है उसमें वही आदमी रखे जाते है जो कि उनके प्रोफेशन की जानकारी रखते हों। मेडिकल कौंसिल या होम्योपैथिक कौंसिल में या आयुर्वेदिक कौंसिल में वही व्यक्ति जो कि उन्हीं के क्लास के होते हैं, उन्हीं के प्रोफेशन के होते है, रखे जाते हैं और इसमें भी ऐसे ही व्यक्तियों को ऐसी संख्या में रखा गया है जो उस प्रोफेशन की जानकारी रखते हैं, जो उसे मान्यता प्रदान करते हैं इसलिये इसमें अधिक नान आफीशियल एलीमेंट रखा जाय वह इस स्थान पर उपयुक्त बात नहीं है। रहा नर्सेज के लिये प्रदेश की तरफ से क्या इन्तजाम है, क्या उनकी तनख्वाह है और किस प्रकार से उनका रिक्रूटमेंट है, यह ऐसा विषय है कि इस पर दूसरी जगह बहस की जा सकती है औल इसका उत्तर दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो नर्सेज को तनख्वाह मिलती है वह इस देश में जितने और प्रदेश हैं उनसे कहीं भी कम तनख्वाह नहीं मिलती है और उनके प्रति उतना ही आदर और प्रतिष्ठा है जो इस देश के और प्रदेशों में है यह सही है कि दो तीन वर्ष पहले नर्सेज की कमी रहती थी और जितनी हम नर्सेज चाहा करते थे उस संख्या में वह नहीं मिला करती थीं। परन्तु अब तो ऐसी कोई बात नहीं रही है। जितनी नर्सेज को हम शिक्षा देना चाहते हैं और जिनके लिये हमारे अस्पतालों में इन्तजाम है, उस संख्या में अब नर्सेज मिलने लगी है और हमारी बहिनें इस प्रोफेशन में सम्मिलित होने लगी हैं। वह दिक्कत अब हमारे बीच में नहीं है।

अब रहा और बातों का जिक्र जैसे नर्सेज के प्रति डाक्टरों के व्यवहार का विषय है उसका थोड़े समय में उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बात की पूरी व्यवस्था की जा रही है कि हमारे यहां नर्सेज की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाय और जितने अस्पताल है जहां नर्सिग का इन्तजाम नहीं है उनमें नर्सिग का इन्तजाम किया जाय। इसी वर्ष के बजट में, ८।७ अस्पतालों में नर्सिग की व्यवस्था नहीं थी, इस साल हमने व्यवस्था स्थापित की है और उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जायेंगे और उनके प्रति जो समुचित आदर हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिये वह मिलता रहेगा मैं इन चन्द शब्दों के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि जो विधेयक अभी सदन के विचारार्थ उपस्थित किया गया है उसे सदन अपनी मंजूरी प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हैल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट १५, १९३४ की धारा १० का संशोधन।

२—यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that where a member elected under sub-clause (ii) or (iii) of clause (B) of sub-section (1) of section 4 ceases to be a member of tne Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, as the case may be he shall cease to be a member of the Council."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खण्ड १

यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेण्ट मिडवाइब्ज ऐण्ड हेल्थ-विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिधेयक, १९५४

यू० पी० ऐक्ट १५, १९३४।

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने का

विधेयक

यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० नर्सेज मिडवाइब्ज असिस्टेंट मिडवाइब्ज ऐण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १९३४ को संशोधित करना आवश्यक है;

अतएव अपने गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बल्देव सिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नर्सेज। असिस्टेंट मिडवाइब्ज, मिडवाइब्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुपूरक अनुदानों पर विवाद के लिए निर्धारित तिथियों में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष —मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं माननीय राजा वीरेन्द्र शाह ने पूछा था कि अनुपूरक अनुदानों के लिये जो १३ तारीख रखी थी सामान्य विवाद के लिए उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, तो नेता सदन ने इसके ऊपर विचार करने के बाद मुझसे भी विचार विमर्श किया है इस विषय पर और बजाय १३ के सामान्य विवाद २० सितम्बर को रखा गया और २१ तारीख को अनुदानों की मांगों पर मतदान होगा। यह पूर्व निश्चय में परिवर्तन हुआ है।

बाकी कार्यक्रम जैसा है, विधेयक के ऊपर विचार करने का, वह वैसा रहेगा।

अब हम उठते हैं और सोमवार, १३ सितम्बर को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १३ अगस्त, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ सितम्बर, १९५४।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२ पर)

कच्ची मिट्टी की दीवारों को वाटरप्रूफ बनाने तथा कच्ची ईंटों को पक्की के समान सुदृढ़ बनाने वाली प्रक्रिया की अनुसूची।

कच्ची मिट्टी की दीवारों को वाटरप्रूफ बनाने के बारे में अब तक किये गये प्रयोगों से पता चला है कि मिट्टी में चार प्रतिशत द्रव्य एस्फाल्ट (Liquid asphalt No. 2) व चार प्रतिशत भूसा मिला कर जो प्लास्टर लगाया गया है वह अच्छी तरह से कच्ची ईंटों की दीवारों की रक्षा कर सकता है। ऐसे प्लास्टर का मूल्य साधारण मिट्टी के प्लास्टर के मूल्य से जो बहुधा गांवों में किया जाता है लगभग २ रुपये १० आने से ३ रुपया १० आने प्रतिशत वर्गफीट अधिक होता है। यह भेद एस्फाल्ट के मूल्य के कारण होता है।

कच्ची ईंटों को पक्की के समान सुदृढ़ बनाने के लिये किये गये प्रयोगों से पता चलता है कि यदि मिट्टी में बिटुमन मिला दिया जाये तो मिट्टी वाटरप्रूफ तथा दृढ़ हो जाती है। इस परिणाम को लेकर प्रयोगशाला में बिटुमन मिला कर ईंटें बनाई गई हैं जोकि पानी में आसानी से नहीं घुलतीं। ऐसी ईंटों का एक छोटा सा मकान का माडल बनाया गया है और उस पर बरसात का प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसी इंटों का मूल्य लगभग १९ रुपये प्रति हजार भट्ठे पर होगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृठ १०१ पर)

उत्तर प्रदेश तकाबी विधेयक, १९५४

कृषि, पशु और कुटीर उद्योगों के विकास के निमित्त राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले ऋणों से सम्बद्ध विधि को संशोधित और संहत करने (consolidate) के लिये,

विधेयक ।

प्रस्तावना

यह आवश्यक है कि कृषि, पशु और कुटीर उद्योगों (cottage industries) के विकास के निमित्त राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से सम्बद्ध विधि को संहत (consolidate) और संशोधित किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त सीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तकाबी अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

२—इस अधिनियम में —

(१) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है, और

(२) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

ऋण का दिया जाना।

३—(१) ऐसे प्रतिबन्धों, निरोधों और परिसीमाओं (conditions restrictions and limitation) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार नियत करें या अन्य प्रकार से आरोपित क कृषि, उद्यान-करण (horticulture) पशुपालन, (animal husbandry) या कुटीर उद्योगों (coattge industries) से सम्बद्ध प्रयोजनों के निमित्त, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिकृत करे, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन ऋण दिया जा सकता है ।

(२) विशेषकर और उपधारा (१) की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऋण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये दिये जा सकते हैं :—

(क) खाद या उर्बरक (fertiliser) बीजों, नवजात पौधों (seedlings), छोटे पौधों (sapplings,), छोटी मछलियों (fingerlings) तथा कृषि के औजारों की खरीद,

(ख) बैलों, उन्नत नस्ल की गायों, भैंसों और सांड़ों की खरीद,

(ग) कृषि के विस्तार और जोतों की चकबन्दी के निमित्त भूमि की खरीद,

(घ) बंधियों का निर्माण,

(ङ) कृषि के प्रयोजनों के लिये या कृषि में लगे हुये व्यक्तियों या पशुओं के उपयोग के लिये पानी इकट्ठा करने, पहुंचाने या उसके वितरण के निमित्त कुओं, जिनके अन्तर्गत कच्चे कुयें भी

हैं, और तालाबों तथा अन्य निर्माण कार्यों का बनवाना अथवा ऐसे कुओं, तालाबों अथवा अन्य निर्माण-कार्यों की मरम्मत या जीर्णोद्धार,

(च) नलकूप (Tube-wells) बनाना अथवा वाटर पंपिंग मशीन लगाना या पानी ऊपर खींचने के अन्य साधन (water lifting devices) जिसके अन्तर्गत रहट भी है, बनाना,

(छ) ट्रैक्टरों तथा कृषि सम्बन्धी अन्य यंत्रों, गन्ना पैरने के यंत्रों (cane crushers) या कढ़ाओं (pans) की खरीद,

(ज) डेरी सम्बन्धी सामानों की खरीद,

(झ) मधुमक्खी पालन से सम्बद्ध उपकरणों और सामानों की खरीद,

(ञ) फलों के बाग लगाना,

(ट) जूट के रेशे निकालना और उन्हें मुलायम करना (retting),

(ठ) कृषि के प्रयोजनों के लिये भूमि का पुनरुद्धार, (reclamation), उसे ट्रैक्टर से जोतना (tractorisation), उसकी सफाई करना या उसके चारों ओर बाढ़ लगाना, (fencing),

(ड) कृषि सम्बन्धी आपत्तियों से होने वाले कष्ट में सहायता,

(ढ) कृषि-नाशक कीटों (pests), या बीमारियों से फसल का संरक्षण, और

(ण) इंजीनियरों के कारखानों, कैलेंडरिंग और फिनिशिंग के प्लांट, लोहारी के कारखानों, बर्तन बनाने के कारबार, चमड़ा उद्योग (tannery), जूता बनाने के कारबार और लोहे की ढलाई के छोटे कारखानों (small iron foundaries) की स्थापना।

ऋणों के लिये प्रार्थना-पत्र

४—(१) ऋण प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र किसी व्यक्ति (Individual or person) द्वारा अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा गांव के किसी जनसमुदाय की ओर से सामूहिक रूप से (collectively) दिया जा सकता है।

(२) प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में दिया जायगा, और प्रार्थी द्वारा या उसकी ओर से यथावत् अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायगा और उसमें ऐसी सूचना तथा ब्योरे दिये जायंगे, जो नियत किये जायं।

ऋण के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों की जांच

५—(१) धारा ४ के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्र के मिलने पर प्रार्थना-पत्र पाने वाला अधिकारी प्रार्थना-पत्र की जांच करेगा, और प्रार्थना-पत्र के उचित आकार में होने पर, अपने को इस बात से संतुष्ट करेगा कि ऋण वास्तव में प्रार्थना-पत्र में बताये गये प्रयोजनों के लिये चाहिये और उसके लिये दी जाने वाली प्रतिभूति (security) पर्याप्त है।

(२) पूर्वोक्त प्रकार से संतुष्ट होने पर वह यदि धारा ६ के अधीन कार्यवाही न करे, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में प्रार्थी को ऋण देने के लिये आज्ञा दे सकता है, किन्तु इस धारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि

अधिकारी के लिये ऋण देना आवश्यक है जब तक कि आगे भी उसका मत यह न हो कि ऋण का दिया जाना कृषि, उद्यानकरण, पशुपालन या कुटीर उद्योगों के, जैसी भी दशा हो, विकास के हित में है।

ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने की सूचना।

६—(१) जब इस अधिनियम के अधीन ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तो वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे प्रार्थना-पत्र दिया जाय, उन मामलों में जहां ऐसा नियत हो, अवश्यमेव, और अन्य किसी मामले में जहां उक्त अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, नियत प्रकार से प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक सार्वजनिक सूचना (public notice) देगा, जिसमें ऐसे सब व्यक्तियों से, जिन्हें ऋण देने के सम्बन्ध में आपत्ति हो, उक्त सूचना में निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिये और अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये कहा जायगा।

(२) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, इस प्रकार की प्रत्येक आपत्ति पर विचार करेगा और या तो उसे स्वीकार कर लेगा या अस्वीकार कर देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि की गई आपत्ति इस प्रकार की हो कि केवल दीवानी अदालत ही उस पर संतोषजनक निर्णय दे सकती है तो वह, जब तक कि उस प्रश्न का निर्णय उक्त प्रकार से न हो जाय, प्रार्थना-पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही को स्थगित कर देगा।

(३) यदि उपधारा (१) के अधीन दी गई सूचना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न की गई हो या आपत्ति की जाने की दशा में वह न मांगी गई हो या उस पर अन्य प्रकार से आपत्तिकर्ता के विरुद्ध निर्णय किया गया हो, तो अधिकारी धारा ५ की उपधारा (२) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

ऋण के लिये प्रतिभूति (Securiy)

७—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन ऋण दिया जाय, ऋण भुगतान के लिये ऐसी वैयक्तिक (personal) या अन्य प्रतिभूति (जमानत) देगा जो नियत की जाय।

ब्याज।

८—इस अधिनियम के अधीन दिये गये ऋणों पर ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से ब्याज लिया जायगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर विज्ञप्ति करे। यदि राज्य सरकार किसी विशेष मामले में आदेश दे तो ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जिन्हें नियत किया जाय, बिना ब्याज के भी ऋण दिया जा सकता है।

ऋण का भुगतान

९—इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक ऋण, ऋण दिये जाने के वास्तविक दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर जिसे नियत किया जाय, इकमुठ में (lump sum), या किस्तों में अदा किया जायगा और यदि ऋण किस्तों में दिया जाय तो उक्त अवधि की गणना ऋण की अन्तिम किस्त या उससे पूर्व की किसी किस्त के दिये जाने के दिनांक से, जैसा कि नियत किया जाय, की जायगी।

ऋणों की वसूली

१०—(१) ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के अधीन दिये गये सब ऋण, उन पर लगाये जाने वाले ब्याज और उनसे सम्बन्ध व्यय, यदि कोई हुए हों, उनके देय होने पर कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित ढंगों से या उनमें से किसी एक या अधिक ढंग से वसूल किये जा सकते हैं :—

(क) ऋण गृहीता से मानो कि वे उसके द्वारा देय मालगुजारी की बकाया (arrears of land revenue) हों,

(ख) उसके प्रतिभूत (surity) से, यदि कोई हों, मानों वे उसके द्वारा देय मालगुजारी की बकाया हो,

(ग) ऐसी सम्पत्ति से जो ऋण की धनराशि से जिसके लाभ के लिये ऋण दिया गया हो, अर्जित, निर्मित क्रम या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई हो (raised, constructed, purchased or otherwise acquired) मानों वे मालगुजारी की बकाया हों, और

(घ) समवर्ती प्रतिभूति (collateral security) यदि कोई हो, में समाविष्ट सम्पत्ति से जिस भूमि पर मालगुजारी देय हो, उसे छोड़ कर अन्य अचल सम्पत्ति के विक्रय द्वारा मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया के अनुसार।

(२) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कलेक्टर इस धारा के अनुसार की जा सकने वाली वसूली के विभिन्न ढंगों के अपनाने का क्रम अपने विवेकानुसार अवधारित करेगा।

संयुक्त रूप से ऋण लेने वालों की पारस्परिक दायित्व।

११—जब कि इस अधिनियम के अधीन किसी गांव के जन समुदाय (village community) के सदस्यों को या अन्य किन्हीं व्यक्तियों को ऋण इन शर्तों पर दिया गया हो कि उस ऋण के सम्बन्ध में देय पूरी धनराशि के भुगतान के लिये वे राज्य सरकार के प्रति संयुक्त और पृथक रूप से (jointly and severally) बाध्य हैं और ऋण दिये जाने के आज्ञा-पत्र में ऐसा विवरण (stat ment) जिसमें वह दिखलाया गया हो कि उनमें से अलग-लअग प्रत्येक व्यक्ति उस धनराशि के भाग का कौन सा अंश देने को बाध्य है, दर्ज कर दिया गया हो, और उस विवरण पर उनमें से प्रत्येक व्यक्ति और आज्ञा देने वाले अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिये हों, तो वह विवरण इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि उस धनराशि के भाग का कितना अंश उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आपस में देने के लिये बाध्य है।

तकावी का स्थगित करना suspension और उसमें छट Remission नियम बनाने का अधिकार।

१२—राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत अन्य कोई अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में, जो नियत की जायं, अंशतः या पूर्णतः ऋणी को स्थगित (suspend) कर सकता है या उनमें छट दे सकता है।

१३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्व वर्ती अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) रीति जिसके अनुसार ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जायगा,

(ख) ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों से सम्बद्ध जांच (inquiries) के संचालन की रीति और जांच का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार,

(ग) ऋण के लिये और ऋण की धनराशि के भुगतान के लिये ली जाने वाली प्रतिभूति (security) का स्वरूप, ब्याज की दर जिस पर, और प्रतिबन्ध जिनके अधीन ऋण दिया जायगा और ऋण देने की रीति तथा समय,

(घ) उन निर्माण-कार्यों का निरीक्षण जिनके लिये ऋण दिया गया हो,

(ङ) अधिकारी जिनके द्वारा ऋण दिया जायगा,

(च) किस्त जिनमें और ढंग जिसके अनुसार ऋण, उन पर लिया जाने वाला ब्याज और उनसे सम्बद्ध व्यय अदा किया जायगा,

(छ) परिस्थितियां जिनमें ऋण स्थगित (suspend) किया, जा सकता है या उसमें छूट दी जा सकती है और इस प्रकार स्थगित (suspension) करने तथा छूट देने के लिये अधिकृत अधिकारी

(ज) ऋणों के व्यय तथा उनसे सम्बद्ध भुगतानों के लेखों के रखने तथा उनकी जांच (auditing) की रीति, और

(झ) विषय जो नियत किये जायं या किये जाने वाले हों।

१४—लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ और एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, १८८४, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, एतत्द्वारा निरस्त (repeal) किये जाते हैं ।

ऐक्ट ९, १८८३ और ऐक्ट १२, १८८४ का निरसन।

उद्देश्य और कारण

इस समय लैंड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १८८३ तथा एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, १८८४ के अधीन तकावी प्रदान की जाती है। राज्य के ग्रामीण अर्थ नीति में होने वाले व्यापक परिवर्तनों के कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। अतएव तकावी ऋणों को अधिक व्यापक बनाने के दृष्टकोण से और ऋण देने की विधि को अधिक सरल बनाने तथा वास्तविक तकावी सम्बन्धी विधि के जिसके अधीन ऋण दिया जा सकता है, विषय में भ्रमों के निवारण के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

चरण सिंह,
माल मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १४२ एल० ए० १९५४—८५० ।